आई एस एस एन 2230-7044 पुलिस विज्ञान

पुलिस विज्ञान

वर्ष-42 अंक-151 जुलाई-दिसम्बर, 2024

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो
गृह मंत्रालय
भारत सरकार

'उत्तम कार्यप्रणालियों एवं मानकों का प्रोत्साहन'

पुलिस विज्ञान

अंक-151 (जुलाई – दिसम्बर, 2024)

सलाहकार समिति

राजीव कुमार शर्मा
महानिदेशक

रवि जोसेफ लोक्कू
अपर महानिदेशक

रूचिका ऋषि
निदेशक (एसपीडी)

अनुज कुमार सिंह
उप निदेशक (एसपीडी)

संपादक : **सतीश चन्द्र डबराल**

संपादन सहयोग
मनोज कुमार साव, हिंदी अनुवादक ग्रेड-I
पिसाल विक्रम आनंदराव, हिंदी अनुवादक ग्रेड-II

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो
राष्ट्रीय राजमार्ग-48, महिपालपुर, नई दिल्ली-110037

'पुलिस विज्ञान' में प्रकाशित लेखों में लेखकों के विचार निजी हैं। इनसे पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की सहमति आवश्यक नहीं।

"दुनिया का वर्तमान और भविष्य एआई (AI) से जुड़ा है। लेकिन भारत के पास डबल एआई की ताकत है। दुनिया की नजर में सिर्फ एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। लेकिन भारत के पास एस्पायरिंग इंडिया भी है। जब एस्पायरिंग इंडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत मिलती है, तब विकास की गति भी तेज होनी स्वाभाविक है।"

— श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

"देश के सभी राज्यों में नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी के कैंपस खोलने के बाद दस हजार से ज्यादा विशेषज्ञ हमें मिलेंगे, जो कई वर्षों तक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को मजबूत करने में मदद करेंगे। फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी केवल बच्चों को पढ़ाने और ट्रेंड मैन पावर तैयार करने का काम नहीं करती, बल्कि फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में भी सहायता करती है।"

— श्री अमित शाह, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

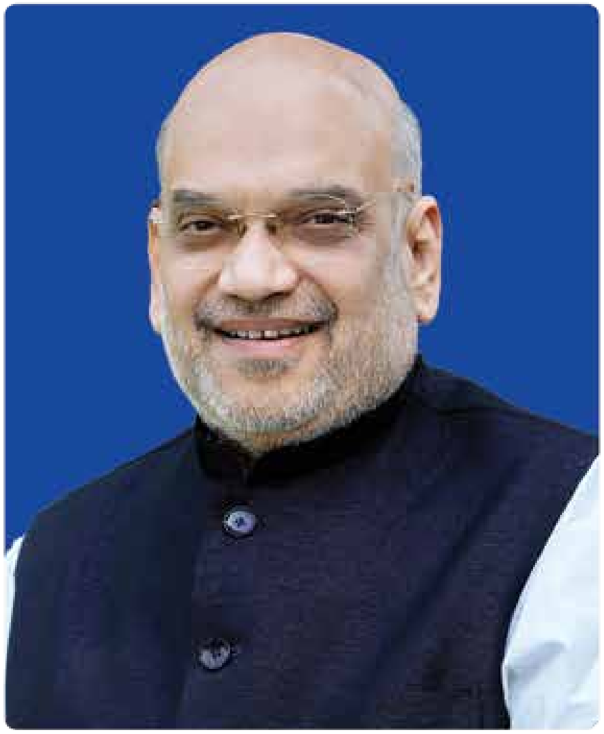

राजीव कुमार शर्मा, भा.पु.से.
महानिदेशक
Rajeev Kumar Sharma, IPS
Director General
Tel. : 91-11-26781312 (O)
E-mail : dg@bprd.nic.in

पुलिस अनुसंधान एवम् विकास ब्यूरो
गृह मंत्रालय, भारत सरकार
राष्ट्रीय राजमार्ग-48, महिपालपुर
नई दिल्ली-110037
Bureau of Police Research & Development
Ministry of Home Affairs, Government of India
National Highway-48, Mahipalpur
New Delhi-110037

संदेश

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत पुलिसिंग, आंतरिक सुरक्षा तथा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, केंद्रीय पुलिस संगठन, कारागार एवं सुधारात्मक प्रशासन को प्रशिक्षण, आधुनिकीकरण एवं अनुसंधान के माध्यम से उच्च गुणवत्ता प्रदान करने हेतु एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था है। पुलिसिंग से संबंधित उत्कृष्ट प्रकाशनों के माध्यम से नवीनतम जानकारी को जमीनी स्तर तक पहुँचाने का कार्य भी ब्यूरो प्रमुखता से कर रहा है। हिंदी जर्नल 'पुलिस विज्ञान' ब्यूरो का एक प्रमुख प्रकाशन है जिसमें पुलिस, पुलिस प्रशासन, जेल प्रबंधन, फोरेंसिक साइंस, साइबर सुरक्षा, आपराधिक जाँच आदि विषयों पर उत्कृष्ट लेख प्रकाशित किए जाते हैं।

केन्द्र सरकार ने आपराधिक मामलों की जांच में फोरेंसिक साइंस का दायरा बढ़ाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि युवाओं में फोरेंसिक विज्ञान के अध्ययन को प्रोत्साहित करना आवश्यक है। इससे हमारा समाज सुरक्षित होगा और अपराधियों को जल्द से जल्द सज़ा मिलेगी। नए आपराधिक कानूनों ने फोरेंसिक साइंस की अहम भूमिका सुनिश्चित की है। सरकार ने कानून के पूर्ण क्रियान्वयन के बाद देशभर में सात साल या उससे अधिक की सजा वाले सभी अपराधों में फोरेंसिक साइंस साक्ष्य एकत्र करना अनिवार्य कर दिया है।

पुलिस विज्ञान जर्नल में फोरेंसिक विज्ञान, जेल प्रशासन आदि से संबंधित लेखों का नियमित रूप से प्रकाशन किया जाता है जिससे पुलिस अधिकारी जर्नल के माध्यम से अपने व्यावसायिक कौशल को बढ़ाते हैं। जर्नल के इस अंक में फोरेंसिक साइंस का भारत में विकासः चुनौतियाँ और भविष्य की संभावनाएं, घटनास्थल एवं फोरेंसिक विशेषज्ञ, जेल प्रशासन व सद्प्रयास जैसे विषय बहुत ही प्रासंगिक हैं जो निश्चित रूप से कानून प्रवर्तन एजेंसियों एवं हितधारकों के लिए उपयोगी होंगे।

मैं इस अवसर पर 'पुलिस विज्ञान' जर्नल के निरंतर प्रकाशन में संलग्न ब्यूरो के विशेष प्रोजेक्ट प्रभाग के अधिकारियों एवं कार्मिकों की सराहना करता हूँ।

(राजीव कुमार शर्मा)
महानिदेशक, बीपीआरएंडडी

रवि एल. जोसफ, भा.पु.से.
अपर महानिदेशक
Ravi L. Joseph, IPS
Additional Director General
Tel. : 91-11-26781341
E-mail : adg@bprd.nic.in

पुलिस अनुसंधान एवम् विकास ब्यूरो
गृह मंत्रालय, भारत सरकार
राष्ट्रीय राजमार्ग-48, महिपालपुर
नई दिल्ली-110037
Bureau of Police Research & Development
Ministry of Home Affairs, Government of India
National Highway-48, Mahipalpur
New Delhi-110037

संदेश

हमारे देश की पुलिस व्यवस्था का इतिहास बहुत पुराना है। प्राचीन काल से ही शान्ति और न्याय व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस किसी न किसी रूप में अस्तित्व में रही है। समय के साथ पुलिस व्यवस्था में परिस्थितियों के अनुकूल परिवर्तन होते रहे हैं। आज भारतीय पुलिस न केवल देश में शान्ति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्यरत है बल्कि देश की सीमाओं की भी रक्षा कर रही है। पुलिस का कार्यक्षेत्र अब बहुत बढ़ चुका है। पुलिस देश के कई राज्यों में नक्सलवाद के खिलाफ लड़ रही है और कई राज्यों में आतंकवाद के विरूद्ध अभियानों में शामिल है।

भारत में तकनीक और साइबर स्पेस का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2022 में, भारत 90 मिलियन लेन-देन के साथ वैश्विक डिजिटल भुगतान में अग्रणी रहा, इसके साथ ही देश में साइबर खतरों की संभावनाएं बढ़ी हैं। माननीय केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री का कहना है कि एनएफटी, एआई, मेटावर्स तथा अन्य इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के युग में समावेशी और सहयोगात्मक तरीके से नए और उभरते खतरों के लिए समय पर प्रतिक्रिया देकर हमें आगे रहना है।

जर्नल में साइबर अपराधों के पैटर्न को समझने तथा उससे निपटने एवं पुलिसिंग में आधुनिक तकनीकों के साथ आर्टिफीशिल इंटेलिजेंस के समावेश संबंधी लेख प्रकाशित किए जाते हैं। पुलिस आधुनिकीकरण के क्षेत्र में विकसित हो रही नई-नई तकनीकों और उनके उपयोग से संबंधित लेख जर्नल के पाठकों को महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराते हैं। जर्नल के इस अंक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भारतीय पुलिस प्रणालीः एक समग्र अध्ययन, वीआईपी सुरक्षा में आधुनिक तकनीकों के साथ आर्टिफीशिल इंटेलिजेंस का समावेशः अन्वेषणात्मक अध्ययन आदि लेख अवश्य ही इसके हितधारकों को लाभान्वित करेंगे।

मैं आशा करता हूँ जर्नल के इस अंक में दी गई जानकारी पुलिस कार्मिकों को अपना कार्य निष्पादित करने में सहायक सिद्ध होगी।

(रवि जोसेफ लोक्कू)
अपर महानिदेशक, बीपीआरएंडडी

रुचिका ऋषि, भा.पु.से.
आई.जी./निदेशक
(एन.पी.एम एवं एस.पी.डी.)
Ruchika Rishi, I.P.S
IG/Director (NPM & SPD)
Tel. : +91-11-26782027
Email : dirnpm@bprd.nic.in

पुलिस अनुसंधान एवम् विकास ब्यूरो
गृह मंत्रालय, भारत सरकार
राष्ट्रीय राजमार्ग-48, महिपालपुर
नई दिल्ली-110037
Bureau of Police Research & Development
Ministry of Home Affairs, Govt. of India
National Highway-48, Mahipalpur
New Delhi-110037

संदेश

'पुलिस विज्ञान' जर्नल का जुलाई-दिसंबर, 2024 का अंक पाठकों के समक्ष प्रस्तुत है। संपादक मंडल का यह प्रयास रहता है कि जर्नल में पुलिस, न्यायालयिक विज्ञान, जेल प्रशासन व पुलिसिंग से संबंधित विषयों की प्रामाणिक एवं प्रासंगिक जानकारी प्रदान की जाए। अपराधों को सुलझाने में पुलिस कर्मियों द्वारा अपनाई जाने वाली कार्य-प्रणाली, अपराधों से निपटने तथा अपराध होने की संभावना से संबंधित ओजस्वी विचार वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों तथा समाज के प्रबुद्ध वर्ग द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं जो एक आम पुलिसकर्मी के साथ-साथ सभी वर्ग के लिए उपयोगी हैं।

जर्नल के इस अंक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भारतीय पुलिस प्रणालीः एक समग्र अध्ययन, फोरेंसिक साइंस का भारत में विकासः चुनौतियाँ और भविष्य की संभावनाएं, भारतीय पर्यटन में पुलिस की भूमिका, उत्तराखंड की अनूठी पटवारी पुलिस व्यवस्था का अवसानः एक विश्लेषण, घटनास्थल एवं फोरेंसिक विशेषज्ञ, वीआईपी सुरक्षा में आधुनिक तकनीकों के साथ आर्टिफीशिल इंटेलिजेंस का समावेशः अन्वेषणात्मक अध्ययन से संबंधित लेख हैं जो अंक को निश्चित रूप से उपयोगी बनाएंगे।

जर्नल के सुधी पाठक इसे और अधिक सूचनाप्रद एवं उपयुक्त बनाने में अपना सक्रिय सहयोग प्रदान कर सकते हैं। आशा है कि जर्नल में सम्मिलित सभी लेख पाठकों को उपयोगी लगेंगे और वे अपने विचारों से संपादक मंडल को अवगत कराते रहेंगे।

आपके विचारों का सहर्ष स्वागत है।

(रुचिका ऋषि)
निदेशक (एसपीडी), बीपीआरएंडडी

विशेष प्रोजेक्ट प्रभाग

बीपीआरएंडडी की स्थापना के साथ ही विशेष प्रोजेक्ट प्रभाग अस्तित्व में आया। बीपीआरएंडडी के पांच अन्य प्रभाग जिनके अपने-अपने परिभाषित चार्टर हैं, उसके अलावा, ऐसे बड़े क्षेत्र भी हैं जिन पर समय-समय पर भारत सरकार और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश पुलिस बलों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। मानव तस्करी, लैंगिक मुद्दे और अल्पसंख्यक तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित विषयों पर अकादमिक अध्ययन से अलग भी ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त बीपीआरएंडडी जैसे संगठन की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक सांख्यिकीय इकाई है जो आँकड़े एकत्रित करती है जिसके आधार पर दृष्टिकोण तैयार कर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इस कार्य के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता और इसी उद्देश्य को ध्यान मे रखते हुए ब्यूरो में एक विशेष प्रोजेक्ट प्रभाग का गठन किया गया। यह प्रभाग मूलतः अन्य सभी महत्वपूर्ण कार्यों का केन्द्र भी है जिन्हें ब्यूरो में किसी अन्य प्रभाग द्वारा नहीं किया जाता है।

महत्वपूर्ण प्रकाशन

प्रभाग द्वारा प्रकाशित प्रमुख प्रकाशन इस प्रकार हैं:-

(क) **इंडियन पुलिस जर्नल (IPJ) –** यह बीपीआरएंडडी का प्रमुख तिमाही प्रकाशन है जिसे वर्ष 1954 में शुरू किया गया था। इसमें पुलिसिंग, पुलिस प्रशासन और प्रबंधन, सुधारात्मक प्रशासन और जेल प्रबंधन, फोरेंसिक, डिजिटल साक्ष्य और पुलिस बलों के बीच अच्छी प्रथाओं और मानकों को साझा करने जैसे विषयों पर लेख प्रकाशित किए गए हैं।

(ख) **पुलिस संगठनों के आंकड़े (DoPO) –** यह वर्ष 1986 से एक वार्षिक प्रकाशन रहा है। इसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/सीपीओ और सीएपीएफ में जनशक्ति, बुनियादी ढांचा, वाहन, पुलिस स्टेशन आदि से संबंधित आंकड़े प्रकाशित किए गए हैं। इन आंकड़ों का उपयोग सरकारी एजेंसियों, नीति आयोग, गृह मंत्रालय आदि द्वारा व्यापक रूप से किया जाता है।

(ग) **पुलिस विज्ञान जर्नल –** वर्ष 1982 से **''पुलिस विज्ञान''** हिंदी जर्नल का प्रकाशन किया जा रहा है। जर्नल में पुलिस, पुलिस प्रशासन, जेल प्रबंधन, न्यायालयिक विज्ञान, साइबर अपराध, आपराधिक जाँच आदि पुलिसिंग से संबंधित विषयों पर उत्कृष्ट लेख प्रकाशित किए जाते हैं। जर्नल का प्रेषण केन्द्रीय पुलिस संगठनों, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, गृह मंत्रालय और हिंदी भाषी राज्यों में थाना स्तर तक किया जाता है।

(घ) **पुलिस ड्रिल मैनुअल –** यह प्रकाशन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों, केन्द्रीय पुलिस संगठनों, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को पुलिस ड्रिल से संबंधित सभी प्रकार के अभ्यासों के लिए एक विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान करता है।

(ङ.) **सजग भारत & Vigilant India पत्रिका –** पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो द्वारा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों एवं पुलिस के अच्छे कार्यों के प्रचार-प्रसार को जन-जन तक पहुंचाने के लिए पाक्षिक पत्रिका "सजग भारत"/"Vigilant India" का प्रकाशन किया जा रहा है। पत्रिका का प्रेषण देश के माननीय सांसदों, विधायकों, पुलिस बलों, महत्वपूर्ण संगठनों, मीडिया कार्मिकों आदि को किया जा रहा है। साथ ही पत्रिका की सॉफ्ट कॉपी को E-sampark के माध्यम से 7 करोड़ से अधिक लोगों को भेजा जा रहा है। पत्रिका का प्रथम अंक अप्रैल, 2023 में प्रकाशित किया गया।

(च) **बीपीआरएंडडी न्यूज बुलेटिन -** यह बीपीआरएंडडी का तिमाही प्रकाशन है जिसमें बीपीआरएंडडी एवं इसकी अधीनस्थ इकाइयों में की गई सभी प्रमुख गतिविधियों को प्रदर्शित किया जाता है।

विषय सूची

क्र.सं.	लेख	लेखक	पृष्ठ सं.
1.	आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भारतीय पुलिस प्रणाली: एक समग्र अध्ययन	श्री मुकेश कुमार डूडी	1
2.	फोरेंसिक साइंस का भारत में विकास: चुनौतियां और भविष्य की संभावनाएं	श्री शक्ति प्रकाश	8
3.	वीआईपी सुरक्षा में आधुनिक तकनीकों के साथ आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस का समावेश:अन्वेषणात्मक अध्ययन	डॉ. कौशल शर्मा डॉ. कपिल देव	17
4.	जेलों में सुधार की समस्या को समझने की दिशा में एक प्रयास	डा. मृदुल श्रीवास्तव	25
5.	उत्तराखण्ड की अनूठी पटवारी पुलिस व्यवस्था का अवसान : एक विश्लेषण	प्रो. डी. के. पी. चौधरी	38
6.	घटनास्थल एवं फोरेंसिक विशेषज्ञ	डॉ. प्रतिभा तिवारी	46
7.	जेल प्रशासन व सद् प्रयास	श्री संजीव सिंह ह्यांकी	52
8.	भारतीय पर्यटन में पुलिस की भूमिका	श्री पुष्पेन्द्र कुमार	57
9.	परिशिष्ट - नए आपराधिक कानूनों में सफल प्रकरण		64

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भारतीय पुलिस प्रणाली: एक समग्र अध्ययन

श्री मुकेश कुमार डूडी
सीनियर रिसर्च फ़ेलो (PhD),
विधि विभाग, पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बठिंडा

सारांश –
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के अनुप्रयोग से वैश्विक स्तर पर अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन परिलक्षित हुए हैं। इसके अनुप्रयोग से भारतीय पुलिस प्रणाली भी व्यापक रूप से प्रभावित हुई है। अपराध नियंत्रण, अन्वेषण, कानून व्यवस्था और अन्य पुलिसिंग प्रक्रियाओं को और अधिक कुशल, प्रभावी, सक्षम और विश्वसनीय बनाने के क्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का इस्तेमाल निरंतर बढ़ रहा है। प्रस्तुत आलेख में भारतीय पुलिस प्रणाली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विभिन्न उपयोगों, देश की विभिन्न पुलिस एजेंसियों द्वारा प्रयुक्त उत्तम अभ्यासों के चुनिंदा उदाहरणों का उल्लेख किया गया है, साथ ही इस तकनीक को प्रयुक्त करने में आने वाली व्यवहारिक कठिनाइयों और चुनौतियों को संज्ञान में लेते हुए उनके समाधान हेतु सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं। और वर्तमान पुलिस प्रणाली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अनुप्रयोग की भावी संभावनाओं पर विचार किया गया है।

मुख्य शब्द – आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, भारतीय पुलिस प्रणाली, डिजिटल युग, भावी संभावनाएं

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस – सामान्य परिचय

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) एक ऐसी प्रगतिशील और उन्नत तकनीक है, जो मशीनों को मानव की तरह सोचने, समझने और विश्लेषण करने में सक्षम बनाती है। इसमें मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, और डेटा एनालिटिक्स जैसी तकनीकों का उपयोग किया जाता है।[1] आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक में ऐल्गोरिदम का उपयोग करके कम समय में बड़ी मात्रा में डेटा का विश्लेषण किया जाता है।[2] इसी विस्तृत डेटा विश्लेषण के आधार पर यह तकनीक निर्णय लेने और भविष्य के बारे में पूर्वानुमान लगाने की क्षमता विकसित करती है। नीति आयोग की परिभाषा के अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकियों का एक समूह है, जो मशीनों को मानवीय बौद्धिक क्षमताओं के अनुरूप उच्च स्तर की बुद्धिमत्ता के साथ कार्य करने और समझने में सक्षम बनाता है।[3]

दूसरे शब्दों में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उन मशीनों में मानव बुद्धि के अनुकरण को संदर्भित करता है, जिन्हें मनुष्यों

[1] Chandak, S. (2020), "Artificial Intelligence and policing: a human rights perspective", NLUJ Law Review, Vol. 7 No. 1, pp. 43-69.
[2] Kavanagh, C. (2019). Artificial intelligence. In new tech, new threats, and new governance challenges: An opportunity to craft smarter responses? (pp. 13–23). Carnegie Endowment for International Peace.
[3] 'National Strategy for Artificial Intelligence', NITI Aayog, 2018, <http://www.niti.gov.in/writereaddata/files/document_publication/NationalStrategy-for-AI-Discussion Paper.pdf> (accessed 21 May 2024).

की तरह सोचने और सीखने के लिए प्रोग्राम किया जाता है।[4] इसमें उन कार्यों को करने में सक्षम कंप्यूटर सिस्टम का विकास शामिल है, जिन्हें आमतौर पर मानव बुद्धि की आवश्यकता होती है, जैसे इमेज की पहचान, भाषा की पहचान, निर्णय लेने की क्षमता, समस्या-समाधान और भाषा अनुवाद इत्यादि।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मुख्यतया दो प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है।[5] संकीर्ण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सामान्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। संकीर्ण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे कमजोर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में भी जाना जाता है। यह इस तकनीक का सबसे आम रूप है, जो विशिष्ट कार्यों को करने या विशिष्ट समस्याओं को हल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। जिसका हम अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं, जैसे चेहरे/इमेज की पहचान करने वाले सॉफ्टवेयर आदि। दूसरी ओर, सामान्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे मजबूत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस (एजीआई) भी कहा जाता है, यह उन मशीनों का प्रतिनिधित्व करती है जो विभिन्न डोमेन में तथ्यों को समझने, सीखने और लागू करने की क्षमता रखती हैं।[6] जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उद्देश्य मानव बुद्धि के अनुरूप कार्य करना है, जो संभवतः अधिकांश बौद्धिक कार्यों में मानवीय बुद्धिमता से भी उन्नत सिद्ध हो सकती है।

वर्तमान तकनीकी युग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग स्वास्थ्य सेवा, वित्त, परिवहन और कानून प्रवर्तन सहित विभिन्न क्षेत्रों में क्रांति ला रहा है। इसी संदर्भ में वर्ष 2019 में, भारत सरकार के सार्वजनिक नीति के शीर्ष थिंक टैंक, नीति आयोग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए संस्थागत रूपरेखा क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफ़ॉर्म- (AIRAWAT) बनाया है।[7]

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस: भारतीय पुलिस प्रणाली में अनुप्रयोग

सम्पूर्ण विश्व की विभिन्न पुलिस प्रणालियों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का अनुप्रयोग व्यापक स्तर पर किया जा रहा है। विशेष रूप से इसका उपयोग मानवीय निर्णय में सहायता और मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए विभिन्न कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालियों के रूप में लिया जा रहा है। पुलिस प्रशासन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग से एक उल्लेखनीय बदलाव आया है। भारतीय पुलिस प्रणाली में भी इसका व्यापक इस्तेमाल किया जा रहा है, जो स्मार्ट पुलिस के उद्देश्यों को साकार करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।

भारत के विभिन्न राज्यों की पुलिस प्रणाली में इस तकनीक के इस्तेमाल को लेकर अनेक पहल की गई हैं, जहां राज्य पुलिस तंत्र द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का सक्रिय उपयोग किया जा रहा है। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश पुलिस ने कैदियों की निगरानी के लिए राज्य की 70 जेलों में 'जार्विस' नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-सक्षम वीडियो एनालिटिक्स प्लेटफ़ॉर्म स्थापित किया है, जिससे जेलों की सुरक्षा एवं निगरानी को मजबूत किया जा सके।[8]

दिल्ली पुलिस ने राजधानी में यातायात व्यवस्था के सुचारु संचालन के लिए शहर के 24 जंक्शनों पर रेड-लाइट उल्लंघन की निगरानी तथा ओवरस्पीडिंग की निगरानी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक आधारित 'इंटेलिजेंस ट्रैफ़िक मैनेजमेंट सिस्टम' (ITMS) प्रयुक्त किया है। इस सिस्टम में रेड लाइट उल्लंघन की निगरानी के लिए, 3D रडार-आधारित रेड-लाइट वाइअलैशन डिटेक्शन कैमरा (RLVD) तथा ओवरस्पीडिंग की निगरानी के लिए, गैंट्री-माउंटेड रडार-

[4] Sheikh, H., Prins, C., & Schrijvers, E. (2023). Artificial intelligence: Definition and background. In Mission AI. Research for policy. Springer.

[5] Bajpai, G.S. and Irshad, M. (2019), "Artificial Intelligence, the law and the future". The Hindu, 11 June, available at: https://www.thehindu.com/opinion/op-ed/artificial-intelligence-the-law-and-the-future/article27766446.ece (accessed 12 July 2024).

[6] Naudé, W., & Dimitri, N. (2020). The race for an artificial general intelligence: implications for public policy. AI & Society, 35(2), 367–379. https://doi.org/10.1007/s00146-019-00887-x.

[7] Koshy, J. (2019), "India ranks third in research on Artificial Intelligence", The Hindu, 18 January, available at: https://www.thehindu.com/sci-tech/science/india-ranks-third-in-research-on-artificial-intelligence/article26030596.ece (accessed 11 May 2024).

[8] Ahaskar, A. (2019), "Uttar Pradesh prisons turn to AI-based video surveillance to monitor inmates", Livemint, 8 November, available at:https://www.livemint.com/technology/tech-news/uttar-pradesh-prisons-turn-to-ai-based-video-surveillance-to-monitor-inmates-11573196335267.html (accessed 17 July 2024).

आधारित सिस्टम लगाया गया है।[9]

तेलंगाना पुलिस द्वारा दिसंबर 2017 में, कैमरे, GPS, अल्ट्रासोनिक रीडर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर और तापमान सेंसर सहित विभिन्न सेंसर से लैस एक स्मार्ट रोबोकॉप लॉन्च किया गया है। इस रोबोट को कानून-व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ ट्रैफ़िक को प्रबंधित करने में पुलिस की सहायता के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह रोबोट मॉल, एयरपोर्ट जैसे विशिष्ट और सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा संभाल सकता है। यह व्यक्तियों को पहचानने, शिकायतें स्वीकार करने, बम तथा अन्य एक्सप्लोसिव का पता लगाने, संदिग्धों की पहचान करने, लोगों से बातचीत करने और उनके प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम है।[10]

(Source: https://images.app.goo.gl/ro3FuSMLcXuR82cJ6)

भारतीय पुलिस की समकालीन चुनौतियों के निमित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उपयोगिता

समकालीन परिदृश्य में भारतीय पुलिस को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे:

- शहरीकरण और जनसंख्या वृद्धि के साथ अपराधों की बढ़ती संख्या, कानून-व्यवस्था के बिगड़ने के पूर्वानुमान और पूर्वसूचना का अभाव, त्वरित कार्यवाही, समयबद्ध प्रतिक्रिया, अपराधों पर रोकथाम और उनका अन्वेषण, इत्यादि।
- आवश्यक संसाधनों की सीमित उपलब्धता, पुलिस कार्मिकों की कमी, आधुनिक उपकरणों का अभाव, बजट की सीमाएँ, इत्यादि।
- पुलिसिंग में पारदर्शिता और जन-विश्वास की कमी।

उपरोक्त समस्याओं के प्रभावी समाधान के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का प्रयोग निम्न लिखित क्षेत्रों में उपयोगी है।

A. कानून व्यवस्था और अपराधों की रोकथाम

1. प्रीडिक्टिव पुलिसिंग (पूर्वानुमान) से अपराधों की रोकथाम –

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का सबसे महत्वपूर्ण अनुप्रयोग प्रीडिक्टिव पुलिसिंग में है। इस तकनीक का उपयोग अपराध तथा कानून व्यवस्था से संबंधित उपलब्ध विस्तृत आंकड़ों जैसे - पिछले अपराधों की जानकारी, सीसीटीवी फुटेज एवं संदिग्ध गतिविधियों, आदि का मशीन लर्निंग मॉडल के ऐल्गोरिदम के माध्यम से विश्लेषण करके संभावित अपराधों एवं अपराध स्थलों की पहचान करने के लिए किया जाता है। जिससे पुलिस को अपराध के पैटर्न और प्रवृत्तियों की पहचान करने में मदद मिलती है।[11] इसके प्रयोग से पुलिस यह पूर्वानुमान लगा सकती है कि किस क्षेत्र में, किस समयावधि में, किस श्रेणी के अपराध होने की

[9] Chand, S. (2022), "Intelligent moves: first step in AI-based traffic system in Delhi", The Times of India, 13 July, available at: https://timesofindia.indianmes.com/city/delhi/intelligent-moves-first-step-in-ai-based-traffic-system-in-delhi/articleshow/92837249.cms (accessed 25 October 2023).

[10] Janyala, S. (2017), "Hyderabad-based startup launches smart robocop, named after 26/11 martyr Hemant Karkare", The Indian Express, 30 December, available at: https://indianexpress.com/ article/technology/tech-news-technology/hyderabad-based-startup-launches-smart-robocop- named-after-26-11-martyr-hemant-karkare-5001011 (accessed 12 September 2024).

[11] T. Lau, 'Predictive Policing Explained', Brennan Center for Justice, 2020<https://www.brennancenter.org/our- work/research-reports/predictive-policing- explained (accessed 25 May 2024).

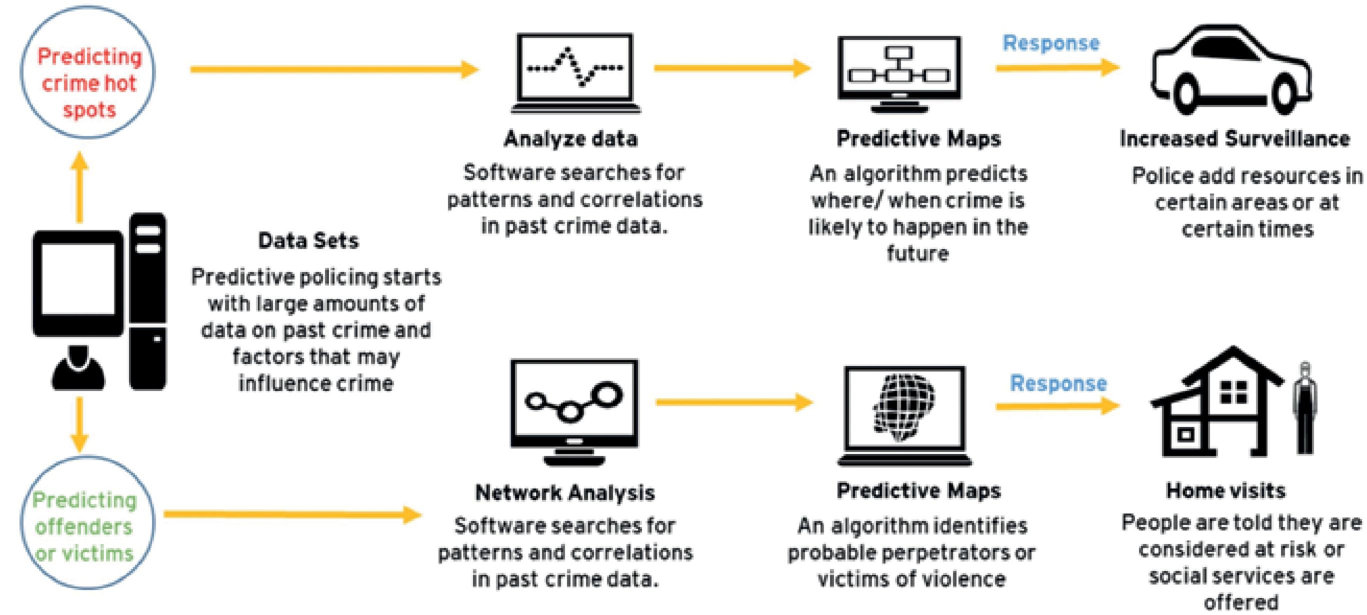

(Source: Predictive policing and way forward (2018), FICCI_EY_Predictive Policing group.pdf)

संभावना है। जिसके अनुसरण में पुलिस द्वारा अपनी गश्त और संसाधनों को अधिक प्रभावी ढंग से नियोजित करने के साथ-साथ अपराध से प्रभावित होने वाले संभावित लोगों को भी सजग करते हुए किसी आपराधिक घटना के घटित होने से पहले ही उसकी रोकथाम की जा सकती है।

2. सोशल मीडिया मॉनिटरिंग

वर्तमान डिजिटल युग में सोशल मीडिया जीवन के सभी आयामों में आत्मसात हो चुका है और दिन प्रतिदिन इस पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। जहां लोग अपने विचार और गतिविधियाँ साझा करते हैं, जिसके चलते यह सूचनाओं का एक बड़ा डेटा स्रोत बन गया है। इस प्लेटफार्म पर प्रसारित और संचारित सूचनाओं की सत्यता और वैधानिकता का प्रमाणीकरण एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, जिसके अभाव में बढ़ती अफवाहें कानून व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा बन जाती हैं। पुलिस प्रशासन द्वारा ऐसी स्थिति से निपटने के लिए सोशल मीडिया लैब स्थापित की गई है, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकों का उपयोग करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित सूचनाओं और गतिविधियों की निगरानी और विश्लेषण किया जा रहा है। इससे उन्हें अवांछनीय गतिविधियों और संभावित खतरों की पहचान करने, और उन पर नजर रखने में मदद मिलती है।

(Source: https://images.app.goo.gl/GgJL7CEToBKmDhCdA)

B. अपराधों का अन्वेषण

1. फेस रिकग्निशन तकनीक (FRT)

किसी अपराध में संलिप्त किसी संदिग्ध व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित फेस रिकग्निशन तकनीक एक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी टूल है। इस तकनीक में विभिन्न माध्यमों यथा- CCTV, ड्रोन कैमरे, CCTNS, अन्य अपराधियों एवं संदिग्धों के डोजीयर, नैशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो आदि द्वारा संग्रहीत फेस फोटो का एक विस्तृत डेटा बेस बनाया जाता है। इस डेटा बेस तथा निगरानी के लिए लगाए गए CCTV कैमरों और ड्रोन कैमरों की रिकॉर्डिंग को एक स्वचालित बायोमेट्रिक सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन के साथ जोड़कर किसी व्यक्ति को उसके चेहरे के आकार, आकृति के

पैटर्न, अनुपात की तुलना तथा अन्य विशेषताओं का विश्लेषण करके उसकी पहचान को सत्यापित किया जाता है।

यह तकनीक अपराधों के अन्वेषण के साथ-साथ गुमशुदाओं, अज्ञात शवों, दंगाई भीड़, धरना-प्रदर्शन, सार्वजनिक समारोह, सुरक्षा प्रबंध, किसी आपदा की अफरा-तफरी, आदि में किसी की पहचान सुनिश्चित करने में भी उपयोगी है।

2. डीप-फेक, मॉर्फ्ड या डॉक्टर्ड कंटेंट की पहचान

वर्तमान डिजिटल युग में वास्तविक पहचान के साथ-साथ आभासी पहचान अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। जहां डीप-फेक तकनीक के दुरुपयोग से मॉर्फ्ड या डॉक्टर्ड कंटेंट पैदा करके किसी व्यक्ति या घटना के बारे में वास्तविक तथ्यों के स्थान पर दुर्भावनापूर्वक काल्पनिक तथ्य और पहचान प्रस्तुत करके भ्रम पैदा किया जाता है, जिसके चलते वास्तविक एवं सत्यता का पता लगाना मुश्किल हो जाता है, जो किसी व्यक्ति की गरिमा और समाज में कानून व्यवस्था के लिए गंभीर संकट बन जाता है। ऐसी संकटपूर्ण स्थिति में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक के माध्यम से डीप लर्निंग और एडवांस्ड न्यूरल नेटवर्क का उपयोग करके डीप-फेक, मॉर्फ्ड या डॉक्टर्ड कंटेंट की पहचान करके काल्पनिक तथ्यों का खंडन एवं वास्तविकता का पता लगाया जा सकता है।

C. साइबर सुरक्षा एवं निगरानी

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का प्रयोग साइबर सुरक्षा में साइबर हमलों और संभावित खतरों का पता लगाने, संदिग्ध गतिविधियों की पहचान करने, उनके प्रारूप और प्रवृति को समझने में उपयोगी है, जिससे रीयल-टाइम थ्रेट इंटेलिजेंस प्राप्त करके आवश्यक एवं समयबद्ध प्रतिरक्षा कार्यवाही की जा सकती है।

निगरानी के लिए प्रयुक्त ड्रोन और अन्य स्मार्ट निगरानी उपकरणों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का संयोजन करके पुलिस निगरानी की एक स्मार्ट प्रणाली को विकसित किया जा रहा है, जहां पुलिस बेहतर तरीके से घटनाओं की निगरानी करने में सक्षम हो सकेगी और किसी आपात स्थिति में वास्तविक समय में जानकारी प्राप्त करके पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही और निर्णय लिया जा सकेगा।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग की चुनौतियाँ और उपाय

समकालीन तकनीकी युग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग पुलिस प्रणाली के अनेक कार्यों यथा- अपराध नियंत्रण, अन्वेषण, कानून व्यवस्था, सुरक्षा, निगरानी, सामान्य प्रशासन इत्यादि में व्यापक स्तर पर उपयोगी सिद्ध हो रहा है। यह तकनीक पुलिस प्रणाली को कुशल, पारदर्शी, प्रभावी, एवं विश्वसनीय पुलिस प्रणाली के रूप में सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

परंतु, पुलिसिंग में इस तकनीक के व्यापक प्रयोग की कुछ सीमाएं एवं चुनौतियाँ हैं। नैतिक बिंदुओं के रूप में निष्पक्षता, ऐल्गोरिदम पर निर्भरता, भेदभाव, मानवीय निगरानी की कमी, डेटा की अशुद्धि और देश में सामाजिक असमानताओं के कारण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भविष्यवाणी में पूर्वाग्रह दुरुपयोग आदि विचारणीय मुद्दे हैं। विधिक एवं कानूनी बिंदुओं के रूप में डेटा का संग्रहण, डेटा सुरक्षा एवं संरक्षा, डेटा गोपनीयता, स्पष्ट कानूनी प्रावधान, मशीनों की जवाबदेही और आपराधिक दायित्व जैसे कई अहम सवाल हैं। साथ ही इस तकनीक को जमीनी स्तर पर प्रयुक्त करने में तकनीकी योग्यता और प्रशिक्षण का अभाव, सामाजिक स्वीकार्यता, संसाधनों की कमी जैसी अनेक व्यवहारिक कठिनाइयाँ भी हैं।

इसके सुगम, प्रभावी और इष्टतम उपयोग के लिए उपरोक्त मुद्दों पर इस तकनीक के विशेषज्ञों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों, नीति निर्माताओं और अन्य हितधारकों के मध्य एक समन्वयकारी विचार विमर्श के पश्चात उचित मानवीय पर्यवेक्षण, प्रभावी विनियमन के लिए स्पष्ट कानूनी प्रावधान, नैतिक और प्रक्रियात्मक नियमावली, ढांचागत सुधार जैसे उपाय अपनाकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कुशलता और सटीकता के साथ प्रयुक्त करके भारतीय पुलिस प्रणाली में इसकी उपादेयता को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।

भविष्य की संभावनाएँ

किसी भी नवाचार और पहल का सम्पूर्ण आकलन उसके प्रारम्भिक स्तर पर ही तय नहीं किया जा सकता, समय के साथ उसकी प्रासंगिकता और विस्तार बदलता रहता है। भारतीय

पुलिस प्रणाली में वर्तमान में प्रयुक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्षेत्र यहीं तक सीमित नहीं है, प्रौद्योगिकी की क्षमताओं के विस्तार और उन्नति के साथ साथ इसके भावी उपयोग की व्यापक संभावनाएँ विद्यमान हैं।

1. ऑब्जेक्ट डिटेक्शन तकनीक (ODT)

फेस रिकग्निशन तकनीक में चेहरे की पहचान की तरह ही, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किसी विशेष, संदिग्ध, या वांछित वस्तु जैसे बैग, हथियार आदि का पता लगाने के लिए किया जा सकता है। जहां किसी ऑब्जेक्ट/वस्तु के आकार, आकृति, रंग, वजन, इमेज के आधार पर विश्लेषण करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का कोई मॉडल विकसित और प्रशिक्षित किया जा सकता है। जो संदिग्ध वस्तुओं को अन्य वस्तुओं में पहचान कर उनका विभेद करने में सक्षम हो।

2. अपराध स्थल का विश्लेषण

अपराधों के अन्वेषण तथा उसमें संलिप्त संदिग्ध की पहचान सुनिश्चित करने के लिए उस अपराध के घटना स्थल से प्राप्त डेटा जैसे फिंगरप्रिंट, अपराध पैटर्न और अन्य साक्ष्यों का विश्लेषण किया जाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके इन साक्ष्यों का सटीक एवं त्वरित विश्लेषण किया जा सकता है, जिससे अन्वेषण प्रक्रिया को शीघ्रता से पूर्ण किया जा सकता है।

3. जमानत और पैरोल का निर्धारण

जमानत और पैरोल के लिए आवश्यक मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करने में यह तकनीक उपयोगी हो सकती है। जहां किसी आरोपी व्यक्ति की रिहाई के लिए उससे जुड़ी हुई जोखिम और संभावित खतरों, आरोपी की व्यक्तिगत एवं पारिवारिक जानकारी, आपराधिक पृष्ठभूमि, लंबित मामलों जैसे जटिल आंकड़ों का ऐल्गोरिदम के माध्यम से विश्लेषण करके सटीक, निष्पक्ष तथा वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन किया जा सकता है, जिसके आधार पर आरोपी की रिहाई का निर्णय और समयावधि का निर्धारण किया जा सकता है।

4. सजा का निर्धारण

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किसी अपराध के लिए उपयुक्त सजा के निर्धारण के लिए किया जा सकता है। जहां अभियुक्त का पूर्व अपराध एवं सजा अभिलेख, समान अपराधों के लिए सजा के प्रावधान, पीड़ित को मिलने वाले प्रतिकर, आदि तथ्यों का विश्लेषण करके सजा के उचित आंकलन में सहयोग किया जा सकता है।

5. बेहतर प्रशिक्षण कार्यक्रम

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का उपयोग पुलिसकर्मियों को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण देने के लिए भी किया जा सकता है, जिससे उन्हें नई तकनीकों के बारे में अधिक जानकारी मिल सकेगी। जो समय के साथ पुलिसिंग के बदलते स्वरूप में उनका बेहतर तालमेल बनाए रखने में उपयोगी सिद्ध हो सकता है।

6. सामान्य प्रशासन

पुलिस प्रणाली के सामान्य प्रशासन यथा- भर्ती, प्रशिक्षण, मूल्यांकन, ग्रेडिंग, वार्षिक प्रदर्शन/प्रगति रिपोर्ट, कार्मिकों के स्थानांतरण, पदस्थापन्न, अनुशासनात्मक कार्यवाही, पुरस्कार एवं पदोन्नति आदि में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का इस्तेमाल करके सामान्य प्रशासन को पारदर्शी, निष्पक्ष, जवाबदेही, मितव्ययी, कुशल और दक्षतापूर्ण प्रशासन के रूप में स्थापित किया जा सकता है। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन के अनेक मैन्युअल कार्यों को इस तकनीक से प्रतिस्थापित किया जा सकता है, जिसके बदले मुक्त होने वाले मानवीय संसाधनों को दूसरे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए नियोजित किया जा सकता है।

समग्र पुलिस प्रणाली में इस तकनीक के व्यापक और व्यवहारिक अनुप्रयोग पर विशेषज्ञों का मानना है कि इससे शहरों में अपराध को 40 प्रतिशत तक कम करने में मदद मिल सकती है और आपातकालीन सेवाओं में पुलिस की प्रतिक्रिया के समय में 20 से 35 प्रतिशत की कटौती संभव हो सकती है।

निष्कर्ष –

भारतीय पुलिस प्रणाली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का इस्तेमाल एक महत्वपूर्ण कदम है, जो वर्तमान पुलिस प्रणाली को और अधिक प्रभावी और कुशल बनाने में मदद करती है। नि:संदेह, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समकालीन पुलिसिंग का एक अभिन्न अंग बन गया है, जो त्वरित संचालन और बुद्धिमतापूर्ण समस्या-समाधान के लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य कर रहा है। वास्तव में, इसका प्रयोग कानून प्रवर्तन के क्षेत्र में एक उन्नत और तकनीकी रूप से निपुण सहयोगी के रूप में किया जा रहा है।

हालांकि, पुलिस प्रणाली में इसके जमीनी स्तर पर लागू करने में कई व्यवहारिक कठिनाइयाँ और चुनौतियां भी सामने आ रही है, जिसका उचित समाधान किया जाना आवश्यक है। इसके व्यापक अनुप्रयोग में अनुभव की जा रही चुनौतियों और कठिनाइयों के निराकरण हेतु एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना होगा, जिसमें तकनीकी, कानूनी, नैतिक और सामाजिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एक स्पष्ट नीति और प्रभावी कार्य योजना का निर्माण किया जा सके। पुलिस प्रणाली में इस तकनीक की भावी संभावनाओं को मध्य नजर रखते हुए सही और उत्तरदायी तरीके से नियोजित किया जाए, तो भारतीय पुलिसिंग के क्षेत्र में एक समयानुकूल और जन-अपेक्षित परिवर्तन और सुधार किया जा सकता है।

संदर्भ :

- "AI in the Service of Law Enforcement - An Introduction", National Cyber Crime Research & Innovation Centre (NCR&IC), BPR&D, Ministry of Home Affairs, New Delhi.
- FICCI and EY,"Predictive policing and way forward" (2018), available at: FICCI_EY_Predictive Policing group.pdf.
- H. Sheikh, C. Prins, and E. Schrijvers,"Artificial intelligence: Definition and background", In Mission AI. Research for policy. Springer (2023).
- Hifajatali Sayyed,"Artificial intelligence and criminal liability in India: exploring legal implications and challenges", Cogent Social Sciences, 10:1, (2024) 2343195, DOI: 10.1080/23311886.2024.2343195.
- Kavanagh,"Artificial intelligence. In new tech, new threats, and new governance challenges: An opportunity to craft smarter responses? (2019) 13–23, Carnegie Endowment for International Peace.
- Manoj Meena and Aishvarya Joshi, "AI Policing in Criminal Justice: Methods & Concerns in Crime Detection and Prevention in India", NFSU Journal of Law & Artificial Intelligence, 2:1, (June, 2023) 7-15, E-ISSN: 2584-1661.
- Meena Rani, "Impacts and ethics of using Artificial Intelligence (AI) by the Indian Police", Public Administration and Policy, 27:2, (2024) 182-192, DOI 10.1108/PAP-06-2023-0081.
- S. Chandak,"Artificial Intelligence and policing: a human rights perspective", NLUJ Law Review, 7:1, (2020) 43-69.
- W. Naudé & N. Dimitri,"The race for an artificial general intelligence: implications for public policy", AI & Society, 35:2, (2020) 367–379. https://doi.org/10.1007/s00146-019-00887-x.

फोरेंसिक साइंस का भारत में विकासः चुनौतियां और भविष्य की संभावनाएं

श्री शक्ति प्रकाश
अनुसंधान अधिकारी (फोरेंसिक विज्ञान)
राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, गुजरात

सारांश –
फोरेंसिक विज्ञान ने समय के साथ महत्वपूर्ण विकास देखा है और यह आधुनिक आपराधिक न्याय प्रणाली का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। इसका उपयोग अपराधों की जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और अपराधियों की पहचान तथा दोषी को सजा दिलाने में सहायक है। भारत में फोरेंसिक विज्ञान के क्षेत्र में कई चुनौतियाँ हैं, जिनमें बुनियादी ढांचे की कमी, प्रशिक्षित कर्मियों की कमी, और फोरेंसिक साक्ष्यों के कानूनी प्रक्रिया में सही तरीके से शामिल करने की जागरूकता का अभाव शामिल हैं। हालांकि, तकनीकी प्रगति जैसे मशीन लर्निंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, और अत्याधुनिक उपकरणों के प्रयोग से यह क्षेत्र आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा, भारत में फोरेंसिक विज्ञान के बारे में जागरूकता बढ़ने के साथ-साथ कई सुधारों की आवश्यकता है। हालांकि कुछ चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं, लेकिन वैश्विक सहयोग, निरंतर नवाचार, और समुचित प्रशिक्षण के माध्यम से इन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। फोरेंसिक विज्ञान का भविष्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सामूहिक उपयोग पर निर्भर करेगा, जो न्याय और कानून की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

फोरेंसिक विज्ञान ने इतिहास में बहुत बदलाव और प्रगति देखी है, जिसका कानून और कानूनी मामलों पर गहरा असर पड़ा है। यह लेख भारत में फोरेंसिक विज्ञान के इतिहास और भविष्य पर ध्यान देता है, और यह बताता है कि कैसे फोरेंसिक विज्ञान भारत में समय के साथ विकसित हुआ है। इसमें जांच में आने वाली चुनौतियों और फोरेंसिक विज्ञान के नए क्षेत्रों पर भी चर्चा की गई है।

जैसे-जैसे अपराध न्याय प्रणाली जटिल होती गई, फोरेंसिक विज्ञान का उपयोग जांच में मदद करने और कानून के तहत न्याय दिलाने में अहम भूमिका निभाने लगा। पहले फोरेंसिक विज्ञान को इतना महत्व नहीं दिया जाता था, लेकिन अब यह हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। यह बदलाव यह दिखाता है कि न्याय और सत्य की खोज में फोरेंसिक विज्ञान का कितना बड़ा योगदान है।

पहले साधारण तरीकों से शुरू होकर, अब फोरेंसिक विज्ञान में ऐसी उन्नत तकनीकें इस्तेमाल होती हैं, जो सबसे छोटे सबूतों की भी जांच कर सकती हैं। अपराध सुलझाने के लिए पुलिस और कानून प्रवर्तन एजेंसियां फोरेंसिक विज्ञान पर ज्यादा निर्भर हो गई हैं, जिससे इसकी अहमियत और बढ़ गई है। आजकल अपराधों की बढ़ती जटिलता के कारण, न्याय प्रणाली को सही और भरोसेमंद फोरेंसिक सबूतों की बहुत जरूरत होती है। इस वजह से फोरेंसिक विज्ञान अब कानूनी प्रक्रिया का एक अनिवार्य

हिस्सा बन गया है, जो जांच से लेकर फैसले तक हर कदम को प्रभावित करता है।

फोरेंसिक विज्ञान का व्यापक प्रसार

फोरेंसिक विज्ञान का विकास समय के साथ हुआ है और यह अपराधों के साथ ही शुरू हुआ। अपराधों की जांच में फोरेंसिक तकनीक का उपयोग धीरे-धीरे बढ़ता गया। 20वीं सदी की शुरुआत में यूरोप और अमेरिका में फोरेंसिक विज्ञान का विस्तार हुआ, जिससे दुनिया भर में इसमें बदलाव देखने को मिले। शुरुआत में यह सिर्फ मेडिकल क्षेत्र तक सीमित था, लेकिन अब यह कई अलग-अलग क्षेत्रों में फैल गया है और कई शाखाओं में विकसित हो चुका है।

पश्चिमी देशों में फोरेंसिक विज्ञान की उन्नति वहां के पेशेवरों और विशेषज्ञों की मेहनत का परिणाम है। वहां पर फोरेंसिक विज्ञान उन्नत तकनीकों और मानव विशेषज्ञता पर निर्भर है। भारत में, फोरेंसिक मेडिसिन को सबसे पहले 1827 में एक विषय के रूप में पढ़ाया गया था, और 1958 में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) में इसका आधुनिक विभाग स्थापित हुआ। भारत में फोरेंसिक विज्ञान का नेतृत्व मेडिकल पेशेवरों ने किया है, लेकिन कानूनी पेशेवरों में इस बारे में जागरूकता की कमी रही है। अब सरकारें और पुलिस इस क्षेत्र की अहमियत को समझने लगी हैं, जिससे फोरेंसिक प्रयोगशालाओं में सुधार हो रहा है।

दुनिया भर में फोरेंसिक विज्ञान की मांग बढ़ रही है। अमेरिका में, 2021 से 2031 तक फोरेंसिक तकनीशियनों की मांग में 11% की वृद्धि का अनुमान है, जो इस क्षेत्र के बढ़ते महत्व को दिखाता है। इंटरपोल और संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठनों ने भी फोरेंसिक विज्ञान के मानक तय करने में मदद की है। भारत में भी डीएनए प्रोफाइलिंग, फिंगरप्रिंट विश्लेषण और डिजिटल फोरेंसिक जैसी तकनीकें जटिल मामलों को हल करने में मददगार साबित हो रही हैं।

हालांकि, भारत में इस क्षेत्र को बुनियादी ढांचे, फंडिंग और प्रशिक्षित कर्मियों की कमी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा, फोरेंसिक साक्ष्य को कानूनी प्रक्रिया में सही ढंग से शामिल करने के लिए जागरूकता की भी कमी है। वैश्विक स्तर पर, विकसित देशों के पास फोरेंसिक के लिए मजबूत बुनियादी ढांचा है, जबकि विकासशील देश अभी इसमें सुधार कर रहे हैं। इस अंतर को खत्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और ज्ञान का आदान-प्रदान जरूरी है। फोरेंसिक विज्ञान का भविष्य बहुत उज्ज्वल है, खासकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग और उन्नत तकनीकों के आने से, जो इस क्षेत्र को और बेहतर बनाएंगे। इन तकनीकों से जांच की गति, सटीकता और गुणवत्ता में सुधार होगा।

फोरेंसिक विज्ञान में तकनीकी प्रगति ने भारत और दुनिया भर में आपराधिक जांच को अधिक सटीक और प्रभावी बना दिया है। भारत में, डीएनए प्रोफाइलिंग, डिजिटल फोरेंसिक, और फिंगरप्रिंट पहचान जैसी नई तकनीकों ने जांच के तरीकों को बदल दिया है। आधुनिक उपकरण, जैसे मास स्पेक्ट्रोमेट्री और क्रोमैटोग्राफी, ने साक्ष्य की जांच को और अधिक विश्वसनीय बनाया है। विश्वविद्यालयों ने भी इस क्षेत्र में रिसर्च और विकास के जरिए योगदान दिया है।

फोरेंसिक विज्ञान में तकनीकी प्रगति

अपराध स्थल की जांच में, फोरेंसिक वैज्ञानिक उन्नत उपकरणों का उपयोग करते हैं जो उन्हें सबूतों का गहराई से विश्लेषण करने में मदद करते हैं। क्राइम सीन किट में दस्ताने, सबूत बैग, और मार्कर जैसी जरूरी चीजें होती हैं जो घटनास्थल की सुरक्षा और जांच में काम आती हैं। फ़िंगरप्रिंट किट से छिपे हुए उंगलियों के निशान को पाउडर और ब्रश की मदद से साफ़ कर इकट्ठा किया जाता है। डस्ट लिफ्टिंग किट (DLK) सतहों से सूक्ष्म कणों के रूप में साक्ष्य इकट्ठा करने में मदद करती है। क्राइम लाइट किट खास लाइट का इस्तेमाल कर जैविक तरल पदार्थ और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्यों को बेहतर तरीके से दिखाती है। पैरों और जूतों के निशान को सटीक रूप में पकड़ने के लिए फ़ुट प्रिंट और शू प्रिंट कास्टिंग सामग्री का इस्तेमाल होता है। 3D क्राइम सीन स्कैनर अपराध स्थल का त्रि-आयामी पुनर्निर्माण करता है, जिससे साक्ष्य का सटीक विश्लेषण होता है। इन सभी को क्राइम सीन फ़ोटोग्राफ़ी यूनिट का समर्थन मिलता है, जो घटनास्थल की पूरी जानकारी को रिकॉर्ड करने में मदद करता है और बाद के विश्लेषण के लिए साक्ष्यों की सही स्थिति को बनाए रखता है।

ये तकनीकी प्रगति, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और ज्ञान साझाकरण

के साथ मिलकर, फोरेंसिक विज्ञान के क्षितिज को व्यापक बना रही है और न्याय की खोज में एक आवश्यक उपकरण के रूप में इसके महत्व को मजबूत कर रही है।

1.1 अपराध स्थल जांच

अपराध स्थल की जांच में, फोरेंसिक वैज्ञानिकों ने कई उन्नत उपकरणों और उपकरणों का उपयोग किया जो सबूतों का गहन विश्लेषण करने के लिए हैं। क्राइम सीन किट में घटनास्थल की सुरक्षा और जांच के लिए दस्ताने, सबूत बैग और मार्कर जैसी आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं। फ़िंगरप्रिंट किट छिपे हुए प्रिंटों को साफ़ करने और उठाने, पाउडर और ब्रश का उपयोग करके छिपे हुए सबूतों को उजागर करने के लिए महत्वपूर्ण है। डस्ट लिफ्टिंग किट (डीएलके - किट) सतहों से सूक्ष्म कण साक्ष्य एकत्र करने में भी सहायता करती है। क्राइम लाइट किट द्वारा उन्नत प्रकाश समाधान प्रदान किए जाते हैं, जो जैविक तरल पदार्थ, ट्रेस साक्ष्य और अन्य महत्वपूर्ण विवरणों की दृश्यता में सुधार करता है। छापों को पकड़ने के लिए, फ़ूड प्रिंट और जूता प्रिंट कास्टिंग सामग्री का उपयोग पैरों के निशान और जूते के प्रिंट के सटीक सांचे बनाने के लिए किया जाता है। 3डी क्राइम सीन स्कैनर जैसे उन्नत उपकरण सटीक स्थानिक विश्लेषण को सक्षम करते हुए, दृश्य का विस्तृत, त्रि-आयामी पुनर्निर्माण प्रदान करते हैं। क्राइम सीन फ़ोटोग्राफ़ी यूनिट इन उपकरणों को पूरक बनाती है और आगे के विश्लेषण के लिए साक्ष्य की अखंडता और संदर्भ को संरक्षित करते हुए, अपराध स्थल के व्यापक दृश्य दस्तावेज़ीकरण को सुनिश्चित करती है। साथ में, ये उपकरण अपराध स्थल जांचकर्ताओं के लिए एक आवश्यक शस्त्रागार बनाते हैं, जिससे उन्हें बेजोड़ सटीकता और विवरण के साथ साक्ष्य एकत्र करने और संरक्षित करने की अनुमति मिलती है।

चित्र 1: *3 डी अपराध दृश्य स्कैनर (व्यवहार विज्ञान और फोरेंसिक जांच स्कूल (SBSFI) – राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, 2024)*

चित्र 2: *इलेक्ट्रोस्टैटिक डस्ट प्रिंट लिफ्टर किट (व्यवहार विज्ञान और फोरेंसिक जांच स्कूल (SBSFI) – राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, 2024)*

चित्र 3: *क्राइम लाइट किट (व्यवहार विज्ञान और फोरेंसिक जांच स्कूल (SBSFI) – राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, 2024)*

1.2 वीडियो स्पेक्ट्रल तुलनित्र-6000/HS

यह एक खास उपकरण है जो दस्तावेजों का विश्लेषण करने के लिए अलग-अलग प्रकार की रोशनी का उपयोग करता है। यह विभिन्न तरंग दैर्ध्य का इस्तेमाल कर दस्तावेजों में हुए बदलावों का पता लगाता है। इसका उपयोग महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जांच में किया जाता है, और एक कैमरा इसमें लगी हुई छवि को स्क्रीन पर दिखाता है जिसे बाद में रिकॉर्ड किया जा सकता है।

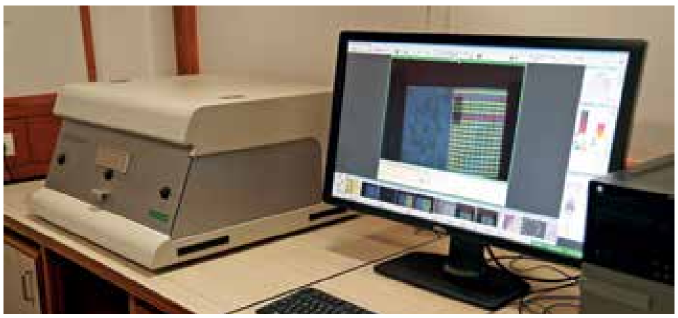

चित्र 4: *वीडियो स्पेक्ट्रल तुलनित्र 6000/HS (व्यवहार विज्ञान और फोरेंसिक जांच स्कूल (SBSFI) – राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, 2024)*

चित्र 5: *स्टीरियोमाइक्रोस्कोप (व्यवहार विज्ञान और फोरेंसिक जांच स्कूल (SBSFI) – राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, 2024)*

1.3 यूवी-विज़िबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर

यह उपकरण सामग्री के अवशोषण, उत्सर्जन, और परावर्तन गुणों का अध्ययन करने के लिए उपयोग किया जाता है। फोरेंसिक विज्ञान में, इसका उपयोग जैविक नमूनों, जैसे कि दवाओं, ज़हर, और अल्कोहल की पहचान करने के लिए होता है। यह पेंट और फाइबर की जांच, दस्तावेज़ों के विश्लेषण, और आगजनी के त्वरक की पहचान में भी मदद करता है। इसकी खासियत यह है कि यह बिना नमूने को नुकसान पहुंचाए उसका विश्लेषण कर सकता है, जिससे यह विभिन्न प्रकार के साक्ष्य एकत्र करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण बन जाता है।

चित्र 6: *यूवी-विज़िबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर (व्यवहार विज्ञान और फोरेंसिक जांच स्कूल (SBSFI) – राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, 2024)*

1.4 एनर्जी डिस्पर्सिव एक्स-रे फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर (EDXRF)

ऊर्जा फैलाने वाला एक्स-रे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर (EDXRF) एक उपकरण है जिसका उपयोग पदार्थों में मौजूद तत्वों को पहचानने के लिए किया जाता है। इसमें एक्स-रे का एक बीम किसी नमूने पर डाला जाता है, जिससे नमूना एक विशेष प्रकार की रोशनी (जिसे एक्स-रे प्रतिदीप्ति कहते हैं) निकालता है। इस रोशनी को मापकर पता लगाया जाता है कि उस नमूने में कौन-कौन से तत्व हैं। यह प्रक्रिया एक अंधेरे कमरे में होती है और इसमें एक खास बल्ब का उपयोग किया जाता है। एक्स-रे बीम नमूने में से गुजरते हैं और विशेष सेंसर उनके संकेतों को पकड़ कर बताते हैं कि नमूने में कौन से तत्व मौजूद हैं।

चित्र 7: *एनर्जी डिस्पर्सिव एक्स-रे फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर (व्यवहार विज्ञान और फोरेंसिक जांच स्कूल (SBSFI) – राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, 2024)*

1.5 क्षीण कुल परावर्तन - फूरियर ट्रांसफॉर्म इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर (ATR-FTIR)

ATR-FTIR एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग फोरेंसिक जांच में रोजमर्रा के पदार्थों की पहचान के लिए किया जाता है। इसे अवैध दवाओं, गोली के अवशेष और दवाइयों की पहचान के लिए खासतौर पर उपयोग किया जाता है। ATR-FTIR का उपयोग करना आसान होता है और यह बहुत जल्दी, कुछ सेकंड में ही परिणाम देता है। यह विधि नमूने को नुकसान नहीं पहुंचाती और बहुत छोटे नमूने के साथ भी काम करती है, जिससे खतरनाक रसायनों का जोखिम कम होता है। इस तकनीक का उपयोग कई तरह के भौतिक साक्ष्य के विश्लेषण के लिए किया जा सकता है।

चित्र 8: *क्षीण कुल परावर्तन - फूरियर ट्रांसफॉर्म इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर (व्यवहार विज्ञान और फोरेंसिक जांच स्कूल (SBSFI) – राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, 2024)*

1.6 हाई-परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमैटोग्राफ (HPLC)

HPLC एक उन्नत लिक्विड क्रोमैटोग्राफी तकनीक है जो उच्च दबाव का उपयोग करके जटिल नमूनों के घटकों को अलग करती है। इसमें छोटे कणों वाले कॉलम का उपयोग होता है, जिससे बेहतर रिज़ॉल्यूशन, अधिक संवेदनशीलता, और तेज़ विश्लेषण समय मिलता है। भारत में, HPLC का उपयोग दवाओं, ज़हर और कृषि रसायनों के विश्लेषण के साथ-साथ फोरेंसिक जांच में होता है। हालाँकि भारत में इस तकनीक का इस्तेमाल अभी अन्य देशों के मुकाबले कम है, लेकिन सुधार की संभावना है।

चित्र 9: *हाई-परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमैटोग्राफ (HPLC) (व्यवहार विज्ञान और फोरेंसिक स्कूल जांच (SBSFI) – राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, 2024)*

1.7 माइक्रोस्कोपी

माइक्रोस्कोपी फोरेंसिक विज्ञान में छोटे साक्ष्यों की पहचान और विश्लेषण के लिए अहम है। यह जैविक नमूनों, कीट लार्वा, फाइबर, पेंट, और कांच के टुकड़ों की जांच में मदद करता है। इसका उपयोग दस्तावेज़ों के विश्लेषण, बंदूक की गोली के अवशेषों की पहचान और आग्नेयास्त्रों से जुड़ी जांच में भी किया जाता है। सूक्ष्म विवरणों को देखने की इसकी क्षमता इसे अपराध सुलझाने का एक महत्वपूर्ण उपकरण बनाती है।

चित्र 10: *तुलना माइक्रोस्कोप (व्यवहार विज्ञान और फोरेंसिक जांच स्कूल (SBSFI) – राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, 2024)*

1.8 ऑडियो और वीडियो प्रमाणीकरण

ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग की सत्यता की जांच का महत्व हाल के दिनों में काफी बढ़ा है, क्योंकि डिजिटल रिकॉर्डिंग में छेड़छाड़ का जोखिम बढ़ गया है। आपराधिक जांच और अदालती मामलों में इसका उपयोग होता है। बायोमेट्रिक तकनीकें भी फोरेंसिक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जो पहचान सत्यापित करने और सुरक्षा प्रणालियों में उपयोग होती हैं। फोरेंसिक विज्ञान में कई वैज्ञानिक विषयों, जैसे रसायन विज्ञान, जीवविज्ञान और भौतिक साक्ष्यों का अध्ययन शामिल होता है।

चित्र 11: *वॉयस स्पेक्ट्रोग्राफ (व्यवहार विज्ञान और फोरेंसिक जांच स्कूल (SBSFI) – राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, 2024)*

चित्र 12: *Amped FIVE फोरेंसिक इमेजिंग और वीडियो एन्हांसमेंट (व्यवहार विज्ञान और फोरेंसिक जांच स्कूल (SBSFI) – राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, 2024)*

दुनिया भर में चुनौतियाँ और अवसर

फोरेंसिक विज्ञान वर्तमान में विश्व स्तर पर कई चुनौतियों और अवसरों का सामना कर रहा है। एक बड़ी चुनौती उपकरणों और प्रौद्योगिकी की तेजी से प्रगति है, जिसके लिए अद्यतन रहने के लिए फोरेंसिक तरीकों के निरंतर प्रशिक्षण और अद्यतन की आवश्यकता होती है। उन्नत उपकरणों और प्रौद्योगिकियों के साथ, अपराधी भी आपराधिक गतिविधियों के लिए अपने तरीके विकसित कर रहे हैं जो एक चुनौती है, जिसके लिए अधिक परिष्कृत और सटीक फोरेंसिक उपकरणों और विकसित तकनीकों की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त, फोरेंसिक प्रथाओं में मानकीकरण और गुणवत्ता नियंत्रण के बारे में चिंताएं, साक्ष्य की विश्वसनीयता विभिन्न क्षेत्रों और देशों के बीच काफी भिन्न हो सकती हैं। हालाँकि, ये चुनौतियाँ प्रगति और नवाचार के अवसर भी प्रदान करती हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और उन्नत विश्लेषणात्मक उपकरण जैसी नई तकनीकों में फोरेंसिक जांच में क्रांति लाने की क्षमता है। वैश्विक सहयोग और ज्ञान साझा करने से प्रथाओं को मानकीकृत करने और फोरेंसिक विज्ञान की समग्र गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा, फोरेंसिक विज्ञान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ने से अधिक फंडिंग, अनुसंधान के अवसर और अधिक व्यापक फोरेंसिक कार्यक्रमों और सुविधाओं की स्थापना हो सकती है, जिससे अंततः दुनिया भर में न्याय की खोज में फोरेंसिक विज्ञान की क्षमताओं में वृद्धि हो सकती है।

बैकलॉग में कमी

फोरेंसिक विज्ञान के क्षेत्र में ऐसे मामलों की भरमार है जिन्हें प्रयोगशाला में संसाधित नहीं किया गया है और इसके कारणों में कर्मचारियों की कमी भी शामिल है, यहां तक कि सबसे बड़े कारणों में से एक जब महामारी ने दुनिया को गंभीर रूप से प्रभावित किया, जहां दुनिया ने भारी मंदी देखी है। अनुमान है कि 2020 से 2024 तक बड़ी संख्या में अनसुलझे मामले होंगे। इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए, फोरेंसिक विज्ञान समुदाय खुफिया उद्देश्यों के लिए शीघ्र विश्लेषण पर नए सिरे से जोर देने की वकालत कर रहा है। इन चुनौतियों के बावजूद, मामलों के बैकलॉग में सबूतों को संरक्षित करने और नए मामले प्राप्त होने पर बैकलॉग को कम करने जैसे फायदे हो सकते हैं। आपराधिक न्याय संगठनों के लिए बैकलॉग को संबोधित करना सर्वोच्च प्राथमिकता है।

गुणवत्ता आश्वासन और प्रत्यायन

फोरेंसिक विज्ञान एकीकरण गुणवत्ता आश्वासन, मान्यता, डिजिटलीकरण, स्वचालन/सॉफ्टवेयर विकास और मानव संसाधन प्रशिक्षण पर जोर देता है। यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्तम प्रथाओं के आधार पर न्यूनतम मानक निर्धारित करता है और अदालत में फोरेंसिक विज्ञान विशेषज्ञों की विशेषज्ञता को साबित करता है। विभिन्न देशों की आवश्यकताओं को समायोजित करने के लिए अनुकूलित मानक आवश्यक हैं। प्रमाणन कार्यक्रम विकसित करना पारंपरिक मान्यता की तुलना में अधिक व्यवहार्य विकल्प हो सकता है, जिसके लिए महत्वपूर्ण संसाधनों की आवश्यकता होती है। प्रत्यायन सुनिश्चित करता है कि फोरेंसिक सेवा प्रदाताओं के पास प्रभावी वैज्ञानिक प्रथाएं

और विश्वसनीय सबूत हों। फोरेंसिक विज्ञान में विश्वास पैदा करने के लिए आईएसओ/आईईसी 17025 मान्यता आवश्यक है। अमेरिकी सरकार तकनीकी और व्यावसायिक क्षमता प्रदर्शित करने के लिए फोरेंसिक सेवा प्रदाताओं को मान्यता देने की भी सिफारिश करती है। फोरेंसिक सेवाओं की आंतरिक और बाह्य मान्यता की आवश्यकता का समर्थन करने के लिए मान्य, सत्यापित और समीक्षा किए गए उपकरण, प्रक्रियाएं, प्रक्रियाएं और विधियां महत्वपूर्ण हैं।

21वीं सदी के युग में फोरेंसिक विज्ञान

21वीं सदी में फोरेंसिक विज्ञान ने अभूतपूर्व सटीकता और नवीनता के साथ आपराधिक न्याय के परिदृश्य को बदल दिया है। डीएनए प्रोफाइलिंग और डिजिटल फोरेंसिक से लेकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अत्याधुनिक इमेजिंग तकनीकों तक, फोरेंसिक विज्ञान अब अद्वितीय सटीकता के साथ सबसे जटिल रहस्यों को सुलझाता है। यह नया युग न केवल त्वरित और निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करता है बल्कि अपराधों को सुलझाने में प्रौद्योगिकी की असाधारण क्षमता को भी प्रदर्शित करता है। एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करें जहां विज्ञान कानून से मिलता है, जांच में क्रांति लाता है और न्याय के स्तंभों को मजबूत करता है जैसा पहले कभी नहीं हुआ।

भारत में फोरेंसिक प्रथाओं में प्रगति

2024 में, भारत ने औपनिवेशिक युग के ढांचे से हटकर अपनी आपराधिक न्याय प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए तीन नए कानून- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएनए) पेश किए। ये कानून फोरेंसिक प्रशिक्षण और बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश के साथ प्रौद्योगिकी और फोरेंसिक पर जोर देते हैं। 23,000 से अधिक प्रशिक्षक लगभग 2.25 मिलियन पुलिस अधिकारियों को नई फोरेंसिक आवश्यकताओं के बारे में शिक्षित करेंगे। प्रमुख प्रावधानों में गंभीर अपराधों के लिए अनिवार्य फोरेंसिक जांच, डिजीटल एफआईआर और आरोप पत्र, और फोरेंसिक प्रयोगशालाओं में पर्याप्त उन्नयन शामिल हैं। कानून पीड़ित-केंद्रित दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करते हैं, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों के लिए, और कानून प्रवर्तन और न्यायिक अधिकारियों के लिए उन्नत फोरेंसिक एकीकरण और व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से न्याय में तेजी लाने का लक्ष्य रखते हैं।

दुनिया भर में फोरेंसिक प्रथाओं का भविष्य

आरंभ करने के लिए, अर्जेंटीना, कोलंबिया, फ्रांस, जर्मनी, मिस्र, कोरिया और कई अन्य देशों में फोरेंसिक विज्ञान का व्यापक मूल्यांकन अनिवार्य है, विशेष रूप से विशेषज्ञ रिपोर्ट, बुनियादी ढांचे, परिचालन प्रक्रियाओं, पेशेवर प्रशिक्षण से संबंधित न्यायाधीशों और अभियोजकों की संतुष्टि पर जोर देने के साथ। अनुसंधान की स्थिति-वर्तमान में, फोरेंसिक विज्ञान का समर्थन करने वाली स्थापित नीतियों का अभाव है, और परिवर्तन राज्य की नीतियों के बजाय व्यक्तिगत प्रयासों पर निर्भर करते हैं। न्यायाधीशों और अभियोजकों के लिए वैज्ञानिक साक्ष्य के महत्व को पहचानना और प्रणाली को अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ संरेखित करना महत्वपूर्ण है, जैसा कि आमतौर पर नैदानिक चिकित्सा में देखा जाता है, लेकिन फोरेंसिक चिकित्सा में नहीं। राजनीतिक कानून और व्यवस्था के साथ फोरेंसिक विज्ञान के सहयोग से प्रदान की जाने वाली बजट सुरक्षा तेजी से आगे बढ़ने वाली प्रौद्योगिकियों, जैसे कि घटनास्थल पर परीक्षण, त्रुटि दरों का सत्यापन और खुफिया-नेतृत्व वाली पुलिसिंग को अपनाने के लिए महत्वपूर्ण है। फोरेंसिक चिकित्सा में, लागत प्रभावी विशेषज्ञता के उपयोग, पैरामेडिकल कौशल और सीटी और एमआरआई जैसी प्रौद्योगिकियों को प्राथमिकता देने की दिशा में बदलाव हुआ है, हालांकि शव परीक्षा कई सेवाओं में अभिन्न अंग बनी हुई है। इस बीच, कोलंबिया में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल मेडिसिन एंड फोरेंसिक साइंसेज को सशस्त्र संघर्ष से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, लेकिन अब सांस्कृतिक, नस्लीय, धार्मिक और लैंगिक विविधता को अपनाने वाली नीतियों के साथ संघर्ष के बाद के परिदृश्यों के लिए तैयारी कर रहा है। इसमें दूरदराज के क्षेत्रों के लिए मोबाइल मुर्दाघर, घरेलू हिंसा और यौन अपराध पीड़ितों के लिए प्रोटोकॉल और आपदा प्रबंधन योजनाएं जैसी पहल शामिल हैं। जैसे-जैसे संस्थान अपनी 100वीं वर्षगांठ के करीब पहुंच रहा है, इसका लक्ष्य वर्चुअल ऑटोप्सी तकनीकों और आणविक ऑटोप्सी को आगे बढ़ाना, फोरेंसिक प्रयोगशालाओं

को मान्यता देना और अनुसंधान और शिक्षण क्षमताओं को बढ़ाना है।

निष्कर्ष

संक्षेप में, भारत और विश्व स्तर पर फोरेंसिक विज्ञान की प्रगति ने 21वीं सदी की आपराधिक न्याय प्रणाली में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाया है। परिष्कृत प्रौद्योगिकियों के उपयोग ने आपराधिक जांच की सटीकता और प्रभावशीलता में काफी वृद्धि की है। भारत में हाल के कानूनी सुधार, जिसका उद्देश्य फोरेंसिक प्रथाओं को आधुनिक बनाना है, न्याय सुनिश्चित करने के लिए वैज्ञानिक तरीकों को अपनाने की विश्वव्यापी प्रवृत्ति के अनुरूप हैं। प्रगति के बावजूद, अपर्याप्त बुनियादी ढांचे, व्यापक प्रशिक्षण की आवश्यकता और कानूनी प्रक्रिया में फोरेंसिक साक्ष्य के एकीकरण जैसी बाधाएं अभी भी मौजूद हैं। निरंतर निवेश, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और निरंतर नवाचार के माध्यम से इन चुनौतियों का समाधान करना महत्वपूर्ण है। अंततः, फोरेंसिक विज्ञान का भविष्य नई प्रौद्योगिकियों और अंतःविषय दृष्टिकोणों को अपनाने की क्षमता पर निर्भर करता है, जिससे निष्पक्ष और प्रभावी न्याय सुनिश्चित करने में इसकी भूमिका मजबूत होती है। ऐतिहासिक उत्पत्ति से लेकर वर्तमान प्रगति तक फोरेंसिक विज्ञान का विकास, आधुनिक आपराधिक न्याय प्रणाली में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है, जो इसके निरंतर विकास और प्रभाव के लिए एक आशाजनक दृष्टिकोण पेश करता है।

संदर्भ :

- Kathane, P., Singh, A., Gaur, J., & Krishan, K. (2021). The development, status and future of forensics in India. Forensic Science International. Reports, 3, 100215. https://doi.org/10.1016/j.fsir.2021.100215
- Stankiewicz, H. (2007). Investigating the Worldwide Popularity of Forensics (pp. 1–20) [Dissertation and theses Investigating the Worldwide Popularity of Forensics]. https://digitalcommons.salve.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1012&context=pell_theses
- Bouzin, J. T., Lópes, T., Heavey, A. L., Parrish, J., Sauzier, G., & Lewis, S. W. (2023). Mind the gap: The challenges of sustainable forensic science service provision. Forensic Science International: Synergy, 6, 100318. https://doi.org/10.1016/j.fsisyn.2023.100318
- World Population Review. "Crime Rate by Country 2023." World Population Review, 2024, worldpopulationreview.com/country-rankings/crime-rate-by-country.
- Annapoorni Ammal, Vijay Kumar Yadav, Nigam, K., & Srivastava, A. (2023). Instruments and Techniques in Forensic Science. 121–175. https://doi.org/10.1007/978-981-99-1377-0_5
- Baylor, M. (n.d.). Professional Review and Commentary a. http://forensicsciencereview.com/Abstract/33(2)-0-C%20(R&C)%20Full%20text.pdf
- Fakiha, B. (2019). Technology in Forensic Science. ProQuest. https://www.proquest.com/docview/2655577082?pq-origsite=gscholar&fromopenview=true&sourcetype=Scholarly%20Journals
- FORENSIC SCIENCE. (2016, May 6). Justice.gov. https://www.justice.gov/archives/dag/forensic-science
- Forensics. (n.d.). Law Enforcement. https://le.fbi.gov/science-and-lab/forensics
- NACJD | About. (n.d.). Www.icpsr.umich.edu. https://www.icpsr.umich.edu/web/pages/NACJD/about.html
- School of Behavioural Sciences and Forensic Investigations (SBSFI) – Rashtriya Raksha University. (2024). Rru.ac.in. https://rru.ac.in/school-of-behavioural-sciences-and-forensic-investigations-sbsfi/

- Kanwal, N., Jat, D., & Malhotra, M. (2015). Spectral analysis of various security features in the Indian currency note of highest denomination using Video Spectral Comparator-40. IJISET - International Journal of Innovative Science, Engineering & Technology, 2(11). https://ijiset.com/vol2/v2s11/IJISET_V2_I11_106.pdf
- Wolstenholme, R. (2020). Ultraviolet–Visible and Fluorescence Spectroscopy. Analytical Techniques in Forensic Science, 115–143. https://doi.org/10.1002/9781119373421.ch6
- Akash, M. S. H., & Rehman, K. (2019). Ultraviolet-Visible (UV-VIS) Spectroscopy. Essentials of Pharmaceutical Analysis, 29–56. https://doi.org/10.1007/978-981-15-1547-7_3
- Alkhuder, K. (2022). Attenuated total reflection-Fourier transform infrared spectroscopy: a universal analytical technique with promising applications in forensic analyses. International Journal of Legal Medicine, 136(6), 1717–1736. https://doi.org/10.1007/s00414-022-02882-2
- Srinivasa Murthy Pedapudi, & Nagalakshmi Vadlamani. (2023). Digital forensics approach for handling audio and video files. Measurement: Sensors, 29, 100860–100860. https://doi.org/10.1016/j.measen.2023.100860
- Airlie, M., Robertson, J., Krosch, M. N., & Brooks, E. (2021). Contemporary issues in forensic science –worldwide survey results. Forensic Science International, 320, 110704. https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2021.110704
- https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2021.110779
- Doyle, S. (2019). A review of the current quality standards framework supporting forensic science: Risks and opportunities. Wiley Interdisciplinary Reviews: Forensic Science, 2(3). https://doi.org/10.1002/wfs2.1365
- Prevalence of Forensic Science in the New Criminal Laws – Lexicon Legal. (n.d.). Retrieved August 1, 2024, from https://lexiconlegal.in/prevalence-of-forensic-science-in-the-new-criminal-laws/#:~:text=In%202024%2C%20India%20embarked%20on

वीआईपी सुरक्षा में आधुनिक तकनीकों के साथ आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस का समावेश:अन्वेषणात्मक अध्ययन

डॉ. कौशल शर्मा (वैज्ञानिक अधिकारी),
डॉ. कपिल देव (संयुक्त निदेशक)
उत्तर प्रदेश विधि विज्ञान प्रयोगशाला, लखनऊ

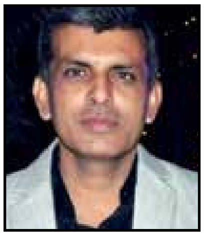

सारांश –
वीआईपी सुरक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के समावेश से सुरक्षा एजेंसियों को अत्याधुनिक तकनीकी उपकरणों का लाभ मिल सकता है, जिससे सुरक्षा प्रोटोकॉल को और अधिक प्रभावी तरीके से लागू किया जा सके। यह AI द्वारा संचालित उपकरण डेटा संग्रहण, विश्लेषण और निगरानी के क्षेत्रों में मदद करते हैं, जिससे सुरक्षा संचालन को बेहतर और तेज़ तरीके से किया जा सकता है। AI आधारित कंप्यूटर विज़न तकनीकें CCTV कैमरों से प्राप्त वीडियो डेटा का वास्तविक समय में विश्लेषण करने में सक्षम हैं। AI और ड्रोन के संयोजन से सुरक्षा बलों को व्यापक क्षेत्रों की निगरानी में मदद मिलती है। उपग्रहों द्वारा प्रदान की गई उच्च-रिज़ॉल्यूशन छायाचित्रों और इमेजिंग तकनीकों का उपयोग करके, सुरक्षा एजेंसियां व्यापक क्षेत्र निगरानी कर सकती हैं। आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस की तकनीकों का समावेश वीआईपी सुरक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार ला सकता है। यह न केवल सुरक्षा को अधिक प्रभावी बनाता है बल्कि विभिन्न प्रकार के खतरों से निपटने की क्षमता को भी बढ़ाता है। इन तकनीकों का उपयोग करने से सुरक्षा एजेंसियां बेहतर पूर्वानुमान, त्वरित प्रतिक्रिया और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित कर सकती हैं।

परिचय

जनसंख्या के दृष्टिकोण से एक बहुसंख्यक राष्ट्र के रूप में भारत अनेक प्रतिष्ठित एवं गणमान्य व्यक्तियों (VIPs) को सुरक्षा प्रदान करता है जो सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक रूप से प्रभावशाली व महत्व के पदों पर आसीन होते हैं। इनमें राष्ट्राध्यक्ष, अन्य देशों से आने वाले राजनयिक, गणमान्य व्यक्ति एवं उनके राजदूत/दूतावास से सम्बन्धित अधिकारी, न्यायाधीश, प्रमुख राजनीतिक हस्तियाँ, सार्वजनिक हस्तियाँ और प्रतिष्ठित अधिकारीगण भी शामिल होते हैं। ये व्यक्ति राष्ट्र की संप्रभुता, सम्पन्नता तथा शक्ति का प्रतीक होते हैं, जिसके कारण वे राष्ट्रीय सुरक्षा और स्थिरता को बाधित करने वाले राष्ट्र विरोधी तत्वों के निशाने पर रहते हैं । इन व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना न केवल राष्ट्र की प्रभावी कार्यप्रणाली के लिए, बल्कि राजनीतिक

स्थिरता, सार्वजनिक विश्वास एवं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में देश की शक्ति और स्थिरता को अक्षुण्ण रखने के लिए भी महत्वपूर्ण एवं आवश्यक है। इनकी सुरक्षा लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की रक्षा करने, राष्ट्र, शासन और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है ताकि वे अपने नियत कार्यदायित्वों का पालन भयमुक्त वातावरण में कर सकें, जो पारदर्शी शासन और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है ।

वीआईपी सुरक्षा सुनिश्चित करने, सम्बन्धित खतरों व आने वाली विपत्तियों का आकलन करने के लिए सुरक्षा एजेंसियां विभिन्न डेटा संग्रहण स्रोतों और तरीकों का उपयोग करती हैं। मानव स्रोतों, जैसे सूचनाकार, एजेंट और खुफिया नेटवर्क से जानकारी प्राप्त करना इसका एक महत्वपूर्ण अवयव है। इसके अतिरिक्त सुरक्षा एजेंसियां, फोन कॉल, ईमेल, टेक्स्ट संदेश और इंटरनेट संचारों को अवरोधित करके डेटा एकत्र करती हैं। ओपन-सोर्स इंटेलिजेंस (OSINT), जिसे कई बार अनदेखा कर दिया जाता है, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध स्रोतों जैसे समाचार, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म, वेबसाइट्स, ब्लॉग्स और सार्वजनिक अभिलेखों से जानकारी एकत्र करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इनके साथ-साथ उपग्रहों व अन्य स्रोतों से प्राप्त भू-स्थानिक खुफिया जानकारी (Geospatial Intelligence) भी एक महत्वपूर्ण साधन है, जो सुरक्षा एजेंसियों को प्रदत्त सुरक्षा प्रणाली में कमजोरियों की पहचान करने, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की मैपिंग करने और विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों में गतिविधियों की निगरानी करने में मदद करता है।

विभिन्न खुफिया स्रोतों से डेटा का संचयन अनेक रूपों में (छायाचित्र, वीडियो, टेक्स्ट आदि) किया जाता है । स्रोतों की व्यापकता के अतिरिक्त संकलित डेटा परिमाण में अत्यंत विशाल होता है। उदाहरण के लिए, तकनीकी विशेषज्ञ पॉल बिस्चॉफ की मई 2023 की एक ऑनलाइन रिपोर्ट[1] के अनुसार, हैदराबाद, इंदौर और दिल्ली, विश्व (चीन को छोड़कर) के शीर्ष शहरों में से हैं, जहाँ प्रति 1000 व्यक्ति जनसँख्या पर सर्वाधिक कैमरे निगरानी हेतु तैनात (CCTV) हैं। हैदराबाद में प्रति 1000 व्यक्तियों पर लगभग 83 कैमरे, इंदौर में 61 और दिल्ली में 20 सीसीटीवी कैमरे हैं। इसी प्रकार, दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई और मुंबई प्रति वर्ग मील पर सबसे अधिक सीसीटीवी कैमरों वाले शहर हैं, जिसमें दिल्ली लगभग 1490 सीसीटीवी कैमरों के साथ अग्रणी है। वर्ष 2021 में पुलिस अनुसन्धान एवं विकास ब्यूरो (BPR&D) द्वारा जारी आंकडों[2] के अनुसार, भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस एजेंसियों के पास लगभग 5.69 लाख सीसीटीवी कैमरे उपलब्ध हैं।

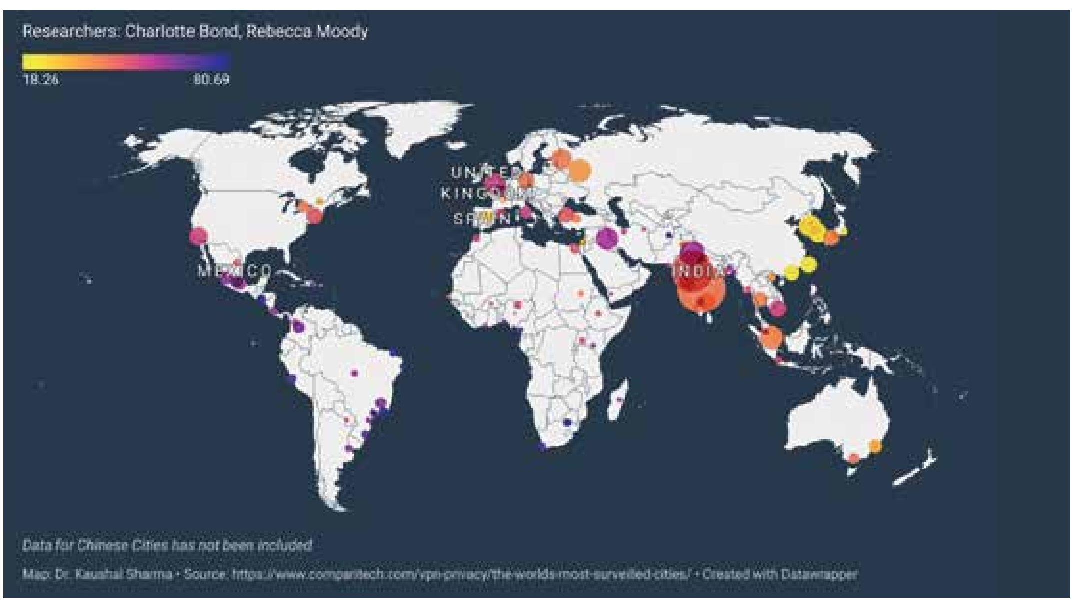

वैश्विक स्तर पर विभिन्न शहरों के लिए सीसीटीवी कैमरों की संख्या (प्रति 1000 व्यक्ति) (स्रोत: "Surveillance camera statistics: which cities have the most CCTV cameras?"[3])।

[1] Comparitech. The world's most surveilled cities by Paul Bischoff (May 23, 2023). Retrieved from https://www.comparitech.com/vpn-privacy/the-worlds-most-surveilled-cities/

[2] Bureau of Police Research & Development. (n.d.). Data on Police Organizations as on 01 January. Ministry of Home Affairs, Govt. of India. Retrieved from https://bprd.nic.in/WriteReadData/News/DoPO-21f%20%20.pdf

[3] https://www.comparitech.com/vpn-privacy/the-worlds-most-surveilled-cities/

उक्त आंकड़े सरकारी व गैर-सरकारी तौर पर संचालित सीसीटीवी कैमरों द्वारा प्रत्येक दिन में संकलित किये जाने वाले डेटा की विशालता का अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त हैं। सीसीटीवी कैमरे बहुआयामी सुरक्षा के विभिन्न स्रोतों में से केवल एक माध्यम है जिसके द्वारा प्रतिदिन डेटा एकत्र किया जाता है । वीडियो निगरानी के अतिरिक्त सुरक्षा एजेंसियां अन्य स्रोतों से भी मूल्यवान जानकारी एकत्र करती हैं। ओपन-सोर्स इंटेलिजेंस (OSINT), सरल भाषा में सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध जानकारी, एक अन्य पहलू है जिसका विश्लेषण सुरक्षा एजेंसियों द्वारा किया जाता है, जबकि उपग्रहों से प्राप्त भू-स्थानिक डेटा छायाचित्रों के रूप में प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा, वित्तीय व तकनीकी डेटा बड़े सेट्स के रूप में एकत्र किया जाता है, जो अतिरिक्त अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

डेटा की विशालता व अधिकता के दृष्टिगत इसका वीआईपी सुरक्षा के दृष्टिकोण से एकीकृत रूप में कुशलतापूर्ण उपयोग एवं विश्लेषण सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा इसका मैनुअल विश्लेषण अव्यावहारिक है, जिसके परिणामस्वरूप इसका पूरा उपयोग नहीं हो पाता और लक्षित परिणाम प्राप्त नहीं होते। यह भी उल्लेखनीय है कि विभिन्न एजेंसियों द्वारा डेटा एकत्रीकरण की विधियों व डेटा के प्रकार में इतनी विषम रूपता विद्यमान है, जो डेटा के सम्यक रूप से विश्लेषण में और जटिलता उत्पन्न करती है। उक्त तथ्य पुलिस व सुरक्षा एजेंसियों द्वारा एकत्र की गई खुफिया जानकारी के लिए स्वचालित विश्लेषण विधियों के उपयोग के महत्व व अनिवार्यता को भी रेखांकित करते हैं ।

विगत तीन से चार दशकों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस या AI) के क्षेत्र में तीव्र प्रगति, कंप्यूटिंग संसाधनों की प्रचुर उपलब्धता एवं कम्प्यूटेशनल शक्ति में विकास ने विशाल डेटा की मात्रा के स्वचालित विश्लेषण को सक्षम बनाया है । AI एल्गोरिदम व अन्य सम्बन्धित उन्नत तकनीकें वीआईपी सुरक्षा सुचारू संचालन के लिए कुशल डेटा विश्लेषण और पूर्वानुमान प्रदान करने में अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त सुरक्षा एजेंसियों द्वारा एकत्र किये गये डेटा के परिमाण, जटिलता, असंरचित रूप व विषमता के दृष्टिगत यह आवश्यक हो जाता है कि मानकीकृत डेटा नीतियां, साझाकरण प्लेटफ़ॉर्म, सुसंगत प्रोटोकॉल और परिचालन ढांचे स्थापित किए जाएं जो इस क्षेत्र में कार्यरत एजेंसियों के बीच निर्बाध सहयोग सुनिश्चित करें। इन क़दमों की सहायता से वीआईपी सुरक्षा प्रणाली को सुदृढ़ीकरण करने के साथ साथ सरकारी संगठनों के पारस्परिक सहयोग से एकत्रित डेटा का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है।

सहयोग, समन्वय एवं प्रोटोकॉल

वीआईपी सुरक्षा एक ऐसा कार्य है जिसमें सुरक्षा एजेंसियों का समन्वय एवं सहयोग आवश्यक होता है। प्रत्येक देश की अपनी समर्पित सुरक्षा एजेंसियां और विशेष इकाइयाँ होती हैं, जो वीआईपी सुरक्षा प्रोटोकॉल को लागू करने और उनके राजनीतिज्ञों एवं महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित होती हैं। भारत में वीआईपी सुरक्षा प्रोटोकॉल मुख्य रूप से केन्द्रीय गृह मंत्रालय और राज्य सरकारों द्वारा साझा रूप से संचालित होते हैं। इन प्रोटोकॉल का कार्यान्वयन विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के माध्यम से किया जाता है, जैसे कि विशेष सुरक्षा दल (SPG), राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF), केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF), केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) और राज्य पुलिस, जो खुफिया एजेंसियों से प्राप्त इनपुट्स के आधार पर कार्य करती हैं। इन एजेंसियों के सुरक्षा प्रदान करने के प्रोटोकॉल में प्राप्त जानकारियों के आधार पर खतरे का आंकलन करना, संरक्षित व्यक्तियों के लिए संभावित जोखिमों का मूल्यांकन करना, तदानुसार सुरक्षा योजनाओं का निर्माण करना, विभिन्न सुरक्षा घेरों में सुरक्षा के प्रबंध योजित (यथा परिधि नियंत्रण, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, और सार्वजनिक कार्यक्रमों या यात्रा के दौरान स्थानीय पुलिस बलों के साथ समन्वय) व कार्यान्वित करना सम्मिलित होते हैं ।

शारीरिक सुरक्षा वीवीआईपी की सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग है। संरक्षित व्यक्तियों के आवास, कार्यालय एवं सामान्यतः भ्रमण किये जाने वाले स्थानों पर कठोर सुरक्षा प्रबन्ध किये जाते हैं। इन उपायों में एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, सीसीटीवी कैमरे, अलार्म एवं भौतिक अवरोध जैसे तारों आदि के माध्यम से बैरिकेडिंग शामिल होते हैं। इसके अतिरिक्त सुरक्षित परिवहन की व्यवस्थाएँ की जाती हैं, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि वीवीआईपी सुरक्षित और कुशलतापूर्वक यात्रा कर सकें।

आन्तरिक घेरे की सुरक्षा, जिसे आमतौर पर विशेष रूप से प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मियों द्वारा प्रदान किया जाता है, वीआईपी सुरक्षा का एक और महत्वपूर्ण पहलू होता है।

विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों और कर्मियों के बीच सहयोग और समन्वय वीआईपी सुरक्षा प्रोटोकॉल के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसमें खुफिया जानकारी साझा करना, संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास और किसी भी आपातकालीन घटना या परिस्थिति का त्वरित जवाब देने के लिए निर्बाध संचार लाइनों की स्थापना शामिल होती है।

वीआईपी सुरक्षा प्रोटोकॉल का वास्तविक कार्यान्वयन और विवरण गोपनीय रहते हैं और समय के साथ बदल सकते हैं, जो खतरों के बदलते स्तरों तथा सरकारी निर्णयों पर निर्भर करता है। यह ध्यान रखना भी महत्वपूर्ण है कि विभिन्न वीआईपी श्रेणियों के लिए सुरक्षा प्रोटोकॉल का विशेष प्रबंधन और कार्यान्वयन भारत के विभिन्न राज्यों में थोड़ा भिन्न हो सकता है, क्योंकि राज्य सरकारों के पास खतरे के स्तर और उपलब्ध संसाधनों के आंकलन के आधार पर सटीक सुरक्षा व्यवस्थाएँ निर्धारित करने का उत्तरदायित्व होता है।

वीआईपी सुरक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का अन्य उन्नत प्रौद्योगिकियों के साथ उपयोग

हाल के दशकों में, आधुनिक प्रौद्योगिकियों जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), ड्रोन और उपग्रह चित्रण के तीव्र विकास ने सुरक्षा और खुफिया संग्रहण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया है। ये अत्याधुनिक उपकरण निगरानी, ट्रैकिंग, और स्थितिजन्य जागरूकता और प्रतिक्रिया को बढ़ाने के लिए अतुलनीय क्षमताएं प्रदान करते हैं।

1. **सीसीटीवी वीडियो के स्वचालित विश्लेषण हेतु कंप्यूटर विज़न का उपयोग:** वीडियो माध्यमों जैसे सीसीटीवी के द्वारा निगरानी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ प्रति-क्षण बड़ी मात्रा में डेटा उत्पन्न होता रहता है। सुरक्षा एजेंसियों के लिए वीआईपी सुरक्षा के लिए स्थापित विभिन्न सीसीटीवी कैमरों और सीसीटीवी से उत्पन्न कई वीडियो फ़ीड के प्रत्येक फ्रेम का मैन्युअल निरीक्षण करना अव्यावहारिक है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का एक अंग, कंप्यूटर विज़न, इस प्रकार के डेटा का वास्तविक समय में (real-time) विश्लेषण करने और किसी संदिग्ध गतिविधि की स्थिति में चेतावनी का पूर्व संकेत प्रेषित करने में सक्षम हैं। इस क्षेत्र में किए गए शोधों ने प्रोत्साहित करने वाले परिणाम प्रस्तुत किये हैं। वर्ष 2014 में प्रकाशित एक शोध प्रपत्र[4] में डीप लर्निंग एल्गोरिदम (Deep Learning Algorithm) का उपयोग वीडियोफ्रेम में उपस्थित विभिन्न वस्तुओं को पहचानने, व्यक्ति विशेष को चेहरे के आधार पर पहचानने तथा गतिविधियों को फ्रेम-दर-फ्रेम अनुसरण करने, इमेज वर्गीकरण और दृश्य लेबलिंग जैसे कार्यों के लिए किया है । इस शोध में अलग अलग माध्यमों से संकलित किए गए वीडियो सहित बड़ी मात्रा में डेटा को स्वचालित रूप से प्रसंस्कृत एवं विश्लेषित करने की डीप लर्निंग की अद्भुत क्षमता को प्रस्तुत किया गया है । एक अन्य प्रकाशित शोध पत्र[5] में वास्तविक समय में सीसीटीवी कैमरे से प्राप्त वीडियो में किसी प्रकार की विसंगति/असामान्य गतिविधि पहचानने के लिए एक अनसुपरवाइज्ड डीप-लर्निंग एल्गोरिदम (Unsupervised Deep Learning Algorithm) का उपयोग किया गया है । उदाहरण के लिए, इस प्रकार की एआई-संचालित विसंगति पहचान प्रणाली (Anomaly Detection System) भीड़ वाले स्थान पर संदिग्ध व्यक्तियों के चेहरों में से व्यक्ति विशेष की पृथक पहचान करने, अनुसरण करने तथा किसी भी प्रकार के असामान्य गतिविधि की स्थिति में सुरक्षा कर्मियों को संभावित खतरों के बारे में अग्रिम सूचना प्रेषित करने में सहायक सिद्ध हो सकती हैं।

इस प्रकार की अधिकांश तकनीकों के उपयोग में अनेक व्यवहारिक समस्याएँ, जैसे किसी प्रकार के अवरोध का वीडियो फ्रेम में आना, आंशिक दृश्यता तथा प्रकाश का आवश्यकता से कम अथवा अधिक होना आदि दृष्टिगोचर होते हैं । इस प्रकार की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी कंप्यूटर विज़न के क्षेत्र में विकसित तकनीकों ने प्रोत्साहित करने वाले परिणाम प्रस्तुत किये हैं । एक डीप-

[4] Girshick, Ross B. et al. "Rich Feature Hierarchies for Accurate Object Detection and Semantic Segmentation." 2014 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (2013): 580-587.

[5] Nawaratne, Rashmika et al. "Spatiotemporal Anomaly Detection Using Deep Learning for Real-Time Video Surveillance." IEEE Transactions on Industrial Informatics 16 (2020): 393-402.

न्यूरल नेटवर्क[6] (Deep Neural Network; DNN) को ऐसी असामान्य परिस्थितियों में जनसमूह अथवा किसी सम्मेलन आदि में व्यक्तियों के बीच की सामाजिक दूरी पर ध्यान रखने हेतु प्रशिक्षित किया गया । इस तकनीक ने सीसीटीवी कैमरों से 24.1 फ्रेम प्रति सेकंड (fps) के वास्तविक समय में प्राप्त वीडियो का विश्लेषण कर 99.8% की सटीकता से परिणाम दिए । इसके अतिरिक्त, इस विधि द्वारा लोगों के पथों और सामाजिक दूरी उल्लंघन की दर का एक सांख्यिकीय विश्लेषण भी प्रस्तुत किया है ताकि व्यक्तियों के समीप आने के कारण उत्पन्न होने वाले संक्रमण का एक वास्तविक समय में आंकलन की योजना बनायी जा सके। इस तरह की कार्यप्रणाली का उपयोग वीआईपी सुरक्षा में अनेक दृष्टिकोणों से उपयोगी है । उदाहरणार्थ विशिष्ठ व्यक्तियों के आवागमन के स्थान के आसपास एकत्र भीड़ को पर्यवेक्षित करने, भीड़ में असामान्य गतिविधियों की निगरानी करने, वास्तविक समय में खतरे के आंकलन आदि के लिए इस तरह की प्रणाली की स्थापना की जा सकती है ।

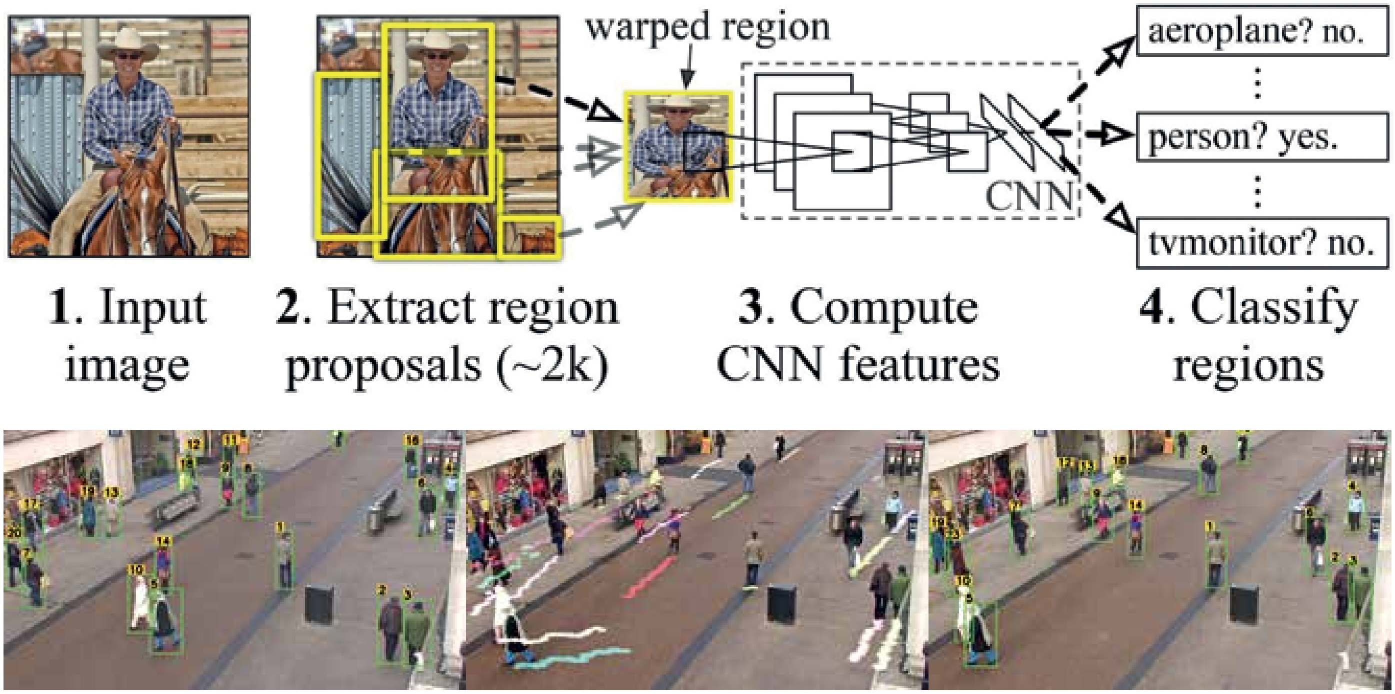

कंप्यूटर विज़न तकनीकों का प्रयोग करके छायाचित्रों अथवा सीसीटीवी कैमरों से प्राप्त फ्रेम में उपस्थित विभिन्न वस्तुओं को पहचानने, वर्गीकृत करने तथा व्यक्तियों को चिन्हित कर फ्रेम-दर-फ्रेम अनुसरण करने की क्षमता का उदाहरण (स्रोत: Girschik et al. 2014, Rezaei & Azarmi, 2020).

2. **श्रेष्ठतर निगरानी के लिए एआई के साथ ड्रोन/यूएवी का उपयोग:** मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी/UAV) या ड्रोन, आधुनिक सुरक्षा अभियानों में एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में उभरे हैं। उच्च-रिज़ॉल्यूशन (High-resolution) कैमरों और सेंसरों से सुसज्जित ड्रोन वास्तविक समय में हवाई निगरानी प्रदान कर सकते हैं, जो पारंपरिक सुरक्षा उपायों को और सशक्त बनाते हैं।

वीआईपी सुरक्षा के संदर्भ में, ड्रोन अनेक परिस्थितियों में सहयोग प्रदान करते हैं, जिनमें बड़े क्षेत्रों को कवर करने की क्षमता, दुर्गम क्षेत्रों की निगरानी, और विभिन्न कोणों से स्थितिजन्य जागरूकता प्रदान करना सम्मिलित है, जो पारंपरिक स्थिर कैमरे और सीसीटीवी से संभव नहीं हैं। वीडियो निगरानी के अतिरिक्त भी ड्रोन निजी सुरक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने की क्षमता रखते हैं। इन्हें संदिग्धों का पीछा करने, अपराध स्थलों की जाँच करने, खोज और बचाव कार्य करने, परिधि नियंत्रण बनाए रखने, घुसपैठियों की निगरानी करने और जोखिम का आकलन करने जैसे कार्यों के लिए तैनात किया जा सकता है।

[6] Rezaei, Mahdi and Mohsen Azarmi. "DeepSOCIAL: Social distancing monitoring and infection risk assessment in covid-19 pandemic". Applied Sciences, 10(21), 7514

ड्रोन तथा एआई के एकीकरण की दिशा में किये गये शोध कार्यों में पेनमेत्सा एवं अन्य शोधकर्ताओं[7] का कार्य उल्लेखनीय है। उनके द्वारा भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों की निगरानी और संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाने के लिए एक स्वायत्त मानवरहित हवाई वाहन (UAV) दृश्य निगरानी प्रणाली विकसित की गयी है। यह प्रणाली पोज़ एस्टिमेशन तकनीकों और एक प्रस्तावित हफ ओरिएंटेशन कैलकुलेटर (Hough Orientation Calculator) का उपयोग करती है ताकि डेटा सेट में संदिग्ध गतिविधियों के समान पोज़ की पहचान की जा सके और उन्हें चिह्नित किया जा सके। इसी क्रम में 2018 में भारतीय शोधकर्ताओं[8] द्वारा DNN का उपयोग करके वास्तविक समय में हिंसक व्यक्तियों/गतिविधियों की पहचान करने के लिए एक ड्रोन सर्विलांस सिस्टम (Drone Surveillance System) विकसित किया गया है। यह नेटवर्क एरियल वायलेंट इंडिविजुअल (Arial Violent Individual) डेटा सेट पर प्रशिक्षित किया गया और पाया गया कि 88.8% मामलों में सटीकता का प्रदर्शन करता है।

को रेखांकित करते हुए दर्शाते हैं कि विकसित की गयी इन तकनीकों व डीप नेटवर्क का सहयोग वीआईपी सुरक्षा हेतु व्यापक स्तर पर किया जा सकता है । संचयित डेटा के स्वचालित विश्लेषण का उपयोग करके कम मानव संसाधनों व सुरक्षा बल के साथ भी श्रेष्ठ व उन्नत स्तर की सुरक्षा प्रणाली विकसित की जा सकती है जो सुरक्षा एजेंसियों को त्वरित व सटीक कार्यवाही करने में सहायक होगी ।

3. **एआई-संचालित उपग्रह निगरानी और ट्रैकिंग:** उपग्रह चित्रण (Satellite Imagery) सुरक्षा हेतु किसी परिक्षेत्र का व्यापक और विस्तृत दृश्य प्रदान करता है। उच्च-रिज़ॉल्यूशन कैमरों और उन्नत इमेजिंग तकनीकों से लैस उपग्रहों का उपयोग करके, सुरक्षा एजेंसियां वीआईपी अथवा संदिग्धों की गतिविधियों, सुरक्षित परिधियों और संभावित खतरों पर वास्तविक समय में डेटा प्राप्त कर सकती हैं। हालांकि यह प्रश्न अवश्य पूछा जा सकता है कि यदि ड्रोन एरियल डेटा प्राप्त व उपयोग करके सफलतापूर्वक सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम हैं, ऐसे में

सिंह, पाटिल व ओमकार (2018) द्वारा डीप न्यूरल नेटवर्क का उपयोग करके विकसित की गयी ड्रोन सर्विलांस सिस्टम (DSS) का एक उदाहरण प्रदर्शन, जो UAV द्वारा प्राप्त छायाचित्रों में से व्यक्तियों को चिन्हित कर उन्हें हिंसक गतिविधियों के आधार पर वर्गीकृत करने की क्षमता रखता है । इस प्रणाली में स्वचालित रूप से हिंसक कार्यों में शामिल व्यक्तियों को लाल रंग में और अहिंसक व्यक्तियों को नीले रंग में हाइलाइट किया गया है।

उपरोक्त वर्णित शोधकार्य एआई-संचालित ड्रोन के महत्व

उपग्रहों से डेटा प्राप्त करके उसका विश्लेषण करना कितना प्रासंगिक है। इस सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में उपग्रह चित्रण, ड्रोन/यूएवी से अधिक लाभ प्रदान करता है। जैसे:

- उपग्रह एक ही बार में बड़े भौगोलिक क्षेत्रों का छायाचित्र प्राप्त कर सकते हैं, जो ड्रोन से आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह उपग्रह चित्रण को बड़े पैमाने पर घटनाओं की निगरानी या विस्तृत क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए उपयुक्त बनाता है।

[7] Penmetsa, Surya et al. "Autonomous UAV for Suspicious Action Detection using Pictorial Human Pose Estimation and Classification." Electronic Letters on Computer Vision and Image Analysis 13 (2014): 18-32.

[8] Singh, Amarjot et al. "Eye in the Sky: Real-Time Drone Surveillance System (DSS) for Violent Individuals Identification Using ScatterNet Hybrid Deep Learning Network." 2018 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops (CVPRW) (2018): 1710-17108.

- एक अन्य लाभ यह भी है कि उपग्रह दुनिया के किसी भी भूभाग में कहीं से भी डेटा प्राप्त कर सकते हैं, जो उन्हें उन खतरों का आकलन करने के लिए आदर्श बनाता है जिनमें सीमा-पार गतिविधियाँ या अंतर्राष्ट्रीय महत्व की गतिविधियाँ शामिल हो सकती हैं। यह पहलू उपग्रह चित्रण को सैन्य खुफिया संचालन और राष्ट्रीय जांच/सुरक्षा एजेंसियों के लिए उपयुक्त बनाता है ।
- पृथ्वी की परिक्रमा करने के कारण उपग्रह, निरंतर, निर्बाध निगरानी के लिए आदर्श होते हैं और नियमित अंतराल पर छायाचित्र प्राप्त करने में सक्षम हैं। यह संबंधित क्षेत्रों और गतिविधियों की निरंतर निगरानी में सहायक है।
- ड्रोन उड़ान नियमों, मौसम की स्थिति और सीमित उड़ान अवधि जैसी परिचालन सीमाओं के अधीन होते हैं, उपग्रह इन सीमाओं से प्रभावित नहीं होते और वे मौसम या हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों की परवाह किए बिना लगातार डेटा प्राप्त कर सकते हैं।
- उपग्रह चित्रण एक सुसंगत और मानकीकृत डेटा संग्रह प्रक्रिया प्रदान करता है। उपग्रहों से प्राप्त किये गये छायाचित्रों को कैलिब्रेट किया जाता है, भू-संदर्भित किया जाता है, और यह अक्सर मेटाडेटा के साथ आती हैं, जिससे समय के साथ सटीक विश्लेषण और तुलना संभव होती है। यह सुसंगतता दीर्घकालिक गतिविधियों, विश्लेषण और खतरनाक तत्वों की निगरानी के लिए अमूल्य हैं।

हालांकि ड्रोन कुछ परिदृश्यों में उत्कृष्ट सिद्ध होते हैं, जैसे कि निकट सीमा निगरानी, वास्तविक समय में निगरानी, और अधिक विस्तार के साथ उच्च-रिज़ॉल्यूशन छायाचित्रों को प्राप्त करना, परन्तु उपग्रह चित्रण व्यापक क्षेत्र कवरेज, वैश्विक पहुंच, निरंतर निगरानी, प्रभावी पहुंच और लागत, और कम परिचालन बाधाओं के साथ बेहतर परिणाम प्रदान करने के दृष्टिकोण से विशेष परिस्थितियों में इसे अधिक उपयोगी बनाता है।

4. **ओपन-सोर्स इंटेलिजेंस (OSINT) में एआई का समावेश:** ओपन-सोर्स इंटेलिजेंस (Open Source Intelligence) सार्वजनिक रूप से उपलब्ध स्रोतों से जानकारी एकत्र करने, विश्लेषण करने और उपयोग करने की प्रक्रिया से सम्बंधित है । वीआईपी सुरक्षा के संदर्भ में, ओपन-सोर्स इंटेलिजेंस खुफिया जानकारी एकत्र करने, संभावित खतरों का आकलन करने और स्थितिजन्य जागरूकता बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सक्षम है।

वीआईपी सुरक्षा में ओपन-सोर्स इंटेलिजेंस का एक प्रमुख उपयोग खतरे का आंकलन करना है। सुरक्षा टीमें ओपन-सोर्स इंटेलिजेंस से सम्बंधित तकनीकों का उपयोग करके संभावित खतरों या सुरक्षा उल्लंघनों की पहचान और विश्लेषण कर सकती हैं । सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म, ऑनलाइन फोरम और वेबसाइटों की निगरानी करके, एजेंसियां संबंधित व्यक्तियों से जुड़ी चर्चाओं, वार्तालापों या सोशल मीडिया पोस्ट की पहचान कर सकती हैं, जो संदिग्ध इरादे, पूर्वनियोजित हमलों या सुरक्षा घेरों में कमजोरियों का संकेत दे सकते हैं ।

OSINT स्थितिजन्य जागरूकता में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है । सुरक्षारत एजेंसियां सार्वजनिक रूप से उपलब्ध स्रोतों से प्राप्त जानकारी के आधार पर विभिन्न कार्यक्रमों, विरोध प्रदर्शनों, या अन्य गतिविधियों से अवगत रह सकती हैं, जो विशिष्ट व्यक्तियों की गतिविधियों के आसपास के सुरक्षा वातावरण को प्रभावित कर सकती हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ओपन-सोर्स इंटेलिजेंस एक व्यापक सुरक्षा ढांचे का केवल एक घटक है और इसे मानव खुफिया, तकनीकी निगरानी, भौतिक सुरक्षा उपायों और विशेषज्ञ निर्णय के साथ मिलाकर उपयोग किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

प्रतिष्ठित व्यक्तियों (वीआईपी) के सुरक्षा प्रोटोकॉल बहुआयामी व व्यापक होते हैं, जिनमें खतरे का आंकलन, भौतिक सुरक्षा हेतु उपाय, सन्निकट सुरक्षा, उन्नत प्रौद्योगिकी, सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय, आकस्मिक योजनाएँ बनाना एवं सार्वजनिक सहयोग शामिल हैं। इन प्रोटोकॉल का उद्देश्य वीआईपी व्यक्तियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाना है, जिससे वे अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन बिना अपनी या अपने आसपास के लोगों की सुरक्षा के साथ समझौता किए कर सकें।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ड्रोन, उपग्रह चित्रण और आभासी वास्तविकता (VR) जैसी अन्य उन्नत प्रौद्योगिकियों का एकीकरण भारत में विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा को अधिक श्रेष्ठ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर सकता है। इस क्षेत्र में किए गए शोध कार्यों ने इन तकनीकों की प्रभावशीलता को

खतरों का विवेकपूर्ण तरीके से चिन्हित करने, गतिविधियों की निगरानी करने और तेजी से प्रतिक्रिया देने में सिद्ध किया है। इन उन्नतियों को अपनाकर और मानकीकृत प्रोटोकॉल लागू करके, भारत अपने वीआईपी सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ कर सकता है और प्रतिष्ठित व्यक्तियों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है।

संदर्भ :

- Bureau of Police Research & Development. (n.d.). Data on Police Organizations as on 01 January. Ministry of Home Affairs, Govt. of India. Retrieved from https://bprd.nic.in/WriteReadData/News/DoPO-21f%20%20.pdf
- Comparitech. The world's most surveilled cities by Paul Bischoff (May 23, 2023). Retrieved from https://www.comparitech.com/vpn-privacy/the-worlds-most-surveilled-cities/
- Girshick, Ross B. et al. "Rich Feature Hierarchies for Accurate Object Detection and Semantic Segmentation." 2014 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (2013): 580-587.
- Nawaratne, Rashmika et al. "Spatiotemporal Anomaly Detection Using Deep Learning for Real-Time Video Surveillance." IEEE Transactions on Industrial Informatics 16 (2020): 393-402.
- Penmetsa, Surya et al. "Autonomous UAV for Suspicious Action Detection using Pictorial Human Pose Estimation and Classification." Electronic Letters on Computer Vision and Image Analysis 13 (2014): 18-32.
- Rezaei, Mahdi and Mohsen Azarmi. "DeepSOCIAL: Social distancing monitoring and infection risk assessment in covid-19 pandemic". Applied Sciences, 10(21), 7514
- Singh, Amarjot et al. "Eye in the Sky: Real-Time Drone Surveillance System (DSS) for Violent Individuals Identification Using ScatterNet Hybrid Deep Learning Network." 2018 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops (CVPRW) (2018): 1710-17108.

जेलों में सुधार की समस्या को समझने की दिशा में एक प्रयास

डॉ. मृदुल श्रीवास्तव
सहायक कुलसचिव,
डॉ. राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ

सारांश –
जेल सुधार हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली का महत्वपूर्ण पहलू है, लेकिन इसे अक्सर अनदेखा किया जाता है। इसका उद्देश्य अपराधियों को दंडित करने के बजाय उन्हें शिक्षित और पुनर्वासित करके समाज में जिम्मेदार नागरिक बनाना है। ऐतिहासिक रूप से, दंड की अमानवीय प्रणालियों को बदलकर सुधारात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया। हालांकि, 1970 के दशक में इसे विफल मानते हुए प्रतिशोध आधारित सजा पर जोर दिया गया। सुधार की चुनौतियों में संसाधनों की कमी, भीड़भाड़, कानूनी असंगति, और प्रशिक्षित कर्मियों का अभाव शामिल है। आलोचनाओं के बावजूद, सुधार समर्थकों का मानना है कि सही दृष्टिकोण और संसाधनों से पुनर्वास सफल हो सकता है। जेल सुधार केवल सजा का माध्यम नहीं, बल्कि मानवीय दायित्व है। इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए समुचित योजना, वित्तीय सहायता और व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है, ताकि अपराधियों को बेहतर जीवन की ओर अग्रसर किया जा सके।

परिचय

सुधार आपराधिक न्याय प्रणाली के एक अभिन्न अंग के रूप में, एक ऐसी प्रणाली का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसे जनता द्वारा कम से कम समझा जाता है। पुलिस, अभियोजन और अदालतों की तुलना में आंशिक रूप से इसकी अदृश्यता के कारण और आंशिक रूप से क्योंकि, समाज आमतौर पर इसे करीब से देखने के लिए अनिच्छुक है। परिणामस्वरूप, सुधार की कहानी बहुत कम ज्ञात है और बहुत गलत समझा गया है। सुधार प्रणाली के अंदर क्या चल रहा है, इसका आधिकारिक आदेश क्या है, इसका दर्शन क्या है, इसे कितनी अच्छी तरह लागू किया है और सुधार करने वाले लोगों और उनसे सम्बन्धित लोगों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ये ऐसे प्रश्न हैं जिन पर सार्वजनिक मंचों पर शायद ही कभी चर्चा और बहस होती है, और यहां तक कि इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया द्वारा भी (सुधार प्रणाली के पक्ष को ठीक से नहीं रखा गया है)। हालाँकि, वास्तविकता यह है कि सुधार की समस्या रहस्य में लिपटी हुई है, कई लोगों का मानना है कि संस्थानों द्वारा क्रूर और अपमानजनक सजा से कहीं अधिक और बेहतर कुछ किया जा रहा है। कैसे किन मामलों में और कहाँ सुधार प्रणाली में विश्वसनीयता की कमी है और इसका पक्ष को सामना करना पड़ता है यह सोचने का विषय है।

यह लेख अपनी विनाशकारी आलोचना और सुधार दर्शन, विधियों और प्रथाओं की समान रूप से उत्साही रक्षा के साथ सुधार पर हाल के पश्चिमी (बड़े पैमाने पर अमेरिकी) साहित्य की एक त्वरित यात्रा के आधार पर सुधार की समस्या को सुलझाने का प्रयास करता है। यहां लेखक को इस प्रश्न का उत्तर देना चाहिए केवल अमेरिकी साहित्य की ही यात्रा क्यों, भारतीय साहित्य की

क्यों नहीं? उत्तर सरल है एक, हमारे पास सुधारात्मक परिणामों पर अभी तक कोई विश्वसनीय, बड़े पैमाने पर अनुभवजन्य साक्ष्य नहीं है, और दो, सुधार संकट की वास्तविक समझ उस देश से शुरू होनी चाहिए जिसने पुनर्वास को जन्म दिया है सुधार की सुधारवादी विचारधारा को बड़े उत्साह, प्रयासों और संसाधनों के साथ व्यवहार में लाने की कोशिश की गई और बाद में पता चला कि सुधार की बयानबाजी और वास्तविकता के बीच एक बड़ा अंतर है।सुधार की हमारी प्रणालियों की पूरी समझ केवल यह जानने से ही संभव है कि किसी देश (या देशों) में सुधारों के साथ क्या हो रहा है, जहां से हमने अपने सुधार दर्शन, इसकी परिचालन पद्धति और इसकी प्रमुख चिंताओं के बुनियादी सिद्धांतों को उधार लिया है।

लेख एक प्रणाली और दर्शन और प्रक्रिया दोनों के रूप में, सुधारों का सामना करने वाले मुद्दों की विस्तृत श्रृंखला को पूरी तरह से पकड़ने का कोई दिखावा नहीं करता है यह केवल सुधारों की समस्या की जल्दबाजी में झलक पेश करने का प्रयास करता है।

सुधार का विकास

सुधारों का कई हजार वर्षों का एक लंबा इतिहास है और ये अपराधियों से निपटने के लिए समाज की प्रतिक्रिया में निहित हैं जिसमें दंड-निर्वासन, दासता, यातना, अंग-भंग और निष्पादन के कई तरीके हैं। पुराने दिनों में, जब जेल प्रणाली मौजूद नहीं थी, सजा की प्रणाली अपराध नियंत्रण के उपाय के रूप में प्रतिशोध और निवारण की प्रधानता का प्रतिनिधित्व करती थी। अठारहवीं, उन्नीसवीं और बीसवीं सदी के अंत में प्रतिशोध की ओर बदलाव देखा गया। उन्नीसवीं सदी के मध्य तक, बुद्धिवाद और ज्ञानोदय की भावना ने कठोर प्रकार की सजाओं के पुरातन दंडात्मक दर्शन को फिर से अपना लिया। इस समय एक आंदोलन शुरू हुआ, और जेल की अवधारणा जेरेमी बेंथम द्वारा विकसित की गई, जिन्होंने वकालत की कि अपराध के लिए एकमात्र तर्कसंगत प्रतिक्रिया में कानून तोड़ने वालों को दंडित करना था, और निरोध को प्रभावित करने के लिए जेल को एक प्रमुख सुधारात्मक उपकरण के रूप में विकसित किया गया था। जेलों के अस्तित्व में आने के साथ, सजा के पुराने पुरातन, अमानवीय और अपमानजनक रूपों को धीरे-धीरे त्याग दिया गया, अंततः कैद होने को सजा के सबसे प्रमुख रूप में प्रतिस्थापित किया गया। सजा का यह तरीका समाज की बदला लेने और प्रतिशोध की आवश्यकता के अनुकूल था और बेकेरिया और बेंथम द्वारा प्रतिपादित अपराध नियंत्रण के निवारक सिद्धांतों की मांगों को पूरा करता था। इसने उस समय के दो दार्शनिक आंदोलनों, यानी मानवतावाद और सुधारवाद की जरूरतों को भी पूरा किया। दोनों आंदोलनों ने उस सुधार की पुष्टि की कि दंडात्मक उपचार का उद्देश्य प्रतिशोधात्मक कष्ट नहीं होना चाहिए। सुधार आंदोलन इस विचार से प्रेरित था कि सुधारवादी दंड दर्शन सजा और दमन से अधिक सफल हो सकता है। दुनिया भर में जिस तरह से सुधार का रास्ता अपनाया गया, उसने वास्तव में इस विचार को मूर्त रूप दिया कि जेल प्रणाली को इस तरह बनाया जा सकता है कि समाज की अपराध नियंत्रण आवश्यकताओं से समझौता किए बिना अपराधियों से मानवीय तरीके से निपटा जा सके। गैर-प्रपीड़न, गैर-कलंककारी, गैर-संस्थागत और समुदाय आधारित तंत्रों के माध्यम से कम गंभीर अपराधियों से निपटने के अन्य उपकरण, जो बाद में कारावास के विकल्प के रूप में विकसित हुए, उन्हें भी जेलों के संचालन के पुराने तरीके में उन्हीं दंडात्मक उद्देश्यों और विचारधाराओं द्वारा आकार दिया गया था, जिन्होंने कई महत्वपूर्ण बदलावों को आकार दिया था।

पुनर्वासात्मक आदर्श के उद्भव और दंडात्मक दर्शन में परिणामी परिवर्तनों ने उन संस्थानों को एक नया बल प्रदान किया जो अपराधियों को दंडित करने के लिए सदियों से उपयोग में थे। तदनुसार, जब इसके मूल उद्देश्यों को फिर से परिभाषित किया गया तो सजा का उद्देश्य परिवर्तन के कायापलट से गुजरा। नए दंड दर्शन (जिसे वैकल्पिक रूप से सुधार दर्शन कहा जाता है) ने कारावास के चार गुना उद्देश्यों को समाहित किया है। संयम, सुधार, पुनर्वास और पुर्नएकीकरण। ये सभी मिलकर सजा की सुधारात्मक दिशा पर जोर देते हैं। सुधार की समकालीन प्रणाली यह विश्वास रखती है कि अपराधियों को सुधारना न केवल वांछनीय है, बल्कि काफी संभव भी है। यही आस्था और दर्शन है, वास्तव में, आज सुधार के बैनर तले जो कुछ भी किया जा रहा है, उसकी आधारशिला है।

सुधार की अवधारणा

सुधार, जैसा कि शब्द का शाब्दिक अर्थ है, त्रुटि से मुक्त करने,

सही करने, किसी चीज को संशोधित करने, आवश्यक मानक के अनुरूप होने या बेहतरी के लिए बदलाव करने का प्रयास है। लेकिन जब इसे मानव व्यवहार पर लागू किया जाता है, तो इसका मतलब किसी व्यक्ति के नकारात्मक, विनाशकारी आपराधिक या विचलित रवैये में सकारात्मक और गुणात्मक सुधार होता है। एक उपचार उपकरण के रूप में, यह व्यक्ति के विचलित व्यवहार को कानून का पालन करने वाले नियमों में निर्देशित करने का एक प्रयास है। सकारात्मक शब्दों में इसका अर्थ है सामाजिक रूप से स्वीकार्य व्यवहार को फिर से शुरू करना और अवैध व्यवहार से बचना। व्यापक अर्थ में, सुधार का अर्थ है व्यक्ति के व्यवहार, दृष्टिकोण और असामाजिक प्रकृति की भावनाओं को फिर से आकार देना, फिर से शिक्षित करना और सुधारना, जिसकी परिणति उसके कारावास या हिरासत उपचार के लिए किसी दंड संस्थान में समर्पण के रूप में हुई है। इसमें सुधारात्मक प्रशासकों और कार्यकर्ताओं द्वारा सहायक और शिक्षाप्रद सुविधाएं और सेवाएं प्रदान करके किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विचलित व्यवहार लक्षणों को पुनरू व्यवस्थित करने और पुनरू समाजीकरण करने के सभी प्रयास शामिल थे जो पश्चाताप की भावना और खुद को सही करने की तीव्र इच्छा को बढ़ाने में मदद करते हैं। इस प्रकार, दंडात्मक भाषा में सुधार अपराधियों को कानून का पालन करने वाले और सामाजिक रूप से जिम्मेदार नागरिकों में परिवर्तित करने की दृष्टि से उपचार, गठन और पुनर्वास की एक प्रक्रिया है। यह एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा आधुनिक समाज आधिकारिक तौर पर पहचाने गए कानून तोड़ने वालों से निपटता है जिन्होंने उन्हें कम सामाजिक रूप से खतरनाक जीवन जीने के तरीके को अपनाने में मदद करने के लिए कहा था। वर्तमान सोच और व्यवहार में, सुधार (एक प्रणाली के रूप में) का उद्देश्य दोषसिद्धि और सजा के बाद अपराधी का इलाज करना है।

इन उद्देश्यों के अनुरूप, सुधारक संस्थानों के घोषित कार्य हैं (क) अपराधी के पुनर्वास के लिए निर्देशित उपचार ताकि वह जीवन जीने का एक संतोषजनक तरीका विकसित करने में सक्षम व्यक्ति के रूप में समाज में लौट सकेऔर (ख) उन लोगों द्वारा आगे सामाजिक रूप से स्वीकार्य जीवन शैली में शामिल होना हैं। सुधार का काम अपराधियों का पुनर्वास करना और उन्हें समुदाय में वापस शामिल करना है।

शब्द सुधार ने अपने आशावादी निहितार्थ के कारण पारंपरिक दंड प्रणाली के पुराने तरीकों के विपरीत सुधार की विचारधारा एक प्रबुद्ध दर्शन में लिपटी और निहित है, जिसका उद्देश्य अपराधियों को सही करना है न कि केवल दंडित करना।

सुधार के क्षेत्र में किशोर अपराधियों के लिए जेलों, सुधारगृहों, प्रशिक्षण और उपचार संस्थानों का संचालन और परिवीक्षा, पैरोल और देखभाल सेवाओं का प्रशासन शामिल है। इस क्षेत्र में वे सभी उपाय शामिल हैं जिनका उपयोग अपराध के दोषी व्यक्तियों को रोकने, सजा देने, उपचार या सामाजिक नियंत्रण के लिए किया जाता है। कुछ हद तक यह क्षेत्र उन लोगों को भी शामिल करता है जिन पर अपराध का आरोप है लेकिन अभी तक दोषी नहीं ठहराया गया है। हालाँकि, सुधार एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी विशेषता जेलों की विशाल और दबंग उपस्थिति है।

इस व्यापक प्रणाली में शामिल प्रमुख तत्व विभिन्न प्रकार के सुधारात्मक हस्तक्षेप हैं जिन्हें आमतौर पर उपचार कहा जाता है। हस्तक्षेप का उद्देश्य आपराधिक प्रवृत्ति को समाप्त करना या समाप्त करने का प्रयास करना है। इसलिए, अपने व्यापक संदर्भ में उपचार शब्द पुनर्वास के सहायक इरादे को पूरा करने के लिए बनाये गये सभी कार्यक्रमों, रणनीति, रणनीतियों और यहां तक कि जोड़-तोड़ के तरीकों का भी प्रतिनिधित्व करता है। सुधारात्मक तरीकों और रणनीतियों में शैक्षिक, व्यावसायिक, मनोरंजक, नैतिक, धार्मिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेपों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है।

सुधार की आलोचना

इन जोर-शोर से घोषित वस्तुनिष्ठ सुधारात्मक संस्थानों की पृष्ठभूमि में अब उनके वास्तविक प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन किया जा रहा है। इस विषय पर बड़ी मेहनत से तैयार किया गया साहित्य अब सुधार संबंधी बयानबाजी पर सवाल उठाता है और आलोचनात्मक शब्दों में इसकी विकृतियों को उजागर करता है। आश्चर्य की बात है कि सुधार की आलोचना उन देशों में शुरू हुई जिन्हें सुधार का मक्का के रूप में जाना जाता है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और कुछ समय बाद इंग्लैंड में। अब सुधारात्मक प्रक्रिया आलोचनाओं से कहीं आगे निकल गयी है और लगभग सभी ऐसे देशों में दंडात्मक दर्शन और प्रथाओं को भी प्रभावित करना शुरू कर दिया है जो हिंसा और आतंक के संगठित कृत्यों

के भयानक ज्वार का सामना करते हैं और जिनकी आपराधिक स्थिति बेहद चिंताजनक है। आइए देखें कि संयुक्त राज्य अमेरिका में आलोचनात्मक कार्रवाई कैसे शुरू होती है।

लंबे समय तक संस्थागत और गैर-संस्थागत दंड-सुधारात्मक तरीके दोनों में इसके सुधारात्मक और पुनर्वास कार्यक्रमों और प्रथाओं की निर्विवाद स्वीकृति का आनंद लेने के बाद, विचारों को रेखांकित करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सुधार व्यवस्था के बारे में चतुर पर्यवेक्षकों के बीच चिंता का मुख्य कारण यह है कि वयस्क और किशोर सुधार सुविधाओं के विशाल नेटवर्क के बावजूद वहां अपराध की समस्या की तीव्रता अप्रभावित रही, हम विभिन्न प्रकार के सुधारात्मक कार्यक्रमों को देखेंगे, जिनमें से कई बर्बादी के कारण लाखों डॉलर की धनराशि प्राप्त हुई। आइए देखें कि पुनर्वास को अस्वीकार करने की शुरुआत कैसे हुई।

पुनर्वास का खंडन

1970 और 1975 के बीच प्रकाशित अध्ययन अमेरिकी जेलों में चल रहे पुनर्वास कार्यक्रमों के बारे में मोहभंग पैदा करने के लिए मजबूत सबूत पेश करते हैं। नॉर्मल मॉरिस और जॉर्डन हॉकिन्स ने 1970 में कहा कि उपचार (सुधारात्मक) कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का अधिकांश शोध इसके सुधारात्मक परिणामों को प्रदर्शित करने में विफल है। इतना ही नहीं कुछ लोगों ने अपराध में वृद्धि के लिए जेलों में कम दंडात्मक और अधिक पुनर्वासात्मक माहौल को भी जिम्मेदार ठहराया। बहुत से लोगों ने इस विचार पर ध्यान नहीं दिया कि अपराध की घटनाएं दंड अभ्यास का कार्य नहीं हैं और अपराध के कारक काफी हद तक दंड प्रणाली के नियंत्रण से बाहर हैं। 1970 के दशक में सुधारों के विरुद्ध शुरू हुआ कानाफूसी अभियान 1974 में सुधारों के विरुद्ध एक तूफान में बदल गया जब रॉबर्ट मार्टिंसन की सुधार सेटिंग्स में उपचार प्रयासों के 231 अध्ययनों के व्यापक विश्लेषण की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। जेलों में कुछ भी काम नहीं करता है, बल्कि यह कहने का विषय है कि कोई सबूत नहीं मिला कि उपचार काम करता है।

मार्टिंसन रिपोर्ट ने दुनिया के लगभग सभी हिस्सों में सभी सुधार कार्यक्रमों की विश्वसनीयता को व्यापक नुकसान पहुंचाया। इसने सबसे अधिक ध्यान आकर्षित किया और इसका बड़ा प्रभाव पड़ा। वास्तव में, जीन कासेबॉल्म ने पहले भी लगभग वही बातें लिखी थीं जो मार्टिंसन की अत्यधिक प्रकाशित रिपोर्ट ने सार्वजनिक नोटिस में ला दी थी क्योंकि अध्ययन के निष्कर्ष एक लोकप्रिय जर्नल में प्रकाशित किए गए थे, न कि अपराध विज्ञान या सुधार के विज्ञान जर्नल में। हालाँकि, मार्टिंसन की रिपोर्ट ने सुधारात्मक उपचार कार्यक्रमों के आम तौर पर निराशाजनक परिणामों के बारे में जनता के संदेह की पुष्टि की। उपचार के परिणामों पर मार्टिंसन के नकारात्मक निष्कर्षों के बाद अपवाद के बजाय नियम बन गया है। पॉल लर्मन ने परिवीक्षा सेटिंग्स में उपचार कार्यक्रमों की वैधता पर हमला किया। हालाँकि, लर्मन के निष्कर्षों को स्वीकार नहीं किया गया और वे त्रुटिपूर्ण थे- और इसलिए खारिज कर दिए गए।

अनुभवजन्य शोध के निष्कर्षों से पता चला है कि दंडात्मक उपायों के पुनर्वास प्रभावों ने इस बारे में स्पष्ट निष्कर्ष नहीं निकाला है कि क्या काम करता है और क्या नहीं - मुख्यतः क्योंकि इस प्रक्रिया में बहुत सारे कारक और विविधताएं शामिल हैं, जिससे विभिन्न अपराधी आपराधिक आचरण से दूर रहना चुनते हैं। इन निष्कर्षों की प्रारंभिक प्रतिक्रिया, जब 1970 के दशक में अनुसंधान का पहला सर्वेक्षण सामने आना शुरू हुआ, यह रोना था कि कुछ भी काम नहीं करता, और तर्क था कि सजा और अक्षमता की अधिक आगे की रणनीतियों के पक्ष में महत्वाकांक्षी सुधारात्मक दृष्टिकोण को छोड़ दिया जाना चाहिए।

सभी प्रकाशित रिपोर्टों और विश्लेषणों के सामूहिक प्रभाव के साथ, यह बिल्कुल भी आश्चर्य की बात नहीं थी कि जल्द ही निष्पक्षता के बारे में नई चिंता और उपचार के नए यथार्थवादी दृष्टिकोण के लिए सजा कानूनों और सुधारात्मक उपचार कार्यक्रमों दोनों को अनुकूलित करने के लिए कई अलग-अलग प्रयास किए गए। हालाँकि, परिवर्तन सूक्ष्म था, लेकिन दार्शनिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण था। पुनर्वास अब जेलों का प्राथमिक लक्ष्य नहीं रह गया है। सुधारों की विनाशकारी आलोचना ने प्रतिशोध की वापसी की सुविधा प्रदान की। सुधार व्यवसाय को प्रभावित करने वाली सरकारी नीतियों में यू-टर्न आया है। दंडात्मक लोक लुभावनवाद के वर्तमान राजनीतिक माहौल में निश्चित सजा के साथ कारावास का अधिक सहारा लेना शामिल है, इस तथ्य के बावजूद कि प्रभावी अपराध नियंत्रण के बारे में उपलब्ध सबूतों के सामने दृढ़ सजा मॉडल विफल हो जाता है, जैसा कि संयुक्त

राज्य अमेरिका में दिखाई देता है जहां कारावास का सिर्फ रेगिस्तानी मॉडल है जिसमें लोकप्रियता हासिल की है। इस मॉडल के प्रतिकूल परिणामों से डरकर अमेरिका में सुधारवादी अब न्याय मॉडल की दुहाई दे रहे हैं, जिसमें तीन प्रमुख सिद्धांत शामिल हैं (1) हिरासत का न्यूनतम उपयोग - कारावास का उपयोग केवल अंतिम उपाय के रूप में और न्यूनतम अवधि के लिए किया जाना चाहिए। सार्वजनिक सुरक्षा के अनुरूप समय की मांग के अनुसार (2) सुरक्षा का न्यूनतम उपयोग - कैदियों को अपराध की घटनाओं के किसी भी वास्तविक खतरे के खिलाफ जनता की सुरक्षा के लिए आवश्यक सुरक्षा की केवल उसी डिग्री के अधीन किया जाना चाहिए (3) सामान्यीकरण - जहां तक संसाधन अनुमति देते हैं, और सुरक्षित अभिरक्षा की बाधाओं के अनुरूप जो मानक समुदाय में अपराधियों के जीवन को नियंत्रित करते हैं, वही मानक जेल में बंद अपराधियों पर भी लागू होने चाहिए।

प्रतिकार की वापसी

पिछले दो दशकों में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तनों में से एक यह रहा है कि किस हद तक प्रतिशोधात्मक विचारों को पुनर्जीवित किया गया है। क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी - बेकरिया और बेंथम - के समर्थकों द्वारा प्रचारित जस्ट डेजर्ट्स की पुरानी अवधारणा फिर से सजा के लिए और वास्तव में जेल और परिवीक्षा शासन के प्रशासन के लिए एक सम्मानजनक और प्रमुख तर्क बन गई है। यह परिवर्तन संस्थागत और वैचारिक परिवर्तनों का एक दार्शनिक परिणाम है जिसने 1960 के दशक के उत्तरार्ध से दंड व्यवस्था को प्रभावित किया है। कई पुनर्वास कार्यक्रमों की कथित विफलता, और राजनीतिक रूप से हानिकारक तथ्य यह है कि कई न्यायालयों में अपराध दर में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है, ठीक उस समय जब एक अधिक सुधारात्मक दंड प्रणाली उभर रही थी, जिसने मिलकर सुधारात्मक दंड के आशावादी आदर्श को कमजोर कर दिया था।

मोहभंग की यह प्रक्रिया कुछ हद तक अपरिहार्य थी क्योंकि उपचार दृष्टिकोण की प्रभावकारिता के बारे में सुधारकों के दावे अतिशयोक्तिपूर्ण और अवास्तविक थे। नए प्रतिशोधवादियों के बीच एक सामान्य विषय यह है कि दंड व्यवस्था का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होना चाहिए कि अपराधियों को उनके उचित परिणाम प्राप्त हों उन्हें उनके अपराधों की गंभीरता के अनुपात में उचित और निर्धारित दंड भुगतना चाहिए। यह उचित रेगिस्तान सिद्धांत, जो अठारहवीं शताब्दी में प्रचलित था, ने उपचार उन्मुख प्रणाली की कथित अनुचितता और अप्रभावीता की प्रतिक्रिया में नई लोकप्रियता हासिल की। 1970 और 1980 के दशक के दौरान, संयुक्त राज्य अमेरिका में सजा निर्धारित करने के आंदोलन में सिर्फ रेगिस्तान सिद्धान्त एक प्रमुख नारा बन गया। हाल ही में और काफी तेजी से दुनिया भर में अपराधियों को सुधारने (पुनर्वास सामान्य शब्द है) से दूर एक नया और मजबूत बदलाव आया है, और सिर्फ रेगिस्तान की अवधारणा के प्रति एक नया आकर्षण है - निष्पक्ष और लगभग यंत्रवत् उपयोग करना विभाजित दंड. संभवतः हर जगह सुधार अधिकारी की प्राथमिकता है, अभी भी यदि संभव हो तो अपराधियों को सुधारने के इच्छुक हैं, लेकिन हाल के शोधों से परेशान हैं जो यह प्रदर्शित नहीं करते हैं कि पुनर्वास कार्यक्रमों का अपराध की पुनरावृत्ति पर कोई सराहनीय प्रभाव पड़ा है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण नया विकास है जिसने सुधार के दर्शन और उसके परिणामों में लोगों के विश्वास को हिला दिया है।

सुधार के बचाव में

मार्टिंसन और सुधारों के बाद के आलोचकों के कुछ भी काम नहीं करता दृष्टिकोण के बावजूद, सुधारों के बचाव में एक साथ कई मजबूत आवाजें भी उभरी हैं। ये सभी आवाजें इस बात पर जोर देती हैं कि सुधार इतना असफल नहीं है जितना कि बिना प्रयास किया गया। कैदी पुनर्वास पर अमेरिकी राष्ट्रपति की टास्क फोर्स की शुरुआत इस कथन के साथ हुई पुनर्वास के विषय पर विशाल साहित्य उत्कृष्ट विचारों से भरा हुआ है जिन्हें कभी भी लागू नहीं किया गया है, न ही, कई मामलों में, यहां तक कि परीक्षण भी नहीं किया गया है। लुई कार्नी ने टिप्पणी की यह उपचार या पुनर्वास नहीं है जो विफल हो गया है, यह अप्रभावी पुनर्वास रणनीति और रणनीतियाँ हैं जो विफल हो गई हैं। उन्हें पुनर्निर्माण के अधिक प्रभावी तरीकों से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए।

अब मुद्दा यह है कि यदि वास्तव में सुधार की कोशिश नहीं की गई है, तो इसे शायद ही विफलता के रूप में खारिज किया जा सकता है। जबकि उपचार और पुनर्वास प्रयासों पर वैध रूप से सवाल उठाए गए हैं, और सजा पुनर्वास को खत्म करने का

प्रयास करती है, यह स्पष्ट है कि हम भविष्य वाले व्यक्तियों के रूप में उनके बारे में चिंतित हुए बिना अपराधियों को कारागार में नहीं रख सकते हैं। ऐसा लगता है कि सुधार के आलोचक पुनर्वास उपचार आदर्श की विफलता के संबंध में निर्णय लेने के लिए कुछ ज्यादा ही तैयार हैं।

मार्टिंसन और उनके उत्तराधिकारियों के विध्वंस दस्ते को सुधारों के खिलाफ युद्ध घोष के बाद चुनौती दी गई थी। इसके बाद, हालांकि, शोधकर्ताओं को यह एहसास हुआ कि विचाराधीन घटना - सजा के पुनर्वास या निवारक प्रभाव - को मार्टिंसन और उनके जैसे लोगों द्वारा अवास्तविक रूप से मापा गया है, और शोध के पुनः बहुत अधिक परिष्कृत और पद्धतिगत रूप से दोबारा आवश्यक होगा। अपराधियों के सुधार और पुनर्वास की रक्षा में इस गंभीर विचार ने संयुक्त राज्य अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन में कई शोधकर्ताओं को मार्टिंसन को फिर से देखने के लिए उत्साहित किया।

सुधार में मूल्यांकनात्मक शोध के मार्टिंसन के बाद के चरण में मार्टिंसन और उनके उत्तराधिकारियों द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली में अंतराल की खोज हुई। इन सभी शोधों में तर्क दिया गया कि मार्टिंसन और उनके अनुयायियों ने जेलों और किशोर सुधार सुविधाओं में सुधारात्मक कार्यक्रमों के प्रभाव का आकलन करने के लिए एकमात्र आधार के रूप में पुनरावृत्ति का उपयोग किया था। मार्टिंसन ने उन पूर्व कैदियों की गिनती करने की जहमत नहीं उठाई, जिन्होंने आगे कोई अपराध नहीं किया और कम से कम संयमित व्यक्तियों के रूप में समुदाय में वापस लौटे, यदि नहीं तो पापी संत बन गए। सुधार के रक्षकों ने कहा, यह कोई मामूली उपलब्धि नहीं है। अंतिम तर्क में, बचावकर्ताओं ने एक प्रणाली और एक दर्शन और प्रक्रिया दोनों के रूप में सुधारों में अपना विश्वास दोहराया, साथ ही यह भी स्वीकार किया कि एक प्रणाली के रूप में सुधार कई अंतर्निहित सीमाओं के साथ अपना काम करता है जो इसकी प्रभावशीलता को कमजोर करता है और इसकी विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाता है। यहां सुधार की समस्या पर गौर करना उचित होगा।

सुधार की समस्या

सुधार के व्यवसाय और अपराध की रोकथाम और नियंत्रण पर इसके प्रभाव पर परस्पर विरोधी साक्ष्य के बावजूद, दुनिया के किसी भी हिस्से में पुनर्वास आदर्श को नहीं छोड़ा गया है। सुधार की विचारधारा को अभी भी कट्टर सुधारवादी लोगों के बीच भी कई लोग स्वीकार करते हैं। कोई भी इस बात पर सवाल नहीं उठाता कि लोगों को सुधारने और पुनर्वास करने के प्रयास निरर्थक हैं (और इसलिए आगे बढ़ाने लायक नहीं हैं) लेकिन सवाल यह है कि मौजूदा सुधारात्मक संस्थानों में सुधार की विचारधारा को किस तरह क्रियान्वित किया जाता है। इसलिए, सुधारों के कार्यान्वयन की स्थिति पर खेद व्यक्त किया जाता है वास्तव में, यह समस्याग्रस्त है।

सुधार प्रणालियों (जो भारतीय स्थिति पर समान रूप से लागू होती हैं) पर बड़ी मात्रा में आलोचनात्मक पश्चिमी लेखन के माध्यम से एक त्वरित यात्रा, निम्नलिखित सीमाओं की ओर इशारा करती है -

1. सुधार आज कानून का पालन करने वाले नागरिकों के लिए लगभग अज्ञात दुनिया बनी हुई है, और यहां तक कि इसके भीतर के लोग भी अक्सर केवल अपने विशेष कोने के बारे में जानते हैं।
2. सुधार आज विचार और व्यवहार में कई विकासों के प्रमाण प्रदर्शित करते हैं, जिनमें से प्रत्येक दंड देने की कठिन समस्याओं से निपटने की कोशिश कर रहा है, अपराधियों को रोकना और सुधारना। किसी ने भी समस्याओं का समाधान नहीं किया है, और एक से दूसरे में परिवर्तन संभवतः तर्कसंगत या वैज्ञानिक प्रक्रिया के बजाय मानवीय आवेग का अधिक परिणाम रहा है।
3. आज के सुधारों की विशेषता क्षेत्राधिकारों का अतिव्यापन, दर्शन की विविधता और संगठनात्मक संरचनाओं का एक समूह है जिनका एक दूसरे के साथ बहुत कम संपर्क है। यह कभी समीचीनता से और कभी आवश्यकता से टुकड़ों-टुकड़ों में विकसित हुआ है। शायद ही कभी विकास व्यवस्थित योजना पर आधारित रहा हो। इसमें कार्यक्रम की प्रभावशीलता का परीक्षण करने के लिए सुसंगत दिशानिर्देशों और साधनों का अभाव है।
4. सुधार कई समस्याओं से ग्रस्त हैं जैसे उदासीनता, टुकड़ों में प्रोग्रामिंग, पूरी तरह से अपर्याप्त धन और सार्वजनिक समर्थन और समझ की कमी, संसाधनों की कमी इसके कार्यक्रमों के विकास में बाधा बन रही है और इसके कार्मिक प्रशिक्षण कार्यक्रम लगभग अस्तित्वहीन हैं।

5. कई सुधार संस्थाएँ केवल नाम के लिए सुधारात्मक हैं। वे प्राचीन हैं, अत्यधिक भीड़भाड़ वाले हैं, और उनके स्वभाव में कुछ तनाव, उत्तेजना और हिंसा पैदा करता प्रतीत होता है।
6. कई सुधारक प्रशासक और कर्मचारी पुनर्वास सेवा करने के लिए पर्याप्त उपकरणों से सुसज्जित नहीं हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इससे सुधारात्मक प्रणाली में सुधार होगा। उनके कर्मी आम तौर पर नवीनतम सुधार पद्धति में अप्रशिक्षित होते हैंए शैक्षणिक रूप से कम योग्य होते हैंए और धन और सामग्री के मामले में कम वेतन पाते हैं।
7. सुधारात्मक कार्मिक कुल मिलाकर भूमिकाओं और भूमिका-प्रतिक्रियाओं की परंपरा में बंद हैं जो दंडात्मक रूप से प्रति-उत्पादक हैं। इस स्थिति से उत्पन्न दृष्टिकोण ने व्यवस्था को नवीन विचारों की मुख्यधारा से अलग कर दिया है।
8. सुधारात्मक प्रणालियाँ अपने संसाधनों को वास्तविक पुनर्वास कार्यक्रमों के बजाय हार्डवेयर और ईंटों में निवेश करना जारी रखती हैं।
9. सुधार के लिए प्रचलित प्रबंधन माहौल नौकरशाही नियंत्रण है। यह नौकरशाही शैली पुनर्वास पर नए जोर के साथ स्पष्ट रूप से संघर्ष करती है। कठोर और औपचारिक सुधार वाली नौकरशाही व्यवहार परिवर्तन के लिए एक खराब माहौल प्रदान करती है
10. देखा जाता है कि सुधारात्मक कर्मियों का एक बड़ा हिस्सा अपराध विज्ञान के कानून और व्यवस्था स्कूल से संबंधित है जो सुधारात्मक रूप से उन्मुख न्यायाधीशों सामुदायिक सुधार उपकरणों और व्यवहार विज्ञान के उन प्रतिनिधियों को संदेह की नजर से देखता है जो तथाकथित उपचार स्कूल बनाते हैं।
11. सुधारात्मक उपचार वैज्ञानिक कौशल या उच्चस्तरीय हस्तक्षेप रणनीतियों का अनुप्रयोग नहीं है इसके बजाय यह अक्सर अपराधियों के साथ सहज परीक्षण और त्रुटिपूर्ण व्यवहार होता है।
12. तर्कसंगत बनाने और जो वास्तव में मौजूद है उसकी तुलना में एक उज्जवल चित्र चित्रित करने की एक उल्लेखनीय प्रवृत्ति है। कुछ सुधारात्मक प्रशासक नए कार्यक्रमों और परिवर्तन की उत्तेजना के बारे में फैशनेबल ढंग से बात करते हैं उन्हें इस बात का जरा भी अहसास नहीं है कि सुधार के क्षेत्र में किए गए वादों को पूरा करना कठिन है।
13. सुधार में सिद्धांत और व्यवहार के बीच व्यापक अंतर है। अमूर्त उद्देश्यों को बातचीत के स्तर पर कड़ी मेहनत से पूरा किया जाता है लेकिन कार्रवाई में अंतर आ जाता है जब ऐसे तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है जो घोषित उद्देश्यों के लिए काफी अनुपयुक्त होते हैं।

ये टिप्पणियाँ अब यह प्रश्न उठाती हैं कि सुधार क्यों विफल हो गए हैं या विफल होते प्रतीत हो रहे हैं। आम राय यह है कि सुधारों की विफलता मूल रूप से इसके असंगत लक्ष्यों और वस्तुओं के बीच उचित संतुलन बनाने में असमर्थता में निहित है। सुधार करने वाले लोग एक ही समय में कई चीजें हासिल करना चाहते हैं। वे समाज को अपराध और अपराध के बढ़ते खतरे से बचाना चाहते हैं आम जनता को संतुष्ट करना चाहते हैं जो अभी भी प्रतिशोध में विश्वास करती है उपचार के वैध उद्देश्य के रूप में निवारण को बनाए रखना चाहते हैं और क्षतिपूर्ति, दंडात्मक, सुधारात्मक और पुनर्वास उपायों के मिश्रण के माध्यम से अपराधियों और पीड़ितों दोनों को संतुष्ट करना चाहते हैं। स्थिति का सबसे खराब हिस्सा यह है कि सुधार प्रभावी और व्यावहारिक परीक्षण किए गए तरीकों और तकनीकों के बिना समझौता करना जारी रखते हैं और बदले में खेल में शामिल सभी संबंधित पक्षों की सहमति भी शामिल होती है। इसका संभावित परिणाम यह है कि सुधारों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सेवा देने वाले लोगों से प्रशंसा के बजाय आलोचनाएं मिलती हैं। जबकि जनता को लगता है कि सुधार सबसे खराब अपराधियों और अपराधियों को धोखा दे रहे हैं, सुधार करने वाले ग्राहकों को लगता है कि बहुप्रचारित सुधार संस्थान अभी भी हिरासत के स्थान हैं।

सुधार व्यवसाय में यह अजीब भ्रम निश्चित रूप से सुधार संगठनों की मूर्खतापूर्ण दुविधाओं के कारण उत्पन्न हुआ है। इन दुविधाओं के बीच मूल बात सुधारात्मक संगठनों पर रखी गई मांगों की विरोधाभासी प्रकृति है। एक ओर उन्हें दंडित करने की आवश्यकता है और दूसरी ओर उनसे सुधार की अपेक्षा की जाती है, टीटर्स ने इस बिंदु को संक्षेप में प्रस्तुत किया है "आधुनिक सुधारों की दुविधा यह है कि समाज भ्रमित है। कई लोग पुनर्वास चाहते हैं, लेकिन वे इसे सजा की अवधारणा से चिपके हुए चाहते हैं। ये व्यक्ति अभी भी प्रतिशोध के लिए ग्लैमरस हैं और कट्टर संरक्षण के पुराने अतीत के लिए एक कठोर आवाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। यू.एस. के मुख्य न्यायाधीश श्री विलियम

ई. बर्गर ने टीटर्स जैसे लोगों से असहमत होते हुए भी सुधारों की विफलता का एक और कारण पाया। उन्होंने कहा "एक प्रणाली के रूप में सुधार अपनी अवधारणाओं के कारण विफल नहीं हुआ है, चाहे पुनर्वास हो या प्रतिशोध या कुछ और लेकिन किसी भी सहमत योजना और उद्देश्य की कमी के कारण, और सबसे बुरी बात यह है कि उपेक्षा के पीछे उदासीनता है"

मिस्टर बर्गर के निदान पर करीबी नजर डालने से पता चलता है कि सुधार प्रक्रिया में उपचार सामग्री अभी भी कई सुधार संस्थानों में दंडात्मक और प्रतिशोधात्मक दृष्टिकोण, नीतियों, प्रथाओं और दर्शन का एक अजीब मिश्रण प्रदर्शित करती है। किए गए प्रयासों का कुल योग इस बात का समर्थन करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं देता है कि ऐसे संस्थानों में कैदियों को दी जाने वाली शिक्षा, प्रशिक्षण और परामर्श उन्हें भविष्य के लिए कानून का पालन करने वाले नागरिक बनने में मदद करने के लिए पर्याप्त है। इन सुधारात्मक उपकरणों की प्रभावशीलता में बाधाएँ हैंरू प्रशासनिक समीचीनताएँ, परिचालन संबंधी कमियाँ, कुशल सुधारकों की कम आयु, बहुत आवश्यक कार्यक्रमों और सुविधाओं की कमी, और कैदी प्रेरणा की कमी।

सुधार संस्थानों की अन्य समान रूप से गंभीर कमियाँ हैं उनका अत्यधिक आकार और प्रशासन की पुरानी प्रणाली। सबसे पहले, कई सुधार संस्थान विशालकाय मशीनों की तरह दिखते हैं जो आधुनिक सुधारों के व्यक्तिगत उपचार दृष्टिकोण को रोक देते हैं। सामूहिक उपचार पद्धतियाँ व्यक्तिगत विकास को बाधित करती हैं और कैदी की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने में कोई सार्थक सेवा प्रदान नहीं करती हैं। लगातार भीड़भाड़ के कारण कैदियों के साथ घनिष्ठ व्यक्तिगत संबंध बनाए रखना मुश्किल हो गया है। इसका अंतिम परिणाम यह है कि कर्मचारियों के पास कैदियों को व्यक्तियों के रूप में देखने का बहुत कम अवसर होता है। चोट पर नमक छिड़कने के लिए, सुधार दुनिया अभी भी भ्रमित है कि एक संस्थान कितना बड़ा होना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर देते समय, सुधार प्रशासन संचालन की अर्थव्यवस्था और कार्यक्रमों की दक्षता के बीच समझौता करता है । संक्षेप में, सुधार संस्थान बहुत बड़े हैं, उनका प्रबंधन करना बहुत कठिन है, और लोगों की वास्तविक दुनिया, उनकी समस्याओं और उनकी वास्तविक जीवन शैली से बहुत दूर हैं। कर्मचारियों के सर्वोत्तम इरादों के बावजूद, सुधार संस्थान अक्सर खराब स्थानों पर स्थित होते हैं, पुराने होते हैं, और प्रभावी कार्यक्रमों में बाधा डालते हैं। संस्थानों को आवश्यक कार्यक्रमों के अनुसार ढालने के बजाय, कभी-कभी संस्थानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कार्यक्रमों को संशोधित किया जाता है। इन सबसे बढ़कर, उपचार उन्मुख सुधार अभ्यास और प्रक्रियाएँ किसी न किसी तरह सुधार के ग्राहकों की आत्म-छवि को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं, और परिणामस्वरूप सुधारों के लिए एक बड़ी बाधा साबित होती हैं । अब ऐसा प्रतीत होता है कि सुधार की दुनिया में उपचार संस्कृति के अभिन्न अंग के बजाय पिछड़े देश में एक अतिरिक्त-क्षेत्रीय रियायत की तरह है। संस्कृति का प्रचलित विषय अभी भी दंड है उपचार को सह-अस्तित्व में रहने की अनुमति है क्योंकि यह समय को भरता है और कई प्रबंधन समस्याओं को कम करता है ।

सुधार विफलता का सबसे बड़ा स्रोत, शायद सुधारकों की इस अज्ञानता में निहित है कि वास्तव में एक विचलित व्यक्ति को क्या सुधारना है। परिणामस्वरूप, सुधारक भोलेपन से जनता को यह सोचने में गुमराह करते हैं कि सुधारक संस्थाएँ व्यक्तियों में परिवर्तन लाने में सक्षम हैं, जब सभी सामुदायिक संसाधन विफल हो गए हैं। वे पुनर्वास को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करते हैं और कारावास से प्रतिशोध और निवारण के प्रभावों को नजरअंदाज करते हैं। सुधारक प्रबंधक मासूमियत से निदान, अवलोकन, चिकित्सा और उपचार के संदर्भ में बात करते हैं - यह समझते हुए कि ये चिकित्सा शब्द हैं जो अपराधियों को बदलने के लिए उनके पास मौजूद विशेषज्ञता से अधिक अधिग्रहण का दृढ़ता से सुझाव देते हैं । हालाँकि, कठोर तथ्य यह है कि सुधारक अपराध के कारण का निदान नहीं कर सकते हैं और इलाज की गारंटी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि सुधार अभी भी मुख्य रूप से एक कला है और केवल आंशिक रूप से एक विज्ञान है। उपचार पर मार्टिनसन का अध्ययन पुष्टि करता है कि सुधारक लोग आपराधिक व्यवहार को बदलने के बारे में कितना कम जानते हैं। सुधार प्रणाली के कई मौजूदा शोध स्पष्ट रूप से सुझाव देते हैं कि सुधारात्मक उपचार की प्रभावकारिता का समर्थन करने वाले साक्ष्य थोड़े असंगत और संदिग्ध विश्वसनीयता वाले हैं। सुधारों की दुनिया में कठोर वास्तविकता अभी भी आदर्श सिद्धांतों (अक्सर मुखर) और उपचार प्रक्रियाओं में दिखाई देने वाली वास्तविक दिन-प्रतिदिन की प्रथाओं के बीच एक बड़ा अंतर बताती है।

हाल ही तक, सुधार में प्रयासों को बदलने वाले लोग परीक्षण और त्रुटि से पहले, और कार्यक्रम प्रभावशीलता के बारे में दृढ़ डेटा द्वारा निर्देशित अंर्तज्ञान से पहले थे। सुधार करने वाले लोग कार्यक्रम के प्रभाव के बारे में अज्ञानता में काम करने से संतुष्ट हैं या अपरिष्कृत आंकड़ों के आधार पर भोलेपन से निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं। इसलिए यह स्पष्ट है कि शोध और मूल्यांकन ने पारंपरिक रूप से सुधारों में एक छोटी भूमिका निभाई है। इन क्षेत्रों में विफलता के कई कारण हैं सुधार प्रणाली और उसके काम में जनता की अरुचि, प्रणाली की जरूरतों के लिए विधायी चिंता की कमी, क्षेत्र में मूल्यांकनात्मक शोध का उपयोग करने की आवश्यकता के बारे में प्रशासकों के बीच ज्ञान और अंतर्दृष्टि की कमी, और सुधारों की समस्याओं के लिए सामाजिक विज्ञानों की ऐतिहासिक अरुचि हमेशा से ही थी।

सुधार संकट का पता इसके असंबद्ध ढांचे से भी लगाया जा सकता है, जिसमें स्पष्ट दिशा का अभाव है और जिसके पास कोई समग्र योजना नहीं है। यह क्षेत्र विभाजन और विभाजन से भरा हुआ है। कानून प्रवर्तन, न्यायालय और सुधार, तीन परस्पर निर्भर खंड - इस तरह से काम करते हैं जैसे कि उनमें से प्रत्येक स्वायत्त है। उनके अधिकार क्षेत्र ओवरलैप होते हैं, वे एक-दूसरे की नकल करते हैं, और कुछ इस तरह से स्थापित किए जाते हैं कि वे जनशक्ति को बचाने के बजाय बर्बाद करते हैं। इसका स्पष्ट परिणाम यह है कि सिस्टम-वाइड एकीकरण की कमी आपराधिक न्याय प्रणाली के सामने सबसे महत्वपूर्ण समस्या बनी हुई है, जिसमें सुधार एक अविभाज्य घटक है।

सुधार संकट का एक हिस्सा सुधारात्मक कानून के साथ इसकी असंगति का परिणाम भी है। ऐसा प्रतीत होता है कि एक तरह की संरचनात्मक दुविधा है जो सुधार एजेंसियों को कानूनी संचालन में सहायक या सहायक के रूप में काम करने के लिए संतुष्ट करती है जो पुनर्वास की अवधारणा को नौकरशाही स्टोर फ्रंट के लिए एक खिड़की-सजावट के रूप में मानती है। परिणामस्वरूप, सुधार की दक्षता में सुधार संबंधी कई कानूनों द्वारा बाधा उत्पन्न हुई है जो बदला लेने के लिए उन्मुख हैं। स्थिति की विडंबना यह है कि न्यायाधीश जिन्हें सुधार दर्शन के प्रबल समर्थक होने चाहिए, वे इस बात से बेपरवाह हैं कि आपराधिक न्याय प्रणाली में प्रवेश करने वालों के साथ आखिरकार क्या होता है। उनमें से कुछ को यह भी नहीं पता कि सुधार लोग उन लोगों के साथ क्या कर रहे हैं जिन्हें उन्होंने सजा सुनाई है। सुधार क्षेत्र में न्यायाधीशों की भूमिका व्यावहारिक रूप से कार्यवाही के परीक्षण पहलू तक सीमित है, और उनके लिए सजा देने का मतलब केवल कोड-बुक को देखना और संबंधित अपराध के लिए प्रदान की गई वर्षों की अवधि को यंत्रवत् लागू करना है। इस तरह का दण्ड दर्शन 'न्याय के वैयक्तिकरण' पर घातक प्रहार करता है, और इसके परिणामस्वरूप, सबसे खराब स्थिति में सत्ता का अत्याचारपूर्ण दुरुपयोग होता है, और सबसे अच्छी स्थिति में, अनिश्चित निर्णय होते हैं।

सुधार संबंधी कई समस्याएं मौद्रिक संसाधनों की कमी के कारण भी उत्पन्न होती हैं। सुधार कोष दिवालियेपन से ग्रस्त है और कोई नहीं जानता कि इसे कैसे समृद्ध बनाया जाए। वास्तव में, नवीन परिवर्तन करने, नई सुविधाओं को डिजाइन करने और बनाने या नए कार्यक्रम शुरू करने के लिए बहुत कम पैसा है। यह सब सुधारों की वांछित भूमिका को पूरा करना बहुत कठिन बना देता है। संसाधनों की खराब उपलब्धता के कारण सुधार प्रणाली बदलती सामाजिक अपेक्षाओं को पूरा करने में पूरी तरह से अक्षम हो जाती है। सुधार बजट पर हिरासत के मामलों में कथित अपव्यय के लिए भी आरोप-पत्र दायर किया गया है। यह अपने धन का बड़ा हिस्सा अपने बाहरी हिस्से को सुधारने में खर्च कर देता है, और अंदर की खामियों को आसानी से नजरअंदाज कर देता है। सुधार निवेश पैटर्न पर शोध से पता चलता है कि सुधार व्यय बिल का मुख्य मद हिरासत है और इसका केवल एक अंश (दस प्रतिशत से भी कम) पुनर्वास के लिए जाता है।

सुधार क्षेत्र पर्याप्त संख्या में योग्य सुधारकों की कमी के कारण और भी अधिक अपंग है - विशेष रूप से वे जो उपचार और पुनर्वास की जिम्मेदारी वाले पदों पर हैं। कस्टोडियल स्टाफ की अधिकता केवल "पारंपरिक दंडशास्त्र" की दृढ़ता को दर्शाती है जो आधुनिक सुधारों की उन सभी विधियों और तकनीकों को संदिग्ध रूप से देखती है, जिनका तथाकथित नरम दंडशास्त्र के समर्थक खुलेआम समर्थन करते हैं। व्यवहार विज्ञान में पेशेवर रूप से योग्य व्यक्ति सुधार संस्थानों में शामिल होने के लिए पर्याप्त रूप से आकर्षित नहीं होते हैं क्योंकि उन्हें वह पुरस्कार मिलने की कम संभावना होती है जिसकी वे तलाश कर रहे होते हैं। योग्य कर्मचारी सुधार क्षेत्र की ओर आकर्षित क्यों नहीं होते हैं, इसका कारण रोजगार की स्थितियों में पाया जा सकता है,

और इनमें से प्रमुख कारण कम वेतन और उनकी प्रतिभा और क्षमताओं की पहचान का अभाव है। सुधार क्षेत्र तीन बुनियादी कारणों से सक्षम कर्मचारियों को आकर्षित करने में विफल रहता है (1) समुदाय की नजर में इसकी प्रतिष्ठा और स्थिति कम है (2) इसकी वेतन संरचना इसकी जिम्मेदारियों के संबंध में अपर्याप्त है और (3) नौकरी को न तो इस तरह से परिभाषित किया गया है और न ही व्यवस्थित किया गया है कि प्रतिभाशाली लोगों की रुचि और क्षमता को चुनौती दी जा सके और उनका प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सके।

सुधार संस्थानों में शामिल होने वाले कुछ विशेषज्ञ सुधार नौकरशाही के पिरामिड में कम महत्वपूर्ण स्थान पर रहने के लिए मजबूर हैं। उन्हें शायद ही कभी उचित मान्यता, पर्याप्त प्रोत्साहन और उपयुक्त कार्य-असाइनमेंट दिए जाते हैं। बड़े आकार के सुधार संस्थानों (जैसे जेल) के हठधर्मी मालिक अभी भी ऐसे पेशेवर कर्मचारियों के प्रति पूर्वाग्रही रवैया दिखाते हैं, और उनके सुचारू संचालन में गंभीर बाधा उत्पन्न करते हैं। परंपरा से बंधे सुधार नौकरशाह संगठनात्मक परिवर्तन का विरोध करते हैं और उपचार कर्मियों के पुनर्वास प्रयासों को कम आंकते हैं। निश्चित रूप से, पुनर्वास इन पुराने जमाने के सुधार प्रशासकों के शब्दकोश में संदिग्ध योग्यता वाला शब्द है। उनमें से कई अब भी अपराध नियंत्रण के लिए संभावित रामबाण के रूप में प्रतिशोध और निवारण की धारणाओं से चिपके हुए हैं। ऐसे कई सुधारक प्रशासक उन दंडशास्त्रियों पर विश्वास नहीं करते जो यह कहते फिरते हैं कि समाज की इच्छा को एक नियंत्रित पुनर्वास कार्यक्रम द्वारा बेहतर तरीके से पूरा किया जा सकता है, बजाय एक शांत संस्था चलाने के एकनिष्ठ प्रयास के परिणामस्वरूप, कई सुधारक कार्यक्रम विफल हो जाते हैं, इसलिए नहीं कि वे अप्रभावी या मूल्यहीन हैं, बल्कि इसलिए कि वे ऐसे लोगों द्वारा संचालित किए जाते हैं जो नए सुधार दर्शन को लागू करने के लिए पर्याप्त रूप से सुसज्जित नहीं हैं। कई सुधारक संस्थानों के प्रशासकों के पास स्पष्ट रूप से सुधार पद्धति में सीमित पेशेवर पृष्ठभूमि है। उन्हें अक्सर सिस्टम के भीतर से ऐसे पदों पर पदोन्नत किया जाता है, जिनके पास पर्याप्त प्रशिक्षण, अनुभव या उनके काम के लिए योग्यता नहीं होती।

ऐसी स्थिति में सुधारक कार्यकर्ता निराशावाद में सुरक्षित शरण पाते हैं और अपने काम को असहाय लोगों को बचाने के एक निराशाजनक कार्य के रूप में संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं। अक्सर सुधारक कर्मचारी असहाय महसूस करते हैं कि उन्हें मौजूदा सुधारक नौकरशाही पर बिना किसी उचित तंत्र के थोप दिया गया है, जिससे वे संतोषजनक रूप से इसमें समाहित हो सकें। इसलिए, संस्थागत संगठन पर पेशेवर कर्मचारियों का कसकर बैठना असामान्य नहीं है, जैसे कि बीयर के गिलास पर झाग, जो इसकी उपस्थिति में काफी वृद्धि करता है, लेकिन जब भी कोई गंभीर काम करना होता है तो उन्हें तुरंत हटा दिया जाता है।

सुधारों की कम सार्वजनिक विश्वसनीयता

सुधारों की समस्या सीधे तौर पर इसकी कम सार्वजनिक विश्वसनीयता और लोगों के समर्थन की कमी से भी संबंधित है। सही और पूरी जानकारी का अभाव जनता के लिए 'नजर से दूर, दिमाग से दूर' के सिद्धांत को लागू करने का एक सुविधाजनक तरीका है।

हाल ही में किए गए सुधारों के शोध ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जनता सुधारों के बारे में बहुत कुछ नहीं जानती है, और जो जानकारी उसके पास है वह या तो खंडित और अधूरी है या पारंपरिक रूढ़ियों पर आधारित है। सीधे शब्दों में कहें तो सुधार लोगों को अपनी खुद की घिनौनी कहानी बताने में विफल रहे हैं।

सुधार तंत्रों के बारे में लोगों की स्पष्ट अज्ञानता जनता को यह विश्वास दिलाती है कि अपराधियों (वास्तविक और काल्पनिक दोनों) के सुधार और पुनर्वास की पूरी बात एक 'नरम दंडशास्त्र' है जो अपराधियों की अधिक और पीड़ितों की कम परवाह करती है। जनता की उदासीनता की इस स्थिति के कारण वास्तव में सरल हैं। सबसे पहले, समुदाय वास्तव में इन लोगों के समर्थन के लिए भुगतान नहीं करना चाहता है जिन्होंने समाज के कानून को रौंद दिया है। नतीजतन, सुधार की भूमिका के प्रति समुदाय की दुविधा के साथ, ऐसी एजेंसियों के लिए वित्तीय और पेशेवर समर्थन उदासीनता से और अनिच्छा से दिया जाता है। दूसरे, सुधार एजेंसियों को सामाजिक रूप से कलंकित किया जाता है, और इसलिए सार्वजनिक और निजी दोनों सामाजिक कल्याण एजेंसियां उनके साथ सहयोग करने के लिए उदासीन हैं। तीसरे, सुधार एजेंसियां, मोटे तौर पर, गोपनीयता की एक मोटी दीवार के नीचे काम करती हैं, और अपने तरीकों और प्रबंधन के लिए खतरे

के रूप में वांछित या अवांछित सार्वजनिक आलोचना से ग्रस्त हैं। ऐसी आलोचना के खिलाफ खुद को बचाने की उनकी इच्छा के परिणामस्वरूप, वे अपनी सुविधाओं को सार्वजनिक जांच के लिए खोलने के लिए तैयार नहीं हैं। चैथा, सुधार एजेंसियों और उनके ग्राहकों की समस्या के प्रति लोगों की असंवेदनशीलता का एक हिस्सा एजेंसी के अधिकारियों और शीर्ष-स्तरीय नीति नियोजकों द्वारा जनसंपर्क कार्य की लापरवाही से उत्पन्न होता है। और अंत में, वास्तव में जिस चीज की कमी है, वह है सुधार के बारे में जनता को शिक्षित करने के लिए वास्तविक प्रयास।

सुधार के प्रति जनता का नकारात्मक रुख कई तरीकों से परिलक्षित होता है। सबसे पहले, जनता को आम तौर पर सुधार में बहुत अधिक भरोसा नहीं है और दूसरे, जनता को सुधार करने वाले कर्मियों की सुधार करने की क्षमता पर और भी कम भरोसा है। ऐसा लगता है कि जनता उपचार कार्यक्रमों के मूल्य के बारे में आश्वस्त होने से बहुत दूर है, खासकर जब उन्हें समुदाय में लागू किया जाता है। जब इन कार्यक्रमों का समर्थन करने की बात आती है, तो आम तौर पर देखा जाता है कि जनता दुविधा में पड़ जाती है और कुछ हद तक कम उत्साही हो जाती है। सुधार कार्यक्रमों का समर्थन करने के लिए जनता की यह अनिच्छा दो स्रोतों से उत्पन्न होती है पहला, समर्थन का मतलब है अधिक व्यय और सुधार कार्यक्रमों को सरकारी बजट बनाने में कम प्राथमिकता मिलती है। दूसरा, सुधार कार्यक्रमों का समर्थन करने के लिए जनता की अनिच्छा अपराधियों के प्रति उसके रवैये से संबंधित है और औसत व्यक्ति अपराधी को ऐसे व्यक्ति के रूप में देखता है जिसने विश्वास तोड़ा है और इसलिए, उस पर अब भरोसा नहीं किया जा सकता है। संक्षेप में, जनता का सुधार के प्रति नकारात्मक रवैया बना हुआ है और वह इसके कार्यक्रमों और नीतियों का सक्रिय रूप से समर्थन करने के लिए बेहद अनिच्छुक है। इसलिए, जनता के रुख को बदलना और उसे सुधार के प्रति अधिक अनुकूल बनाना, आज सुधार के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है।

संस्थागत कारावास पर सुधार की निर्भरता

सुधार संकट का एक और महत्वपूर्ण पहलू सुधार के लोगों का (आज भी) संस्थागत कारावास पर बहुत अधिक भरोसा करने का अटूट विश्वास है। नीति नियोजन स्तर पर उच्चाधिकारी अभी भी मानते हैं कि उनके द्वारा बनाए गए संस्थान बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। इन लोगों को इस बात का एहसास नहीं है कि कई अधिकतम और मध्यम दंडात्मक सुधारात्मक सेटिंग्स की ऊंची दीवार के पीछे संस्थागत अनुभव अपराधी हितों को विकसित करने के लिए अनुकूलित उत्तेजनाओं का एक संकेंद्रण है। ये संस्थान इस तरह से बनाए गए हैं कि वे अक्सर आलस्य और सुस्ती की आदतें सिखाते हैं और अपराधियों को और भी बुरे अपराध करने के लिए साजिश करने का अवसर दे सकते हैं। कई संस्थानों में जीवन सबसे अच्छा बंजर और निरर्थक है, सबसे बुरा अवर्णनीय रूप से क्रूर और अपमानजनक है। यह तो तय है कि ऐसे संस्थानों में अपराधी अपनी सजा काटते समय आगे कोई अपराध करने से अक्षम हो जाते हैं, लेकिन वे जिन परिस्थितियों में रहते हैं, वे समाज में उनके सफल पुनः प्रवेश के लिए सबसे खराब संभव तैयारी हैं, और अक्सर उनमें हेरफेर और विध्वंस के लिए एक रूप को फिर से मजबूत करती हैं। पुराने जमाने के सुधार सलाहकार हालांकि यह नहीं समझते हैं कि इन संस्थानों के कृत्रिम परिवेश में पुरुषों के लिए सामान्य सामाजिक आदतों और मन के दृष्टिकोण को विकसित करना या बनाए रखना मुश्किल है।

इसका यह मतलब नहीं है कि कारावास के विकल्प की कोशिश ही नहीं की गई है। इनकार का मतलब है कि उन्हें पूरा समर्थन नहीं दिया गया है। समुदाय-आधारित सुधार निश्चित रूप से सुधार कार्यक्रम में कम प्राथमिकता वाला विषय है। जो कुछ लागू किए गए हैं, उन्हें अभी तक उचित पोषण नहीं दिया गया है। इसलिए, इसका परिणाम यह है कि समुदाय-आधारित सुधार कार्यक्रम, जैसे परिवीक्षा, पैरोल और बाद की देखभाल खराब परिणाम दिखा रहे हैं। समुदाय में ही दोषरहित सुधार सेवाएँ बनाने के बजाय संस्थानों के निर्माण पर पैसा खर्च करने पर अभी भी जोर दिया जा रहा है। सुधार करने वाले बहुत से लोग, निश्चित रूप से, संस्थागत कारावास के नए-नए विकल्पों की व्यापक संभावनाओं के बारे में पर्याप्त रूप से जागरूक नहीं हैं जो सुधार के भविष्य के लिए हैं। इसलिए सुधार में मुख्य मुद्दा यह है कि समुदाय-आधारित सुधार उपकरणों जैसे परिवीक्षा, पैरोल और बाद की देखभाल के पक्ष में संतुलन कैसे बनाया जाए।

सुधार संकट को हल करने की दिशा में

सुधार संकट का समाधान एक आसान काम नहीं लगता है, खासकर जब संसाधन बहुत कम हों। यह अक्सर उलझन भरा होता है और निराशा के क्षणों से रहित नहीं होता। एकमात्र संतुष्टि यह है कि सुधार करने वाले लोग अब चुनौती को समझ रहे हैं, और उनमें से कुछ समाधान खोजने में गंभीरता से व्यस्त हैं। हालाँकि पेश किए गए समाधान लागू करने के लिए काफी आसान नहीं हैं, लेकिन अगर सुधारों का भविष्य एक सुविधाजनक बहाव के बजाय एक आगे की दिशा में बढ़ना है, तो ये सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं। सुधार छवि को नया रूप देने के लिए अब पेश किए जा रहे कुछ प्रमुख समाधान नीचे प्रस्तुत किए गए हैं :-

1. कारावास को रामबाण नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि कई उपायों में से एक माना जाना चाहिए और इसलिए सभी मामलों की सावधानीपूर्वक जांच के बाद इसे लागू किया जाना चाहिए।
2. बंद सुविधाओं के विकल्पों में विविधता लाने और उन्हें बढ़ाने की आवश्यकता की सराहना और अपराधियों के अनुपात में महत्वपूर्ण बदलाव की तलाश करना जिन्हें कैद किया जाना चाहिए या अधिक खुले सामुदायिक कार्यक्रमों में निपटाया जाना चाहिए।
3. अपराधियों को दुनिया से अलग-थलग करने की अवधि के बजाय कारावास को अधिक सार्थक अनुभव बनाने के प्रयास किए जाने चाहिए।
4. प्रभावी सुधार मुख्य रूप से कार्यक्रमों और अपराधियों के मिलान पर निर्भर करता है ताकि समाज की सुरक्षा और पुनर्वास की आवश्यकता को पूरा किया जा सके। यह कार्यक्रमों की बहुमुखी प्रतिभा और सावधानीपूर्वक योजना के बिना नहीं किया जा सकता है।
5. सभी हिरासत और सुधार संस्थानों की विरोधाभासी नीतियों को हल किया जाना चाहिए ताकि प्रतिशोधात्मक और निवारक दंड पर वर्तमान जोर अंततः सुधार और पुनर्वास का रास्ता दे सके। यह केवल पुनर्वास लक्ष्य के पक्ष में दंड के अक्षमकारी और निवारक उद्देश्यों को अस्वीकार करके हासिल नहीं किया जा सकता है। वास्तव में, उपचार के उपायों को तत्काल और दीर्घकालिक सामुदायिक सुरक्षा तथा विविध वैध सामाजिक हितों के विचारों द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए। उन्हें यथार्थवादी, व्यावहारिक और प्रयोगात्मक उपाय होना चाहिए।
6. यदि सुधारों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे तेजी से नवीन परिवर्तनों को समायोजित करेंगे, विकास का अनुभव करेंगे और अपने पारंपरिक शासन को प्रबंधन की दूरदर्शी शैली में सफलतापूर्वक बदल देंगे, तो सुधार सुविधाओं के नौकरशाही संगठनात्मक मॉडल को उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाना चाहिए।
7. जड़ता, औपचारिकता और ठहराव को दूर करने के लिए साहसी और प्रेरक नेताओं की आवश्यकता होती है जो एक सुधार संगठन को इतनी आसानी से पंगु बना देते हैं।
8. सक्षम सुधार कार्य के लिए सतर्क, सक्षम, कल्पनाशील और सबसे बढ़कर बौद्धिक रूप से जिज्ञासु व्यक्तियों की आवश्यकता होती है जो सीखने के लिए उत्सुक हों और पुरुषों और महिलाओं को समझने में सक्षम हों और जो सुधार कार्यक्रमों में योगदान देने के लिए इच्छुक और सक्षम हों।
9. सुधार प्रणाली या सेवा के हर स्तर पर - ऊपर से नीचे तक - कर्मियों को उच्च मानकों या योग्यता, प्रशिक्षण, अनुभव, व्यक्तित्व और चरित्र को पूरा करना चाहिए। उन्हें अच्छी कार्य स्थितियों, पर्याप्त वेतन, उचित कार्य घंटे, वार्षिक और बीमार अवकाश, और सेवानिवृत्ति प्रावधानों का आश्वासन दिया जाना चाहिए।
10. सुधार एजेंसियों को एक अनुकूल संगठनात्मक बनाने के लिए कार्मिक प्रथाओं की तुरंत पुनः जांच और संशोधन करना चाहिए और कर्मचारियों के असंतोष को समाप्त करना चाहिए ताकि एक सक्षम कर्मचारी को बनाए रखा जा सके। ऐसी नीतियां विकसित की जानी चाहिए जो प्रदान करें (क) सभी कर्मियों के लिए वेतन जो आपराधिक न्याय प्रणाली के अन्य भागों के साथ प्रतिस्पर्धी हो (ख) प्रणाली के भीतर कर्मचारियों की उन्नति के अवसर (ग) अत्यधिक और अनावश्यक कागजी कार्रवाई का उन्मूलन और (घ) अच्छी तरह से किए गए कार्यों के लिए उचित मान्यता।
11. सुधार कर्मियों को सेवा-पूर्व और सेवा-कालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध कराए जाने चाहिए ताकि उन्हें सुधार में नवीनतम अवधारणाओं और दर्शन से अवगत कराया जा सके।
12. सुधार में ध्वनि अनुसंधान परंपरा के विकास को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

13. निम्नलिखित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण शोध किए जाने की आवश्यकता है (क) लागत प्रभावशीलता (ख) प्रशासनिक शैली (ग) मानक और सुविधाएं और (घ) कर्मचारियों, कार्यक्रमों और अपराधियों का मूल्यांकन।
14. शोध, कार्यक्रम विकास और मूल्यांकन, प्रयोगात्मक उपचार मॉडल तैयार करने, कार्मिक प्रशिक्षण और अभिनव कार्यक्रमों और नीतियों को स्थापित करने के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
15. अतीत की पुरानी, अप्रचलित और समय-समय पर खराब हो चुकी सुधारात्मक संस्थाओं की जगह नई सुविधाओं का विस्तार किया जाना चाहिए।
16. जन समर्थन और विधायी और वित्तीय सहायता जुटाने के उद्देश्य से सुधारात्मक प्रणाली की समस्या के बारे में आम जनता को शिक्षित करने के लिए जोरदार प्रयास किए जाने चाहिए।
17. सुधारों के लिए कम से कम चार स्तरों पर सामुदायिक भागीदारी की आवश्यकता होती है (क) विश्वसनीयता यानी जनता का विश्वास प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक शिक्षा और जनसंपर्क का गहन और निरंतर कार्यक्रम (ख) समर्थन, यानी वित्तीय सहायता, स्वयंसेवक और अन्य प्रत्यक्ष सहायता (ग) परामर्श, अर्थात् नीति और निर्णय लेने में कम से कम अप्रत्यक्ष हिस्सेदारी और (घ) लेखापरीक्षा, अर्थात् जनता उन समूहों में से एक है, जिनके प्रति सुधारों को जवाबदेह होना चाहिए।

संदर्भ :

- एलन, हैरी ई. और सिमोंसन, क्लिफोर्ड ईय (1975) अमेरिका में सुधाररू एक परिचय, ग्लेनको प्रेस, न्यूयॉर्क।
- अर्नेमिया, ईजी सी. (1975) ऐसी प्रथाएँ जो कैदियों की आत्म-छवि को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं, अमेरिकन जर्नल ऑफ करेक्शंस, खंड 30, संख्या 3।
- बेनेट, जेम्स वी., (1954), सुधारात्मक सामाजिक काय सामाजिक कार्य वर्ष पुस्तिका, राष्ट्रीय सामाजिक कार्यकर्ता संघ, न्यूयॉर्क।
- बिक्सबी, लवेल, एफ. और मैककॉर्कल, लॉयड डब्ल्यू. (1968), सुधारात्मक संस्थानों में समूह चिकित्सा के सिद्धांतों को लागू करना, संघीय परिवीक्षा, खंड 1 14. सं.1.
- ब्रॉडी, एस. (1976), सजा की प्रभावशीलता साहित्य की समीक्षा, गृह कार्यालय अनुसंधान अध्ययन, खंड 35, लंदन, एचएमएसओ।
- बर्न्स, हेनरी (1969), "सुधार अतीत, वर्तमान और भविष्य', संघीय परिवीक्षा, खंड 34, सं. 1.
- कार्लसन, नॉर्मन ए. (1975), द फेडरल प्रिजन सिस्टम फोर्टी फाइव इयर्स ऑफ चेंज, फेडरल प्रोबेशन, वॉल्यूम.39, नंबर.2।
- गारबेडियन, पीटर जी. (1969), चैलेंजेस फॉर कंटेम्पररी करेक्शंसश, फेडरल प्रोबेशन, वॉल्यूम. 33, सं. 1.
- ग्लूक, शेल्डन (1956), द सेंटेंसिंग प्रॉब्लम, फेडरल प्रोबेशन, खंड 20, सं. 4.
- हेन्स, गैरेट (1969), सुधार में आगे की राह संघीय परिवीक्षा, खंड 37, संख्या 1.
- जार्विस, ड्वाइट सी. (1978) अपराधियों का संस्थागत उपचार मैकग्रा हिल, न्यूयॉर्क।
- जॉर्गेनसन, जेम्स डी. (1970), स्वतंत्र समाज में अपराध विकल्प या चुनौती, संघीय परिवीक्षा, खंड 33, संख्या 2.
- लेरमैन, पॉल (1975) सामुदायिक उपचार और सामाजिक नियंत्रण, शिकागो प्रेस विश्वविद्यालय, शिकागो।
- मॉरिस, नॉरवल (1974), कारावास का भविष्य, शिकागो यूनिवर्सिटी प्रेस,
- सैनफिलिप्पो और वॉलाच, जो (1970), "लोगों को बदलने के लिए हमें लोगों की जरूरत है', संघीय परिवीक्षा, वॉल्यूम 34, नंबर 3.
- सिंडेयर, डॉन (1963), "सेवाकालीन प्रशिक्षण और संस्थागत उपचार के लक्ष्य', कनाडाई जर्नल ऑफ करेक्शंस, वॉल्यूम 5, नंबर 2.

उत्तराखण्ड की अनूठी पटवारी पुलिस व्यवस्था का अवसान : एक विश्लेषण

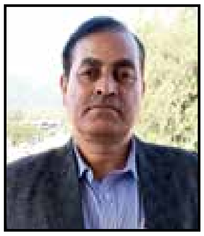

प्रो. डी. के. पी. चौधरी
आचार्य एवं विभागाध्यक्ष,
श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय, ऋषिकेश, उत्तराखंड

सारांश –
पुलिस सरकार की प्रशासनिक संरचना की वह शाखा है जिसका काम सार्वजनिक व्यवस्था और शांति बनाए रखना, सार्वजनिक सुरक्षा और नैतिकता को बढ़ावा देना और अपराधों की रोकथाम, पता लगाना और उन्हें दंडित करना है। एक लोकतांत्रिक समाज में पुलिस एक जीवंत अभिव्यक्ति, एक अवतार और लोकतांत्रिक कानून का कार्यान्वियन करने वाला अंग है। उत्तराखंड भारत का एकमात्र राज्य है जहां अंग्रेजों द्वारा लागू की गयी राजस्व पुलिस व्यवस्था आज भी कायम है। उत्तराखंड के कुछ हिस्से में यह व्यवस्था 164 वर्ष से यानी 1860 से चल रही है और विशेष रूप से उत्तराखंड के पर्वतीय भागों में अब भी सामान्य पुलिस कर्मी पूर्णतः नहीं दिखाई देते। विभिन्न कारकों ने एक ऐसा वातावरण बनाया है जिसमें अपराध का एक नया दौर, जो अब तक पहाड़ी समाज में नहीं देखा गया था, जोर पकड़ रहा है। इसके अलावा लोकतांत्रिक शासन और सामाजिक परिवर्तन (कुप्रथाओं और विकृतियों सहित) ने राजस्व पुलिस संगठन के भीतर कुछ दुविधाएं और संघर्ष उत्पन्न किए हैं। यह शोध पत्र अवसान की ओर जाते उत्तराखंड की इस अनूठी पुलिस पटवारी व्यवस्था के विविध पहलुओं का विश्लेषण करता है।

मुख्य शब्द – पुलिस , लोकतंत्र , उत्तराखंड , पटवारी पुलिस , नियमित पुलिस

लोकतंत्र का एक प्रमुख मानदंड कानून और व्यवस्था को बनाए रखना है। राज्य का पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम अपने यहां रहने वाले लोगों को सुरक्षा और संरक्षा प्रदान करना है। लोगों के लिए सुरक्षित और संरक्षित वातावरण प्रदान करने की जिम्मेदारी 'पुलिस' नामक निकाय पर आती है–जो राज्य का सक्रिय अंग है और कानून तोड़ने वाले, बाहरी खतरों और गड़बड़ी के खिलाफ रक्षा की पहली पंक्ति है। संतोषजनक स्तर पर कानून और व्यवस्था बनाए रखना विकास की एक बुनियादी शर्त है। राजनीतिक और सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों के बीच, कानून और व्यवस्था का प्रशासन और आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना तेजी से जटिल और चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। ऐसे माहौल में, पुलिस बल को न केवल कानून और व्यवस्था बनाए रखने के पारंपरिक कर्तव्य को पूरा करने तक ही सीमित रहना पड़ता है, बल्कि सुचारु विकास के लिए परिस्थितियों को सुनिश्चित करना होता है और अपनी पुनर्परिभाषित भूमिकाओं में नई चुनौतियों से लड़ना होता है, जो एक विकासशील समाज में अपरिहार्य हैं।

पुलिस सरकार की प्रशासनिक संरचना की वह शाखा है जिसका काम सार्वजनिक व्यवस्था और शांति बनाए रखना, सार्वजनिक सुरक्षा और नैतिकता को बढ़ावा देना और अपराधों की रोकथाम, पता लगाना और उन्हें दंडित करना है। इसे शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने का संरक्षक माना जाता है।

भारतीय संदर्भ में देखा जाए तो, भारत के संविधान के तहत पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था, जेल, सुधारगृह, बोर्स्टल और अन्य संबद्ध संस्थान राज्य के विषय हैं। संविधान के आदर्शों के अनुरूप, सभी राज्यों के अपने अलग-अलग पुलिस कानून हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि पुलिस प्रशासन में केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है, संविधान का अनुच्छेद 355 संघ को प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाने का आदेश देता है। यह केंद्र सरकार पर यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य भी डालता है कि प्रत्येक राज्य की सरकार संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार चले। पुलिस अधिनियम, 1861 अभी भी मूल साधन है जो भारतीय पुलिस के कामकाज को नियंत्रित करता है। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी पुलिस के कामकाज को नियंत्रित करते हैं।

परिचय

'पुलिस' शब्द–ग्रीक शब्द 'पोलाईटिया' या इसके लैटिन समकक्ष 'पोलिटिया' से लिया गया है जो राज्य के उस कार्यकारी नागरिक बल को संदर्भित करता है जिसे व्यवस्था बनाए रखने और अपराध की रोकथाम और पता लगाने के लिए नियमों को लागू करने का कर्तव्य सौंपा गया है। एक लोकतांत्रिक समाज में, पुलिस एक जीवंत अभिव्यक्ति, एक अवतार और लोकतांत्रिक कानून का कार्यान्वयन करने वाला अंग है। राज्य की वैधता और प्रभावशीलता सीधे तौर पर लोगों और उनकी संपत्ति को सुरक्षा प्रदान करने, कानून और व्यवस्था बनाए रखने और न्याय के प्रशासन में सक्रिय और निष्पक्ष भूमिका निभाने की पुलिस की क्षमता से संबंधित है। इन महत्वपूर्ण कार्यों को निभाने में पुलिस की विफलता सीधे राज्य के अधिकार को दर्शाती है।

भारत में पुलिस बल, जैसा कि अब मौजूद है, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई एक विदेशी संस्था है, जिसे स्वतंत्र भारत ने बनाए रखा और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए धीरे-धीरे विकसित किया। चूंकि पुलिस की औपचारिक संरचना अंग्रेजों द्वारा 1861 के पुलिस अधिनियम की नींव पर विकसित की गई थी, इसलिए देश के स्वतंत्र होने पर पूरी तरह से नया आयाम जुड़ गया। वास्तव में, 1861 के अधिनियम ने एक पुलिस प्रणाली की स्थापना की, जो पूरी तरह से कार्यकारी और अत्यधिक सत्तावादी के अधीन थी। भारतीय स्वतंत्रता के आगमन ने राजनीतिक व्यवस्था को बदल दिया, लेकिन पुलिस प्रणाली ने अपनी औपनिवेशिक नींव को बरकरार रखा। पुलिस का प्रबंधकीय दर्शन, मूल्य प्रणाली और लोकाचार संरचना में सैन्यवादी और व्यवहार में दमनकारी रहा।

स्वतंत्र भारत ने सरकार का लोकतांत्रिक और कल्याणकारी स्वरूप और समतावादी समाज चुना। भारत के संविधान का अनुच्छेद 246 पुलिस को राज्य का विषय बताता है, जो यह निर्धारित करता है कि राज्य सरकारें प्रत्येक पुलिस बल को नियंत्रित करने वाले नियम और कानून तैयार करेंगी। ये नियम और कानून प्रत्येक राज्य बल की पुलिस नियमावली में निहित हैं। भारत में पुलिस की पदानुक्रमिक संरचना एक ऊर्ध्वाधर संरेखण का अनुसरण करती है, जिसमें बड़े पैमाने पर भारतीय पुलिस सेवा से लिए गए वरिष्ठ अधिकारी शामिल होते हैं, जो पर्यवेक्षी कार्य करते हैं, उच्च अधीनस्थ (निरीक्षक, उप-निरीक्षक और सहायक उप-निरीक्षक) जो आमतौर पर पुलिस स्टेशन स्तर पर काम करते हैं, और पुलिस दल जिन्हें गश्त, निगरानी, गार्ड ड्यूटी और कानून व्यवस्था का काम सौंपा जाता है। पुलिस दल कुल पुलिस क्षमता का लगभग 88 प्रतिशत है। उत्तराखंड एक अनूठी पुलिस प्रणाली के लिए जाना जाता है, जिसमें राजस्व विभाग के सिविल अधिकारियों को ब्रिटिश शासन के विभिन्न प्रावधानों द्वारा पुलिस की शक्तियाँ और कार्य सौंपे गए थे। उत्तराखंड भारत का एकमात्र राज्य है जहां अंग्रेजों द्वारा लागू की गयी राजस्व पुलिस व्यवस्था आज भी कायम है। उत्तराखंड के कुछ हिस्से में यह व्यवस्था 164 वर्ष से यानी 1860 से चल रही है और विशेष रूप से उत्तराखंड के पर्वतीय भागों में अब भी सामान्य पुलिस कर्मी पूर्णतः नहीं दिखाई देते। सिविल पुलिस के विकल्प के तौर पर इन क्षेत्रों में राजस्व पुलिस तैनात है ।यद्यपि राज्य में नियमित पुलिस स्थापित है, फिर भी कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में, पुलिस के अधिकार क्षेत्र का विस्तार होना बाकी है और राजस्व अधिकारी अपराधियों की गिरफ्तारी और जांच जैसे पुलिस के कार्य करते हैं।

उत्तराखंड में पटवारी पुलिस व्यवस्था

उत्तराखंड में जिला और राज्य दोनों स्तरों पर पुलिस संगठन का संरचनात्मक स्वरूप राज्य के निर्माण से पहले विकसित

व्यवस्थाओं का विस्तार है। उत्तराखंड – कुमाऊं और गढ़वाल के रूप में विभाजित – स्वतंत्रता के बाद से उत्तर प्रदेश की एक प्रशासनिक इकाई रहा है। पुलिस अधिनियम 1861, पुलिस अधिनियम 1888, पुलिस (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1939, पुलिस (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1944, पुलिस अधिनियम, 1949, उत्तर प्रदेश प्रादेशिक सशस्त्र कांस्टेबुलरी अधिनियम, 1948 और उत्तर प्रदेश प्रादेशिक विकास दल अधीनस्थ सेवा नियमावली, 1980 उत्तराखंड में नव निर्मित पुलिस बल को इसके निर्माण की पूर्व संध्या पर विनियमित करने के लिए महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दिशा-निर्देश थे। 9 नवंबर, 2000 को उत्तराखंड को एक नए राज्य के रूप में बनाया गया और ऊपर उद्धृत कुछ प्रावधान उत्तराखंड में पूरी तरह लागू हो गए। कुछ समय पूर्व तक पहाड़ी राज्य उत्तराखंड नियमित पुलिस और राजस्व पुलिस का एक अनूठा मिश्रण प्रस्तुत करता था । उत्तराखंड के दूरदराज के इलाकों में वर्तमान में राजस्व अधिकारी (पटवारी) तैनात हैं, जिन्हें पुलिस उप-निरीक्षक के रूप में अधिसूचित किया गया है।

उत्तराखंड देश का एकमात्र ऐसा राज्य है, जिसमें राजस्व पुलिस की सदियों पुरानी अवधारणा है, जिसके तहत कानून और पटवारी जैसे राजस्व अधिकारियों के पास पुलिस की शक्ति और कार्य भी होते हैं। राजस्व पुलिस प्रणाली ब्रिटिश प्रशासन द्वारा विकसित पहाड़ी क्षेत्र की स्थानीय आवश्यकताओं के लिए विशिष्ट है, क्योंकि इसमें हमारे देश के मैदानी भाग या अब उत्तराखंड के कुछ भागों की तरह राजनीति की जटिल प्रकृति को स्वीकार नहीं किया गया, जहां के लोग स्वभाव से शांतिप्रिय माने जाते हैं, जहां भौगोलिक भूभाग अपराध को आसानी से अंजाम देने और अपराधी के जल्दी या आसानी से भागने में सफल होने की अनुमति नहीं देता है, जहां गरीबी का स्तर इतना गहरा और स्थानिक है कि इन भागों में उन तत्वों को आकर्षित करने के लिए बहुत कुछ नहीं है, जिन्हें नियंत्रित करने के लिए नियमित पुलिस की वास्तव में आवश्यकता है या वकालत की जाती है। राजस्व पुलिस उत्तराखंड के कुछ पहाड़ी हिस्से में आज भी काम करती है, जबकि नियमित पुलिस शेष क्षेत्रों में काम करती है। प्रदेश में राज्य गठन के बाद राजस्व पुलिस के अंतर्गत 7500 गांव थे, जहां 1216 पटवारी और 165 कानूनगो इस व्यवस्था को चला रहे थे। प्रदेश में वर्ष 2022 में वनंतरा रिजार्ट प्रकरण के बाद नैनीताल उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को राजस्व पुलिस की व्यवस्था को समाप्त करते हुए इन क्षेत्रों को सिविल पुलिस को देने के निर्देश दिए। हाल में ही विद्यमान राजस्व पुलिस व्यवस्था को नियमित पुलिस व्यवस्था करने के उद्देश्य से प्रथम चरण में 52 थाने एवं 19 रिपोर्टिंग पुलिस चौकियों का सीमा विस्तार किया गया है। इसके साथ ही 1800 राजस्व पुलिस ग्रामों को नियमित पुलिस व्यवस्था के अन्तर्गत अधिसूचित किया गया है। द्वितीय चरण में 6 नए थानों एवं 20 रिपोर्टिंग पुलिस चौकियों का गठन प्रस्तावित है। नए थाने, चौकियों के गठन के अन्तर्गत लगभग 1444 राजस्व ग्राम नियमित पुलिस व्यवस्था के अन्तर्गत अधिसूचित किए जाने की कार्रवाई शीघ्र ही पूर्ण कर ली जाएगी।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

ब्रिटिश कुमाऊं का प्रारंभिक प्रशासन शायद सबसे नवीन और स्पष्ट रूप से अत्यधिक लागत प्रभावी था। यहां सेवा करने वाले प्रशासकों के असामान्य रूप से लंबे कार्यकाल ने उनके नवीन तरीकों को एक निश्चित परिपक्वता प्रदान की, जिससे बाद में आने वालों के लिए विरासत में मिली व्यवस्था को बदलना बहुत मुश्किल हो गया। उत्तराखंड की राजस्व पुलिस प्रणाली निश्चित रूप से ब्रिटिश कुमाऊं के प्रशासकों द्वारा शुरू किए गए सुशासन का एक ऐसा उदाहरण है।

राजस्व पुलिस या पटवारी पुलिस प्रणाली के मुख्य वास्तुकार जॉर्ज विलियम ट्रेल थे, जो दूसरे कुमाऊं आयुक्त (1815-1835) थे। ब्रिटिश गढ़वाल सहित इसके आयुक्त के रूप में उनके दो दशक लंबे कार्यकाल में कई नई पहल हुई, जो आज तक कायम हैं। अंग्रेजों ने कुमाऊं और गढ़वाल के पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि रिकॉर्ड बनाए रखने और राजस्व संग्रह करने के लिए "पटवारी" नियुक्त किए। इस नई प्रणाली ने प्रभावी ढंग से काम किया और इसके परिणामस्वरूप अच्छी राजस्व प्राप्ति हुई। इन भूमि राजस्व अधिकारियों या पटवारियों को तब अतिरिक्त पुलिस जिम्मेदारियाँ दी गईं। चूंकि अपराध नगण्य थे, इसलिए इसने सरकारी खजाने पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ से बचा लिया। पटवारी, 60 से 80 गांवों वाले एक विशिष्ट क्षेत्र में पुलिस कर्तव्यों के लिए जिम्मेदार थे। अंततः, पटवारी ने अपराध की जांच करने और अपने क्षेत्र में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए

पुलिस के एक स्टेशन अधिकारी के रूप में कार्य किया। इसके बाद, इस प्रणाली को पहाड़ों में "पटवारी-पुलिस प्रणाली" के रूप में जाना जाने लगा।

अंग्रेजों के आगमन से पहले पुलिस अधिकारियों के कर्तव्य ग्राम प्रधान और थोकदार के पास थे। ग्राम प्रधान कानून और व्यवस्था के लिए जिम्मेदार था और थोकदार ग्राम प्रधान के काम की निगरानी करता था और राजा के प्रति जवाबदेह होता था। थोकदार को अक्सर फैसला सुनाना पड़ता था जिसमें मुख्य रूप से आर्थिक दंड की सजा दी जाती थी। 1815 में गढ़वाल में ब्रिटिश शासन स्थापित हो गया था। क्षेत्र में अपराध की रिपोर्ट नगण्य होने के कारण अंग्रेजों ने पुलिस स्टेशन की स्थापना पर विचार नहीं किया। कुमाऊं कमिश्नर को अन्य जिम्मेदारियों के साथ-साथ पुलिस शक्ति भी दी गई थी। शुरू में, श्रीनगर में स्थित सेना की टुकड़ी को आंतरिक सुरक्षा और पुलिस व्यवस्था का काम सौंपा गया था। हालाँकि, ग्राम प्रधान को पुलिस शक्ति दी गई थी। प्रधान और सरकारी अधिकारियों के साथ-साथ थोकदार कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण रहे। लेकिन बाद में उन्होंने पुलिस शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया और इसलिए उन्हें दिए गए अधिकार से वंचित कर दिया गया। कमिश्नर ट्रेल ने पटवारी की प्रणाली या नई संस्था को काफी उपयोगी पाया था, क्योंकि इसके परिणामस्वरूप ज़मींदारों (खेतिहरों, ज़मींदारों नहीं) के प्रवास में कमी आई थी। उन्होंने छोटे-मोटे विवादों को सुलझाने में अपने अच्छे कार्यालयों का उपयोग किया था, जो अतीत में गंभीर मतभेदों का कारण बने थे। 1825 में अपनी सिफारिशों पर पश्चिमी बोर्ड की प्रतिक्रिया से उत्साहित होकर, उन्होंने 16 और पटवारियों को जोड़ा और 24 तहसील चपरासी को जोड़ दिया जिससे उनकी संख्या 33 हो गई। उनके कर्तव्यों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया था। चूंकि अपराध नगण्य थे और इससे सरकारी खजाने पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ बच गया, इसलिए इसे गढ़वाल के पहाड़ी क्षेत्र के लिए सबसे उपयुक्त प्रणाली पाया गया। 1889 में डिप्टी कलेक्टर की नियुक्ति के साथ चमोली 'तहसील' मुख्यालय बन गया और प्रधान और थोकदार को दिए गए अधिकार कुमाऊं नियम 1894 के नियम 49 और अनुसूचित जिला अधिनियम 1874 की धारा 6 के प्रावधानों के अनुसार थे। बाद में उल्लिखित अधिनियम के अनुसार, पुलिस के अधिकार डिप्टी कमिश्नर, तहसीलदार, पेशकार कानूनगो और पटवारी को उनके संबंधित क्षेत्रों में दिए गए थे। पटवारी, एक विशिष्ट क्षेत्र में जिसमें 60 से 80 गांव शामिल थे, पुलिस कर्तव्यों के लिए जिम्मेदार थे। उत्तराखंड राज्य को तीन क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसमें तीन अलग-अलग अधिनियम लागू हैं, जो राजस्व अधिकारियों को गिरफ्तारी और जांच आदि के लिए पुलिस की शक्तियां देते हैं। ये तीन क्षेत्र हैं:-

(क) कुमाऊं और गढ़वाल मंडल की पहाड़ी पट्टियाँ जो कभी ब्रिटिश भारत का हिस्सा थीं।

(ख) जिला टिहरी और उत्तरकाशी की पहाड़ी पट्टियाँ।

(ग) जिला देहरादून का जौनसार-बावर क्षेत्र।

1790 तक कुमाऊं पर चंद वंश का शासन था और इस अवधि के दौरान थोकदार और प्रधान पुलिस का काम करते थे। 1790 में चंदों को गोरखाओं ने बाहर कर दिया था, जिन्होंने सैन्य अधिकारियों के माध्यम से कुमाऊं पर शासन किया था। अंततः 1815 ई. में अंग्रेजों ने गोरखाओं को बाहर कर दिया और सुगौली की प्रसिद्ध संधि के अनुसार, काली नदी तत्कालीन ब्रिटिश भारत और नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बन गई। ऐसा कहा जाता है कि टिहरी के तत्कालीन शासकों ने, जो गोरखाओं से अपने क्षेत्र खो चुके थे, अंग्रेजों से गढ़वाल से गोरखाओं को बाहर निकालने का अनुरोध किया और बदले में नजराना देने का वादा किया। हालाँकि, युद्ध के बाद वे इसे नहीं दे पाए और वादा किए गए नजराना के बदले में अंग्रेजों ने गढ़वाल का पश्चिमी भाग अपने पास रख लिया जिसे उन्होंने ब्रिटिश गढ़वाल कहना शुरू कर दिया। इसमें पौड़ी, चमोली और रुद्रप्रयाग के वर्तमान जिले शामिल थे। चूंकि प्रशासनिक उद्देश्य से ब्रिटिश गढ़वाल को कुमाऊं में मिला दिया गया था और वह तत्कालीन कुमाऊं कमिश्नरी का हिस्सा बन गया था, इसलिए सुविधा के लिए हम कुमाऊं और गढ़वाल को, जो अंग्रेजों के अधीन था, तत्कालीन ब्रिटिश कुमाऊं कह सकते हैं। अंग्रेज जो व्यापारी के रूप में भारत आए और बाद में शासक बने, वे ब्रिटिश कुमाऊं की पहाड़ी पट्टियों की तत्कालीन विशिष्ट भौगोलिक, जनसांख्यिकीय और सामाजिक-आर्थिक विशेषताओं को समझने में काफी चतुर थे। इसलिए, जब जी.डब्ल्यू.ट्रेल, जो कुमाऊं के तत्कालीन दूसरे कमिश्नर थे और 1816 से 1830 तक इस पद पर कार्यरत रहे, ने लिखा कि चूंकि कुमाऊं में अपराध बहुत कम होते हैं, इसलिए

विशेष पुलिस की आवश्यकता नहीं है, तो यह निर्णय लिया गया कि अल्मोड़ा, रानीखेत और नैनीताल आदि जैसे शहरों को छोड़कर अन्य जगह नियमित पुलिस की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि कुमाऊं ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया था, लेकिन अपनी विशिष्ट भौगोलिक, जनसांख्यिकीय और सामाजिक-आर्थिक विशेषताओं के कारण, यह एक गैर-विनियमित क्षेत्र बना रहा, जहां मैदानी क्षेत्र की तुलना में कमिश्नर के पास अधिक शक्तियां और स्वायत्तता थी। गैर-विनियमित क्षेत्र में विशेष नियम और विनियम बनाए जा सकते थे और ऐसे ही विशेष नियमों, विनियमों और प्रशासनिक निर्देशों के तहत पटवारियों को पुलिस अधिकारी की शक्तियां और कार्य दिए गए थे।

इसके अलावा थोकदारों और प्रधानों जैसे परम्परागत पदों को समाप्त नहीं किया गया, बल्कि वे सरकार की सूची में बने रहे और उन्हें पुलिस के सीमित कार्य भी दिए गए, जैसे अपराधियों को गिरफ्तार करना और उन्हें पटवारी के समक्ष प्रस्तुत करना। इस प्रकार ब्रिटिश कुमाऊं में एक विशेष पुलिस व्यवस्था काम करने लगी, जिसमें राजस्व अधिकारियों को थोकदारों और प्रधानों की मदद से अपराधियों को पकड़ने, अपराधों की जांच करने और संबंधित गतिविधियों को करने का अधिकार था। यह व्यवस्था विशेष नियमों और प्रशासनिक निर्देशों के तहत काम कर रही थी और इसके विपरीत कोई उच्च कानून ब्रिटिश कुमाऊं में एक साथ लागू नहीं था। इस संदर्भ में, उल्लेखनीय बात यह है कि इसी समय नियमित पुलिस का गठन भी किया गया और अल्मोड़ा, रानीखेत और नैनीताल जैसे शहरों में पुलिस थाने स्थापित किए गए। पहला पुलिस थाना 1837 में अल्मोड़ा में स्थापित किया गया। छह साल बाद 1843 में रानीखेत में एक और पुलिस थाना स्थापित किया गया। यद्यपि जिन शहरों में पुलिस थाने स्थापित किए गए थे, वहां नियमित पुलिस काम कर रही थी, लेकिन कमिश्नरी का एक बड़ा हिस्सा अभी भी राजस्व पुलिस के अधीन था। यद्यपि, नियमित पुलिस की स्थापना का प्रावधान करने वाला पुलिस अधिनियम 1861 में लागू हो गया था, लेकिन अगस्त 1892 में जारी अधिसूचना के माध्यम से इसे ब्रिटिश कुमाऊं यानी तत्कालीन अल्मोड़ा, गढ़वाल और नैनीताल जिले तक वर्ष 1892 में विस्तारित कर दिया गया था। इस प्रकार, ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त दोनों अधिनियमों के लागू होने के बाद, मौजूदा राजस्व पुलिस प्रणाली को एक कानूनी आधार देना आवश्यक हो गया, जो उक्त दोनों कानूनों की पुष्टि कर सके। सौभाग्य से, वर्ष 1874 में अनुसूचित जिला अधिनियम लागू हो गया था। इस अधिनियम का एक उद्देश्य ब्रिटिश भारत के ऐसे हिस्सों के लिए विशेष प्रावधान करना था, जो अपनी विशिष्ट भौगोलिक, जनसांख्यिकीय और सामाजिक-आर्थिक विशेषताओं के कारण कभी भी सामान्य कानूनों के तहत नहीं लाए गए थे या उन्हीं कारणों से नहीं लाए जा सके थे।

तदनुसार अधिनियम की धारा 6 में प्रावधान है कि अनुसूचित जिले (अधिनियम की अनुसूची में सूचीबद्ध जिले) के भीतर स्थानीय सरकार, नागरिक और आपराधिक न्याय को प्रशासित करने के लिए अधिकारियों को नियुक्त कर सकती है और पालन की जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित कर सकती है। तदनुसार, वर्ष 1916 में अनुसूचित जिला अधिनियम, 1874 की धारा 6 का प्रयोग करते हुए अल्मोड़ा, गढ़वाल और नैनीताल की पहाड़ी पट्टियों के जिलों में पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति, उनकी प्रक्रिया को विनियमित करने और उनके द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों और कर्तव्यों को निर्धारित करने के लिए नियम बनाए गए थे। उक्त नियम 'कुमाऊं पुलिस' के रूप में जाने जाते हैं और मार्च 1916 में प्रकाशित हुए थे। उक्त नियमों के नियम 1 में, विभिन्न राजस्व अधिकारियों जैसे पेशकार, कानूनगो, पटवारियों और पटवारियों के अधीक्षक और पारंपरिक पदों जैसे थोकदार, प्रधान और सरकारी रोल के तहत ग्राम प्रधानों को पुलिस की विभिन्न शक्तियां और कार्य दिए गए थे। इसके अलावा, जबकि राजस्व अधिकारी को पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी की शक्तियों सहित रिपोर्ट दर्ज करने और जांच करने की शक्तियां दी गई थीं, पारंपरिक पदों की शक्तियां, जो अब लगभग निरर्थक हो गई हैं, केवल अपराधियों को गिरफ्तार करने और राजस्व अधिकारियों को मामले की रिपोर्ट करने तक ही सीमित थीं।

वर्ष 1916 में अनुसूचित जिला अधिनियम, 1874 की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए 'कुमाऊं पुलिस' के नाम से जाने जाने वाले नियम आज भी लागू हैं। वे ऐसे राजस्व अधिकारियों को पुलिस और थाने के प्रभारी अधिकारी की शक्तियाँ और कार्य प्रदान करते हैं जिनका उल्लेख उनमें किया गया है। राजस्व अधिकारी वर्तमान जिलों अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, चमोली, पिथौरागढ़, पौड़ी, रुद्रप्रयाग

और नैनीताल जिले की पहाड़ी पट्टियों के ऐसे क्षेत्रों में पुलिस कार्य करते हैं जहाँ नियमित पुलिस का अधिकार क्षेत्र नहीं है। इसके अलावा, चूंकि उत्तराखंड में पुलिस अधिनियम 1861 को निरस्त कर दिया गया है और उसके स्थान पर उत्तराखंड पुलिस अधिनियम, 2007 लागू कर दिया गया है, और देश में दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 के स्थान पर नई संहिता लागू कर दी गई है, इसलिए 1916 के उक्त नियमों में जहां कहीं भी 'पुलिस अधिनियम, 1861' या 'दंड प्रक्रिया संहिता, 1898' शब्द आते हैं, सामान्य खण्ड अधिनियम, 1897 की धारा 8 की उपधारा (1) के अनुसार उन्हें क्रमशः 'उत्तराखंड पुलिस अधिनियम, 2007' और 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023' पढ़ा जाएगा। यद्यपि पूर्ववर्ती टिहरी रियासत की अपनी व्यवस्था थी, फिर भी वहां आमतौर पर ब्रिटिश भारत में प्रचलित आपराधिक न्याय प्रणाली का ही पालन किया जाता था। पड़ोसी ब्रिटिश गढ़वाल की तरह टिहरी में भी पटवारियों जैसे राजस्व अधिकारियों के पास पुलिस शक्तियां थीं आजादी के बाद जब इस रियासत का भारत संघ में विलय हुआ, चूंकि 'कुमाऊं पुलिस' नियमावली का विस्तार तत्कालीन गढ़वाल जिले तक ही था, राजस्व पुलिस व्यवस्था को जारी रखने और राज्य की सभी पर्वतीय पट्टियों में एकरूपता लाने के लिए एक विशेष अधिनियम की आवश्यकता थी, जो राजस्व अधिकारियों को पुलिस की शक्तियां और कार्य प्रदान कर सके। तदनुसार, टिहरी गढ़वाल राजस्व अधिकारी (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1956 अधिनियमित किया गया।

यह अधिनियम स्वयं राजस्व अधिकारियों जैसे लेखपाल, पटवारी आदि को पुलिस शक्तियां नहीं देता, बल्कि धारा 2 के तहत प्रावधान करता है कि राज्य सरकार इस संबंध में आदेश जारी करके ऐसा कर सकती है। ऐसी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार ने दिनांक 04.3.1958 को आदेश जारी किए, जिसके अंतर्गत वर्तमान टिहरी और उत्तरकाशी जिलों की पर्वतीय पट्टियों के पटवारियों को गिरफ्तारी और जांच करने के लिए पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी की शक्तियां और कार्य दिए गए इस संदर्भ में उल्लेखनीय बात यह है कि दिनांक 04.3.1958 का आदेश अनुसूचित जिला अधिनियम, 1874 के अन्तर्गत वर्ष 1916 में बनाये गये 'कुमाऊँ पुलिस' नियमों से काफी मिलता-जुलता है। देहरादून क्षेत्र के जौनसार-बावर परगना की भौगोलिक, जनसांख्यिकीय और सामाजिक-आर्थिक विशेषताएं राज्य के अन्य पर्वतीय क्षेत्रों के समान ही हैं। वस्तुतः वर्ष 1958 तक इस क्षेत्र में राजस्व पुलिस व्यवस्था कार्यरत थी जो अल्मोड़ा, गढ़वाल और नैनीताल जिलों की भांति ब्रिटिश प्रशासन के अधीन थी। वर्ष 1831 के बंगाल रेगुलेशन XI के अन्तर्गत तहसीलदार चकराता को देहरादून जिले के जौनसार बावर क्षेत्रों में पुलिस की शक्तियां प्रदान की गयीं।

ऐसा प्रतीत होता है कि टिहरी गढ़वाल राजस्व अधिकारी (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1956 के लागू होने के शीघ्र पश्चात दो संभावित कारणों से जौनसार-बावर क्षेत्र के लिए भी इसी प्रकार के अधिनियम की आवश्यकता महसूस की गयी। पहली बात यह थी कि 1831 के बंगाल रेगुलेशन XI के तहत केवल चकराता के तहसीलदार को ही पुलिस शक्तियां प्राप्त थीं और उनके लिए पूरे जौनसार-बावर क्षेत्र में ऐसी शक्तियों का प्रयोग करना बहुत कठिन हो सकता था और सरकार यह समझ सकती थी कि राज्य की अन्य पहाड़ी पट्टियों की तरह अन्य राजस्व अधिकारियों विशेषकर पटवारियों को भी गिरफ्तारी और जांच करने के लिए पुलिस की शक्तियां और कार्य दिए जाने चाहिए। दूसरी बात यह कि 1831 का बंगाल रेगुलेशन XI कोई अधिनियम नहीं था और पुलिस अधिनियम के साथ संहिता के तहत केवल पुलिस अधिकारी के लिए ही पुलिस की शक्तियों और कार्यों का प्रयोग करना संभव था। तदनुसार, जौनसार-बावर परगना (जिला देहरादून) राजस्व अधिकारी (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 पारित किया गया, जो टिहरी गढ़वाल राजस्व अधिकारी (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1956 से काफी मिलता-जुलता है।

इस प्रकार उत्तराखंड राज्य में राजस्व अधिकारियों को गिरफ्तारी और जांच करने के लिए पुलिस की शक्तियां प्रदान करने वाले कानून एक नहीं हैं। ऐसे तीन कानून हैं। जबकि अनुसूचित जिला अधिनियम, 1874 के तहत बनाए गए 1916 के 'कुमाऊं पुलिस' नियम वर्तमान जिलों अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, चमोली, पिथौरागढ़, पौड़ी, रुद्रप्रयाग और जिला नैनीताल की पर्वत पट्टियों में लागू हैं, टिहरी गढ़वाल राजस्व अधिकारी (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1956 और जौनसार-बावर परगना (जिला देहरादून) राजस्व अधिकारी (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 क्रमशः टिहरी और उत्तरकाशी जिलों और जिला देहरादून के जौनसार-बावर परगना में लागू हैं। हालांकि, तीनों में एक बात

समान है। वह यह है कि, अपराधों से संबंधित जांच और संबद्ध मामलों के प्रयोजन के लिए, इसमें उल्लिखित राजस्व अधिकारी संहिता के तहत सक्षम पुलिस अधिकारी माने जाएंगे। इसके अलावा, राजस्व अधिकारियों की ऐसी शक्तियां और कार्य केवल उन्हीं क्षेत्रों में प्रभावी हैं जहां नियमित पुलिस की ईकाई का विस्तार नहीं होता। अल्मोड़ा (1837), नैनीताल और रानीखेत (1843) में पुलिस थाने स्थापित किए गए। चूंकि चार धाम यात्रा मार्गों पर लूट की घटनाएं सामने आई थीं, इसलिए यात्रा सीजन के दौरान गश्त के लिए ग्राम चौकीदारों के अलावा इन मार्गों पर नियमित पुलिस तैनात की गई थी। नियमित पुलिस की तैनाती की जरूरत खासकर 1920 में "वन आंदोलन" के बाद महसूस की गई। जोशीमठ और ऊखीमठ में पुलिस थाने स्थापित किए गए जबकि बद्रीनाथ, चमोली, कर्णप्रयाग और मेहलचौरी में पुलिस चौकियां स्थापित की गईं। 1938 में जोशीमठ के स्थान पर बद्रीनाथ में पुलिस थाना स्थापित किया गया लेकिन दस साल बाद फिर से जोशीमठ पुलिस थाने को बहाल कर दिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार के 12 नवंबर 1938 के पत्र में कहा गया–हालांकि सरकार पहाड़ों में राजस्व पुलिस रखने के लिए दृढ़ संकल्प है लेकिन जोशीमठ, माणा पुलिस थाने बद्रीनाथ के अधीन और 'यात्रा मार्गों' के साथ के क्षेत्र नियमित पुलिस के अधीन रहेंगे। 1938 में कुमाऊं मंडल में 17 पुलिस थाने थे। इस जिले के अंतर्गत बद्रीनाथ और ऊखीमठ थाने थे तथा जोशीमठ, चमोली, कर्णप्रयाग बद्रीनाथ थाने की चौकी थीं। धीरे-धीरे नियमित पुलिस के अधीन अधिक क्षेत्र आया। चमोली और जोशीमठ थाने को 1960 में अधिसूचित किया गया। 1963 तक अधिक से अधिक गांवों को नियमित पुलिस के अंतर्गत शामिल किया गया लेकिन आज भी जिले के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 80 प्रतिशत राजस्व पुलिस के अधीन है। चमोली तहसील के उन्नयन के परिणामस्वरूप 24 फरवरी 1960 को चमोली एक स्वतंत्र जिले के रूप में अस्तित्व में आया। जहां तक जांच और अन्य संबद्ध कर्तव्यों का संबंध है, संहिता में उन्हें पुलिस या अधिक विशेष रूप से पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को दिया गया है। पुलिस को एक सदी पुराने अधिनियम द्वारा परिभाषित और स्थापित किया गया था जिसे पुलिस अधिनियम, 1861 के रूप में जाना जाता है। उत्तराखंड राज्य में, उत्तराखंड पुलिस अधिनियम, 2007 लागू किया गया है और जिसके द्वारा, राज्य के संदर्भ में 1861 के अधिनियम को निरस्त कर दिया गया है। हालाँकि, उत्तराखंड में एक विचित्र बात है। राज्य की पहाड़ी पट्टियों में कानूनगो, लेखपाल और खास तौर पर पटवारी जैसे कुछ राजस्व अधिकारियों को अपराधों की जांच करने के लिए पुलिस अधिकारी की शक्तियां और कार्य सौंपे गए थे । भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 जो इस राज्य पर भी लागू होती है, के अनुसार जांच केवल पुलिस अधिकारी द्वारा ही की जा सकती है।

हालांकि राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में अपराधों की जांच करने के लिए राजस्व अधिकारियों को समान रूप से शक्तियां प्रदान की गई थी, लेकिन विशेष अधिनियमों के तहत ऐसी विशेष शक्तियां दी गई ।

उत्तराखंड की पटवारी पुलिस का मूल्यांकन

भारत में उत्तराखंड एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पटवारी पुलिस और राजस्व विभाग दोनों का काम करते हैं। एक बड़े नीतिगत बदलाव में, उत्तराखंड सरकार ने राजस्व पुलिस प्रणाली को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का फैसला किया है । आपदाओं पर त्वरित प्रतिक्रिया और बेहतर प्रबंधन को सक्षम करने के लिए इसे नियमित पुलिस के साथ बदल दिया जाएगा। न्यायालयों ने भी अपने निर्णय में कहा है कि उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों के ग्रामीणों को 'पटवारी' के अधीन गांव की पुलिस की मौजूदा व्यवस्था के बजाय 'नियमित पुलिस की सुरक्षा और सेवाएं' मिलनी चाहिए। वर्ष 2022 में वनंतरा रिजार्ट प्रकरण के बाद नैनीताल उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को राजस्व पुलिस की व्यवस्था को समाप्त करते हुए इन क्षेत्रों को सिविल पुलिस को देने के निर्देश दिए। हाल में ही विद्यमान राजस्व पुलिस व्यवस्था को नियमित पुलिस व्यवस्था करने के उद्देश्य से प्रथम चरण में 52 थाने एवं 19 रिपोर्टिंग पुलिस चौकियों का सीमा विस्तार किया गया है। इसके साथ ही 1800 राजस्व पुलिस ग्रामों को नियमित पुलिस व्यवस्था के अन्तर्गत अधिसूचित किया गया है। द्वितीय चरण में 6 नए थानों एवं 20 रिपोर्टिंग पुलिस चौकियों का गठन प्रस्तावित है।

वास्तव में, राजस्व पुलिस प्रणाली एक पहाड़ी क्षेत्र की स्थानीय जरूरतों के लिए विशिष्ट थी (जैसा कि वन पंचायतों में वन प्रबंधन का मामला था), क्योंकि यह उत्तराखंड के कुछ

हिस्सों में भी मौजूद राजनीति की जटिल प्रकृति को स्वीकार नहीं करता था, जहां लोगों को स्वभाव से शांतिप्रिय माना जाता है, जहां भौगोलिक भूभाग अपराध को आसानी से अंजाम देने और अपराधी के जल्दी या आसानी से भागने में सफल होने की इजाजत नहीं देता है, जहां गरीबी का स्तर इतना गहरा और स्थानिक है कि इन भागों में उन तत्वों को आकर्षित करने के लिए बहुत कुछ नहीं है जिन्हें नियंत्रित करने के लिए नियमित पुलिस की वास्तव में आवश्यकता थी, या वकालत की जाती थी। विभिन्न कारकों ने एक ऐसा वातावरण बनाया है जिसमें अपराध का एक नया दौर, जो अब तक पहाड़ी समाज में नहीं देखा गया था, जोर पकड़ रहा है । इसके अलावा लोकतांत्रिक शासन और सामाजिक परिवर्तन (कुप्रथाओं और विकृतियों सहित) ने राजस्व पुलिस संगठन के भीतर कुछ दुविधाएं और संघर्ष उत्पन्न किए हैं।

संदर्भ :

1. उपाध्याय, देवेन्द्र, 2011, *उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था*, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नई दिल्ली.
2. टोलिया, आर. एस.,2004, *पटवारी, घराट एण्ड चाई*, बिशन सिंह महेंद्र पाल सिंह, देहरादून.
3. एटकिंसन, ई. टी., 1998, *दि हिमालयन गजेटियर*, हिमालय संचेतना संस्थान, चमोली.
4. रावत, अजय सिंह, 1982, *उत्तराखंड का राजनीतिक इतिहास*, नई दिल्ली.
5. पांडे, बद्री दत्त, 1993, *कुमाऊँ का इतिहास*, श्याम प्रकाशन, अल्मोड़ा.
6. डबराल, शिव प्रसाद, 1969, *उत्तराखंड का इतिहास*, वीरगाथा प्रकाशन, दोगड्डा
7. Adhikari, Dharmendra Singh, *Revenue Police in Uttarakhand: History and Law*, Retrieved on 10th February 2024 from https://ujala.uk.gov.in/files/ch16.pdf.
8. "Police Administration", *Indian Journal of Public Administration* 24(1), Jan-March, 1978, 334 p. (Spl. Issue).
9. Shah, Giriraj (1990), *State Policing in India*, New Delhi, Cosmo Publications.
10. Sharma, P.D.,(1984), *Police and Political Order in India*, Delhi, Research Publications.
11. Singh, M.P.(1989), *Police Problems and Dilemmas in India*, New Delhi, Mittal Publications.
12. Tolia, R.S., (2004), *Patwari, Gharat and Chai*, Dehradun, Bishen Singh & Mahendra Pal Singh.
13. *Random Thoughts: Revisiting Mountain Policing*, Retrieved on 10th February 2024 from http://uic.gov.in.

घटनास्थल एवं फोरेंसिक विशेषज्ञ

डॉ. प्रतिभा तिवारी
वैज्ञानिक अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, लखनऊ

सारांश –
लेखक ने अपने अनुभव से बताया कि घटनास्थल पर साक्ष्य संकलन में फोरेंसिक विशेषज्ञ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब वे रायबरेली में तैनात थी तो एक जघन्य हत्या की घटना का सामना किया था। घटनास्थल पर साक्ष्य संकलन करते समय, उन्हें यह समझ में आया कि सटीक और गहन निरीक्षण से ही सही दिशा में विवेचना हो सकती है। उन्होंने घटनास्थल की सुरक्षा, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, और साक्ष्य संकलन के साथ-साथ सटीक प्रशिक्षण और विशेषज्ञता की आवश्यकता को भी महत्व दिया। इस घटना की जांच ने यह साबित किया कि साक्ष्य के सही संकलन से ही अपराध का सही अनावरण हो सकता है और अपराधी की मंशा को स्पष्ट किया जा सकता है। फोरेंसिक विशेषज्ञ को घटनास्थल पर पूर्ण आत्मविश्वास और निष्पक्षता के साथ कार्य करना चाहिए।

वैसे तो आज के समाज में न तो अपराध की कमी है और न ही अपराध के विविधता की। एक फोरेंसिक विशेषज्ञ को न जाने कितनी ऐसी घटनाओं से रूबरू होना पड़ता है, जो मन को अंदर से झकझोर देती है। बतौर फोरेंसिक विशेषज्ञ जब मैं उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में तैनात थी, तो अनेक ऐसी घटनाएं हुईं जिनके दृश्य मुझे आज भी हिला देते हैं। विश्वास नहीं होता कि इस दुनिया में इतनी अलग-अलग मानसिकता के लोग रहते हैं या यूँ कहें कि कैसे कोई व्यक्ति किसी भी वजह से एक ऐसी मानसिक अवस्था में पहुंच जाता है जहां उसे सही-गलत, पाप-पुण्य, जीवन-मृत्यु का कोई बोध नहीं रहता।

कहते हैं अपराधी पैदा नहीं होते हैं, बल्कि उनकी परिस्थितियाँ उन्हें अपराधी बना देती हैं। लेकिन यह भी सत्य है कि समान परिस्थितियों में कोई अंदर से टूट जाता है, कोई दूसरे को तोड़ देता है, तो कोई बिल्कुल उदासीन रहता है। परिस्थितियों को क्या कहें ये तो बदलती रहती हैं। कभी-कभी किसी के कहा-सुनी बातों पर मनुष्य इतना विश्वास कर लेता है कि वह कही गई बात में कितनी सच्चाई है, अपने स्तर से जानने का प्रयास भी नहीं करता और उत्तेजना से भर जाता है। फिर इसी मानसिक अवस्था में बड़े से बड़ा अपराध कर बैठता है और अपने एक अपराध को छुपाने के लिए अनेक अपराध कर बैठता है, अंत में अपराधों के जाल में फंस जाता है।

किसी भी प्रकार की घटना हो उसमें साक्ष्य संकलन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। जब समय से साक्ष्य संकलन होता है और वही होता है, जो घटना के अनावरण के लिए आवश्यक होता है, तो घटनाओं के परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के साथ वैज्ञानिक साक्ष्यों का विश्लेषण, दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। अब घटनास्थल पर ही किसी भी घटना को चाहे वह ब्लाइंड क्राइम क्यों ना हो उसका भी अनावरण किया जा सकता है। शायद यही कारण है कि हमारी सरकार ने साक्ष्य संकलन के महत्व को समझा है और भारतीय न्याय संहिता-2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम-2023 जो कानून बने हैं उनमे विविध ढंग से साक्ष्यों के संकलन को कानूनी बाध्यता बनाया गया है। ऐसी सभी घटनाएं जिसमें सजा का प्रावधान 7 साल या 7 साल से अधिक हो, उनमे फॉरेंसिक टीम द्वारा साक्ष्यों के संकलन को अनिवार्य बना दिया गया है। साथ ही साथ इस कार्य हेतु सभी थानों पर एक फॉरेंसिक टीम के

गठन की बात कही गयी है। अब प्रश्न यह उठता है कि किसी भी घटना के शीघ्र और सटीक अनावरण के लिए किन-किन बिंदुओं पर हमें विशेष रूप से ध्यान देना होता है? कुछ ऐसी आधारभूत आवश्यकताएँ है, जिन्हें अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो हम अपने घटना के अनावरण के उद्देश्य की प्राप्ति से वंचित रह जाएंगे-

- स्टॉफ/ मैनपॉवर
- समुचित प्रशिक्षण
- साक्ष्य संकलन हेतु सामग्रियां
- चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन करना

स्टॉफ/ मैनपॉवर

किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए स्टॉफ की आवश्यकता होती है। अभी तक हमारे यहाँ जिला स्तर की एक फोरेंसिक टीम होती थी, उसको जिले के समस्त थानों से संबंधित स्थान पर घटनास्थल निरीक्षण कर साक्ष्य संकलन का कार्य करना होता था। जिससे अक्सर ऐसी स्थिति आती है जब एक ही समय में जिले के दो स्थानों पर बड़ी घटनाएं घटित हो जाती हैं, तब स्टाफ की कमी की स्थिति में उन घटनास्थलों में समय से निरीक्षण हेतु प्राथमिकता तय करनी पड़ती थी। अब जब प्रत्येक थाने पर एक फोरेंसिक विशेषज्ञ बैठेगा तो समस्त घटनास्थलों का निरीक्षण समय से किया जा सकेगा और विवेचना की दिशा भी ज्यादातर घटनास्थलों पर ही तय हो जाएगी।

समुचित प्रशिक्षण

अब द्वितीय सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि जब एक बार स्टाफ अथवा विशेषज्ञ की नियुक्ति हो गई तो उनका प्रशिक्षण भी आवश्यक है। बिना प्रशिक्षण के किया गया कार्य, अधिक घातक सिद्ध होता है। अतः स्टाफ का प्रशिक्षण न केवल सैद्धांतिक रूप से होना चाहिए अपितु प्रैक्टिकल में भी कराया जाना चाहिए। प्रैक्टिकल हम एक कृत्रिम घटनास्थल बनाकर कर सकते हैं। यह कृत्रिम घटनास्थल किसी वास्तविक घटना पर आधारित हो तो और अच्छा होता है। इस बिंदु पर मेरा यह मानना है कि नव नियुक्त वैज्ञानिकों को वास्तविक घटनास्थलों पर वरिष्ठों के साथ ही निरीक्षण के समय भेजा जाना चाहिए जिससे उन्हें घटनास्थल की गंभीरता और महत्व समझ में आ सके। वास्तव में जब हम अलग-अलग घटनास्थल का निरीक्षण करते हैं तो हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि किस प्रकार की बातों का प्रत्येक घटनास्थल में ध्यान देना चाहिए और किस प्रकार की बातों का विशेष परिस्थितियों में ध्यान दिया जाना चाहिए ?

साक्ष्य संकलन हेतु सामग्रियां

जिस प्रकार बॉर्डर पर एक सैनिक को हथियार के साथ ही जाना चाहिए, ठीक इसी प्रकार फोरेंसिक विशेषज्ञ को घटनास्थल पर समस्त प्रकार के कलेक्शन संबंधित उपकरणों साथ ही जाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण और पहला कार्य किसी भी घटनास्थल की सुरक्षा करनी है। घटनास्थल को येलो टेप से सुरक्षित कर एक क्रीम लाइन खींच दी जाती है, जिससे उसके अंदर कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश न कर सके। उसके अंदर केवल विवेचना अधिकारी व साक्ष्य संकलन हेतु जिम्मेदार व्यक्ति प्रवेश कर सकते हैं। इस कार्य का उद्देश्य सर्वविदित है कि ऐसा करने से, साक्ष्य जो घटनास्थल से संबंधित होते हैं, वे बर्बाद नहीं होते और ना ही उनमें किसी अन्य व्यक्ति संक्रमित होता है। इसके पश्चात जो दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है, जो सभी प्रकार के घटनास्थलों पर सामान्य रूप से लागू होता है वह घटनास्थल सुरक्षा के बाद, जिस भी स्थिति में घटनास्थल है और साक्ष्य है, इस स्थिति में उनकी फोटोग्राफी-वीडियोग्राफी की जानी चाहिए। इस हेतु आवश्यक कैमरा या वीडियो कैमरा फॉरेंसिक टीम के पास होना चाहिए, जो घटनास्थल पर पहुंचने से पूर्व पूर्णतः चार्ज होना चाहिए। अतिरिक्त बैटरी की भी अगर संभव हो तो व्यवस्था की जानी चाहिए।

चैन आफ कस्टडी मेंटेन करना

किसी घटनास्थल पर साक्ष्यों को सुरक्षित रूप से प्रयोगशाला तक पहुचाना अति आवश्यक होता है, जो कि साक्ष्य संकलन में लगे व्यक्ति की पहली जिम्मेदारी है। चैन ऑफ़ कस्टडी मेंटेन करने का सम्बन्ध साक्ष्यों के प्रलेखन, पैकिंग व सुरक्षित प्रयोगशाला पहुचाये जाने से ही है। घटनास्थल पर साक्ष्यों की उनकी यथास्थिति में फोटोग्राफी व वीडिओग्राफी की जानी चाहिए। तत्पश्चात साक्ष्यों की प्रकृति के अनुसार संकलन किया जाना चाहिए। उदाहरण स्वरुप यदि कोई गीला कपड़ा अथवा स्वैब हो तो उसको छायें में सुखा कर लिफाफे में पैक करना चाहिए। संकलन के पश्चात लिफाफा/बंडल/पार्सल आदि पर

साक्ष्य से सम्बन्धित विवरण लिखने के पश्चात सील किया जाना चाहिए। सील करने के उपरांत डॉकेट के साथ नमूना सील भी प्रयोगशाला भेजा जाना चाहिए, चाहे साक्ष्य किसी पुलिस अधिकारी, डॉक्टर अथवा ज्युडिशियल पर्सनल द्वारा सील किया गया हो।

एक बार जब फोटोग्राफी पूर्ण कर ली जाए तो साक्ष्यों का अंकन किया जाता है और फिर नम्बरिंग/ कोडिंग के साथ फोटोग्राफी की आवश्यकता पड़ती है। इन दो प्राथमिक कार्यों के पश्चात साक्ष्यों का संकलन किया जाता है जिसके लिए अनेक प्रकार की सामग्रियों की आवश्यकता होती है यथा पॉलीबैग लिफाफे, स्वैब स्टिक आदि, कुछ घटनाओं में घटनास्थल पर कुछ किट जैसे रक्त परीक्षण, सीमेन परीक्षण, केमिकल परीक्षण आदि हेतु आवश्यक होते है। एक बार साक्ष्य संकलन हो जाता है, तो उसे सही ढंग से सील कर संबंधित प्रयोगशाला के संबंधित अनुभाग में भेजा जाता है। घटनाओं की विविधता हमें हर प्रकार के घटनास्थल पर अलर्ट रहने का संकेत देती है। कई बार ऐसा होता है कि किसी घटनास्थल पर पहुंचने पर कुछ अलग तरह की बातें पता चलती हैं, संकेत मिलते हैं और वास्तव में घटना अलग प्रकार की होती है। ऐसी ही एक घटना पर हम यहां चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से साक्ष्यों का संकलन घटना के अनावरण में महत्वपूर्ण योगदान करता है।

कंट्रोल रूम से एक सुबह 5:00 बजे फोन आता है कि आप थाने पर पहुंचिए, एक घटना घटित हुई है। ठीक है कह कर हम अपनी टीम के साथ घटनास्थल के लिए रवाना हो जाते हैं। रास्ते में ही किसी और थाने के थानाध्यक्ष मिलते हैं तथा हमारी गाड़ी को रोक कर हमें आगाह करते हैं कि हमें बिल्कुल सावधानी से पहुंचना है। कृपया यह बॉडी प्रोटेक्टर पहन लें क्योंकि घटनास्थल पर जनता के बीच में बहुत आक्रोश है। महिलाएं एवं बच्चे सभी अपने आगे डंडा लेकर खड़े हैं और पुरुष उसके पीछे नारेबाजी कर रहे हैं। बातचीत के दौरान यह पता चला कि किसी पुजारी को मंदिर में ही मार दिया है। जिस वजह से आम जनता काफी नाराज है। जिले की पूरी पुलिस फोर्स व पीएसी को बुला लिया गया है। इसके पश्चात उन्होंने हमे बॉडी प्रोटेक्टर देने की कोशिश की। खैर, मैंने बॉडी प्रोटेक्टर नहीं लिया। जितना भी मेरा 8-10 वर्ष का फील्ड का अनुभव रहा था, उससे यही निष्कर्ष निकलता था कि एक फोरेंसिक विशेषज्ञ को बॉडी प्रोटेक्टर की आवश्यकता नहीं पड़ती और ना ही जनता के इतने विरोध का सामना करना पड़ता है। फोरेंसिक विशेषज्ञ को पीड़ित परिवार बहुत उम्मीद के साथ देखता है कि शायद इन्हीं के माध्यम से उन्हें न्याय मिल सके और साथ ही साथ स्थानीय पुलिस द्वारा भी फॉरेंसिक टीम को इस प्रकार से ही पेश किया जाता है। ऐसी स्थिति में एक फोरेंसिक विशेषज्ञ की जिम्मेदारी वैसे ही बढ़ जाती है और अगर विशेषज्ञ अंदर से भी कुछ कर गुजरने का भाव रखता हो तो घटनास्थल उसके लिए एक खुली किताब की तरह होता है जिसे वह पढ़ सकता है।

हम भी चल पड़ते हैं घटनास्थल की तरफ लगभग 500 मीटर की दूरी से ही क्या दिखता है कि एक व्यक्ति जमीन से लगभग 25 फीट ऊपर लटका है और उसकी लटकी हुई लाश के नीचे सैकड़ों लोग, महिलाएं और बच्चे हाथ में डंडे लिए खड़े हैं जो रुक-रुक कर अलग-अलग तरह के नारे लगाये जा रहे हैं तथा पुलिस को भी मंदिर के दरवाजे से अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, जहाँ से लटकती हुई बॉडी को उतारा जा सके। पहले थाने स्तर पर अनुरोध किया जाता है कि मंदिर में अंदर जाने दें ताकि डेड बॉडी को उतारा जा सके फिर स्थानीय क्षेत्राधिकारी द्वारा भी काफी अनुरोध किया जाता है, किंतु किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं होती है।

हम आगे बढ़ते चले गए तभी क्षेत्राधिकारी साहब की नजर हमारे ऊपर पड़ती है और तेजी से वे हमारी तरफ आते हैं और हमें अपने साथ लेकर मंदिर परिसर के गेट की तरफ बढ़ने लगते हैं क्योंकि कुछ ही देर पहले उनको अंदर नहीं जाने दिया गया था। इस बार उन्हें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास था कि फोरेंसिक टीम के साथ अंदर प्रवेश कर लेंगे। भीड़ के पास जाकर परिचय देते हैं कि ये देखिये फॉरेंसिक टीम आ गयी है और किट लेकर आए हैं, यही वह है जो साक्ष्य संकलन करेंगे तो आपको न्याय मिलेगा और इसके लिए इनको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अंदर जाने दीजिए। यह सब सुनकर भीड़ थोड़ी देर दुविधा में रही लेकिन फिर किसी ने पीछे से आवाज दिया नहीं... नहीं... जब तक मुख्यमंत्री जी और रुद्राक्ष बाबा नहीं आएंगे तब तक ना तो कोई अंदर मंदिर के प्रवेश करे पाएगा और ना ही कोई बॉडी को छू पाएगा। वे ऐसी नारेबाजी के साथ

थोड़ा और आगे आ गये, जैसे कि वे हमें वापस भेजने का प्रयास कर रहे हैं और हम बड़ी बुद्धिमानी के साथ पीछे हट गये।

शायद यह मेरे तब तक के करियर का पहला घटनास्थल था जहां हमें घटनास्थल पर एंट्री नहीं दी गई। मेरे खुद के भी अनुरोध पर मुझे दूर रहने को कहा गया कि हमें न्याय सिर्फ मुख्यमंत्री जी या रुद्राक्ष बाबा दिलाएंगे, अगर वो आ जाएंगे तो आप अंदर जाएंगे अन्यथा नहीं। वास्तव में, रुद्राक्ष बाबा एक पड़ोसी जिले में रहते थे और प्रभावशाली बाबा थे जो कुंभ मेले में भी रुद्राक्ष की अत्यधिक माला पहनने के लिए विख्यात थे। यहां मंदिर के पुजारी ने अपने मरने से पूर्व रुद्राक्ष बाबा को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। अब जब हम पीछे आ गए निराशा के साथ तो क्या करते हमने वहाँ खड़ी जनता व कुछ प्रशासन के लोगों से पुजारी बाबा के बारे में जानकारी लेने लगे। सच कहें तो ये जानकारियां बहुत काम आती हैं,अगर इन्हें बुद्धिमत्ता से सुना जाये। जानकारी लेने के दौरान यह पता चला कि यह गांव बाबा का ननिहाल था और बचपन से ही बाबा यही पढ़े-लिखे थे और पुजारी बचपन से वह मंदिर के परिसर में ही रहा करते थे। साथ ही साथ गांव वालों के दिलों में उनके लिए इतना प्रेम हुआ करता था। उनकी पहचान एक सीधे, सुशील तथा चरित्रवान बाबा के रूप में थी। अब प्रश्न यह था कि आखिर इतने अच्छे पुजारी थे तो उनको आखिर क्यों मार कर लटकाया गया और बिल्कुल मंदिर के सामने.... प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता था जैसे बाबा को मार कर ऐसे टांगने का उद्देश्य ही दहशत फैलाना था।

इसी बीच जिलाधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय भी बॉडी प्रोटेक्टर, हेलमेट पहने दिखे। उन्होंने भी मुझे बुलाया और वही सब कुछ दोहराया गया और हम वापस अपनी जगह पर आ गये। एक तरफ भीड़ बढ़ती जा रही थी तो दूसरी तरफ निराशा.. तमाम स्थानीय नेता आ रहे थे और अपने-अपने साथियों के साथ, खड़े होकर भाषण देते, अंदर जाने का अनुरोध करते और वापस आ जाते। यह सिलसिला हम सुबह के 6:00 बजे से देख रहे थे और दोपहर के 2:00 बज गए इस बीच यह भी जानकारी मिली कि इन पुजारी बाबा से पूर्व इस मन्दिर के दो पुजारियों की भी हत्या की जा चुकी है। वजह जानने पर पता चला कि इस मंदिर के पास बहुत अधिक जमीन है और किसी स्थानीय प्रभावशाली व्यापारी से विवाद चलता रहता है। व्यापारी को अपना व्यापार बढ़ाना था। इसलिए वह जमीन लेना चाहता था और गांव वाले नहीं देना चाहते थे। लोगों के कथनानुसार बाबा को शुरू में व्यापारी समझा-बूझा कर जमीन हथियाना चाहते थे नहीं मानने पर डराने धमकाने व गलत ढंग से बाबा को फँसाने का सिलसिला प्रारंभ हो गया। जब पुजारी बाबा के खिलाफ यह सब प्रारंभ हुआ उस समय जिले में एक महिला पुलिस अधीक्षक तैनात थीं। वे बहुत ही अच्छी, ईमानदार और पक्षपातरहित निर्णय लिया करती थीं। घटनास्थल पर कुछ प्रबुद्ध लोगों से चर्चा के दौरान ज्ञात हुआ कि बाबा के खिलाफ जिले के एक से अधिक थानों में एफआईआर दर्ज कराए गए हैं और पुलिस अधीक्षक महोदया द्वारा थानों को वार्निंग दी गई थी कि बिना किसी प्रमाण के बाबा के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए क्योंकि महोदया ने अपने स्तर से बाबा और व्यापारी के संबंध में पता लगाया था। इसी बीच स्थानीय विधायक पहुंच चुके थे और रुद्राक्ष बाबा को भी प्रशासन द्वारा बुलाए जाने का प्रयास किया जा रहा था। 6-7 घंटे सुबह से बिना चाय पानी के घटनास्थल पर खड़े-खड़े हो गए थे और हम सब का ऊर्जा स्तर अब गिरता चला जा रहा था।

इसी बीच रुद्राक्ष वाले बाबा आ गए एवं साथ में स्थानीय विधायक, जिला अधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय और मुझे भी बुलाया गया। रुद्राक्ष बाबा के आने से मंदिर के लोगों को लगा कि हमारा अभिभावक आ गया है। रुद्राक्ष बाबा सब को समझाने लगे। इसी बीच लखनऊ से कमिश्नर साहब, अपर पुलिस महानिदेशक साहब भी आ चुके थे। सबको लग रहा था कि कभी भी हालात खराब हो सकते हैं। सभी अधिकारी, इस विपरीत परिस्थिति में भी अपना धैर्य बनाए रखे थे और बहुत ही अच्छे तरीके से बातचीत चल रही थी। रुद्राक्ष बाबा के कहने पर वहां की जनता फोरेंसिक टीम को अंदर भेजने के लिए तैयार हुई, मगर अभी भी इस बात पर कायम थी कि पुलिस नहीं जाएगी। लेकिन हमारी समझदार पुलिस ने पहले से ही प्लानिंग कर ली थी कि किस प्रकार से फॉरेंसिक टीम के पीछे-पीछे अंदर प्रवेश करना है फिर क्या... रुद्राक्ष बाबा आगे हम पीछे और हमारे पीछे पुलिस प्रशासन मंदिर के अंदर प्रवेश करने लगी। अब पुलिस भी नहीं चाहती थी कि कोई पुलिस व प्रशासन के अतिरिक्त व्यक्ति अंदर रहे लिहाजा मंदिर का दरवाजा अंदर

से बंद कर दिया गया। अब पूरा परिसर पुलिस की कस्टडी में आ गया और हम सब तेजी से दौड़कर द्वितीय तल पर पहुंचे जहां पुजारी बाबा का शव फंदे से लटक रहा था। अब कुछ ढूंढने से पहले हमारी चुनौती थी कि बॉडी को उतारा जाए हम छत के अंदर थे और पुजारी बाबा की बॉडी नीचे हवा में लटक रही थी। बहुत मशक्कत के बाद बॉडी को उतारा गया और सूक्ष्म निरीक्षण, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की गयी। बाबा की जीभ बाहर निकली थी, हाथ-पैर के नाखून नीले पड़ चुके थे, होठ भी नीले पड़े हुए थे तुरंत बाबा की बॉडी के फोटोग्राफी के बाद नीचे मंदिर परिसर में लाकर मार्चुरी भेजने की तैयारी होने लगी क्योंकि बॉडी को रोकना कानून व्यवस्था को ताक पर रखना था। बॉडी के हटते ही मंदिर परिसर के बाहर की भीड़ तितर-बितर हो गयी। इधर मैंने अपनी टीम के साथ एक सिरे से साक्ष्य की खोज शुरू कर दी।

सबसे पहले हम जहां खड़े थे वहां ही पुजारी बाबा आखरी बार रहे होंगे। उसी दीवार के सहारे एक जहर की सीसी, एक कांच का गिलास जिसमें थोड़ा सा रंगीन द्रव भरा हुआ था और एक कटोरी मिली। इन सब की फोटोग्राफी के बाद इनको अलग-अलग पैक करवाया। उस पर साक्ष्य संकलन का स्थान व दिनांक अंकित किया गया। आगे हम नीचे की ओर आये और परिसर में धैर्य के साथ एक-एक समान चेक करने लगे। प्रथम दृष्या बॉडी के साईन व उसी जहर का पाया जाना एक तरफ तो इशारा कर ही रहा कि शरीर में जहर की उपस्थिति है।

अभी भी मेरे मन में यह खटक रहा था कि कुछ शायद ऐसा और मिल जाए। चूंकि मंदिर का दरवाजा खुला तो जो ऊर्जा स्तर गिर चुका था इंतजार करते-करते, वह पुन: अपने उच्च स्तर पर पहुंच गया था क्योंकि मेरे जैसे फॉरेंसिक वैज्ञानिक को यह बात हमेशा याद रहती है कि चाहे कुछ भी हो अपनी पूरे क्षमता से घटनास्थल का निरीक्षण करना है। जिससे विवेचना को एक निश्चित एवं सटीक दिशा दी जा सके। फिर कोने में एक कमरा दिखा जिसमें ताला बंद था मैंने मंदिर परिसर में खड़े एक पुजारी से पूछा कि यह कमरा किसका है उन्होंने बताया कि यह पुजारी बाबा का ही कमरा था। मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या यह कमरा खोलकर हम देख सकते हैं ? उस पुजारी ने बताया कि एक और बड़े पुजारी हैं जिनके पास उस कमरे की चाबी रहती है और वही अनुमति देंगे तो आप अंदर प्रवेश कर सकते हैं।

हम संज्ञानित थे कि जहां हमें अंदर जाने की भी अनुमति नहीं थी वहां अगर हम अंदर प्रवेश कर गए हैं तो हमारी वजह से कोई ऐसी बात न हो जिससे प्रशासन के लिए असहजता उत्पन्न हो जाए। फिर भी हम प्रयास करते रहे। थोड़ी देर बाद बड़े पुजारी आते हैं। मैं उनसे अनुरोध करती हूं कि उस कमरे को एक बार देखना चाहती हूं जो पुजारी बाबा का था। वे पहले तो संकोच करते हैं फिर बोलते हैं कि आप अपने कप्तान साहब से पहले अनुमति ले लो वह कहेंगे तो मैं सोचूंगा। फिर मैंने उनको बताया कि मैं घटनास्थल निरीक्षण के लिए स्वयं अधिकृत हूं और इसमें कप्तान साहब को कोई समस्या नहीं होगी, आप प्लीज हमें अंदर जाने दें, काफी अनुरोध भी किया मैंने। यह कमरा मेरे लिए इतना महत्वपूर्ण हो गया था कि जैसे पूरा साक्ष्य यहीं छुपा हो। आखिर में, हमारे अनुरोध से वे चाबी देने को तैयार हो गये और उन्होंने कहा कि ठीक है मैं खोलता हूं अन्य कोई इस कमरे में प्रवेश नहीं करेगा। मैंने बोला था कि सिर्फ एक और मेरी हेल्प के लिए मेरी टीम से.... ठीक है जल्दी करियेगा....वे बोल कर बाहर खड़े हो गये। हम कमरे की तरफ बढ़े जिसमें काफी अंधेरा था मोबाइल की लाइट से हम सर्च करने लगे और बाबा के कपड़े सामान आदि थे काफी देर तक कुछ हाथ न लगा फिर अचानक मेरी निगाह कमरे के कोने में रखे कपड़ों के ढेर पर पड़ी... पास जाकर देखा...फिर कपड़ों को एक-एक कर हटाने लगी तो उसके नीचे एक संदूक रखा था। संदूक खोलते ही जैसे मुझे साक्ष्य का खजाना मिल गया हो। कुछ कोर्ट के पेपर थे जिनके पीछे हाथ से लिखा गया था और यह सब एक पेज का न होकर तीन से चार पेज का था। सबसे पहले एक-एक पेज की फोटोग्राफी करवायी और उनके लिफाफे में रखकर पुजारी महोदय से दरवाजा बंद करने का अनुरोध किया। लेकिन मुझे तो साक्ष्य मिलने के बाद ऐसा लगा जैसे मैंने कितना बड़ा काम कर दिया फिर सबसे पहले एसपी साहब को फिर एडिशनल साहब को कॉल किया लेकिन फोन ही नहीं लग रहा था उस दिन। मेरी इच्छा हो रही थी कि जल्दी से यह सूचना अपने उच्चाधिकारियों को दे दूँ ताकि कुछ हद तक उनकी परेशानी कम हो जाये और विवेचनाधिकारी को एक दिशा मिल जाये घटना के अनावरण

हेतु। उस दिन संयोगवश एडीजी साहब और कमिश्नर साहब मेरी हर एक एक्टिविटी पर बिना मेरी जानकारी के नजर रखे हुए थे। अब जैसे ही मैं आत्मविश्वास के साथ निकली, दूर से कमिश्नर साहब ने मुझे देखा और अंदाजा लगाया की शायद मुझे कुछ मिल गया है। अब तो मुझे यहां रुकना ही गवारा ना हो रहा था। मैं बाहर निकलना चाहती थी कि किसी तरह से उच्च अधिकारियों को यह खबर लग गई कि मुझे कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज मिली है मेरे पास फोन आना प्रारंभ हो गया और मुझे यह बताया गया कि आप एनटीपीसी गेस्ट हाउस पहुंचिए, वहीं एडीजी साहब और कमिश्नर साहब आप से बात करेंगे। मैं अपनी टीम के साथ क्षेत्राधिकारी महोदय के साथ गेस्ट हाउस पहुंच गयी वहां मैंने लिफाफा एडीजी साहब को दिया। उनके लिए भी उस समय वो साक्ष्य किसी खजाने से कम नहीं था। मेरी मेहनत, लगन, धैर्य और वैज्ञानिकता की थोड़ी बहुत मौखिक प्रशंसा की गयी। फिर मुझे एडीजी महोदय द्वारा यह निर्देशित किया गया कि आप स्वयं समस्त साक्ष्यों को थाने पर ले जाकर रिसीव कराएं।

हमें सुबह से पहली बार शाम के 4:30 बजे एक कप चाय नसीब हुई और फिर हम थाने के तरफ मूव किये, जब मैं सब कुछ रिसीव कर रही थी तभी धीरे-धीरे एक-एक करके सभी अधिकारियों के फोन आने लगे और उनके द्वारा मुझे यह बताया गया कि अन्य साक्ष्य रिसीव करवा दें, किंतु डॉक्यूमेंट लिफाफा अपने पास ही रखिए उसे किसी से शेयर ना करें। लेकिन मैंने अपनी असमर्थता बतायी कि मैं उस लिफाफे को घर नहीं ले जा सकती फिर मुझे पुलिस अधीक्षक द्वारा यह निर्देश दिया गया कि आप वापसी में क्षेत्राधिकारी साहब को रास्ते में दे दीजियेगा।

अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर लिफाफे में ऐसा क्या लिखा था जिससे उसे खजाना कह रही हूं। वास्तव में यह कोर्ट का एक आदेश था जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया है कि बाबा के ऊपर दो-तीन थानों में केस दाखिल किए गए थे जिसमें पुलिस द्वारा तो कार्रवाई नहीं की गई थी विशेष, यह जानते हुए की बाबा निर्दोष है। लेकिन कोर्ट, पुजारी बाबा को बार-बार बुलाता था। अगले दिन पुजारी बाबा को हाई कोर्ट में बुलाया गया था। पुजारी बाबा जो निर्दोष थे, उनके ऊपर दबाव बनाने के लिए बहुत ही निचले स्तर के आरोप लगाये गये थे। जिसे पुजारी बाबा बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने जीवन त्यागने का निर्णय लिया। ये शब्द मेरे नही बल्कि पुजारी बाबा के थे। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी मृत्यु का समय सुबह के 2:35 लिख रखा था। उन्होंने अपनी नाउम्मीदी की भी बात लिखी थी की कुछ अधिकारियों ने बहुत आश्वासन भी दिया था और कोई मदद नहीं की। एक और अलग सी बात थी उन्होंने अपनी समाधि का स्थान व नक्शा भी उन कोर्ट के पन्नों के पीछे बनाये थे।

यह पूरी बात बताने का मेरा एक ही मकसद है कि एक फोरेंसिक विशेषज्ञ को घटनास्थल को अच्छे से समझना चाहिए, धैर्य बनाए रखना चाहिए और घटनास्थल पर तब तक नहीं थकना चाहिए जब तक कि कोई औचित्यपूर्ण साक्ष्य न मिल जाएं। अनेक घटनाए प्रारंभ में अलग प्रकार की दिखती हैं और बाद में साक्ष्यों के आधार पर अलग दिशा में चली जाती हैं। इसलिए किसी फोरेंसिक विशेषज्ञ को पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना चाहिए और बिल्कुल शून्य से निरीक्षण करना चाहिए।

****

जेल प्रशासन व सद् प्रयास

श्री संजीव सिंह ह्यांकी
प्रभारी अधीक्षक,
जिला कारागार नैनीताल

सारांश –
जेल प्रशासन की छवि परंपरागत रूप से दंड और कठोरता से जुड़ी रही है, लेकिन अब यह सुधारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए अपराधी मनोवृति के सुधार की ओर बढ़ रहा है। सुधारात्मक पहलू में अपराधियों का मानसिक और सामाजिक पुनर्निर्माण प्राथमिक लक्ष्य है, जिससे वे जेल अवधि के बाद समाज में सम्मिलित हो सकें। जेल प्रशासन ने तकनीकी उपायों, स्किल डेवलपमेंट, शिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं और व्यक्तित्व विकास के कार्यक्रमों के माध्यम से बंदियों के सुधार पर जोर दिया है। इसके अतिरिक्त, न्यायिक समन्वय, मुलाकात की सुविधाएं और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नए उपाय लागू किए गए हैं। इस प्रक्रिया में जेल कार्मिकों का भी सुधार आवश्यक है, ताकि वे इस परिवर्तन के सहभागी बन सकें। कुल मिलाकर, भारतीय जेल प्रशासन अब मानवीय दृष्टिकोण और समाज सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है।

जेल एक ऐसा विषय है जो स्वयं में ही कठोरता, भय व अनुशासन का परिचायक है जो आम जन-मानस की स्वीकार्यता से दूर का स्तम्भ है। साधारणतया समाज स्वतः जेल को एक ऐसा स्थान मानता है जो कि समाज से परित्यक्त घृणित अपराधी, समाज विरोधी लोगो को बल पूर्वक समाज से दूर रखने का स्थान है और यह छवि इसे समाज में भय की दृष्टि से देखने का कारण देती है। आम जन की दृष्टि से देखें तो जेल एक दंड स्थल है जो कि प्रत्येक प्रकार से कष्ट, कठोर व दांडिक तरह के अपराधी व समाज विरोधी तत्व को निरूद्ध रखने एवं उसका दमन करने के लिये बनाया गया है ताकि समाज सुरक्षित रह सके। जहां दंड शब्द आता है वहां बल व बल प्रयोग स्वयं ही जुड़ जाता है। इस प्रकार जेल वह स्थल हुआ जो समाज को सुरक्षित रखने हेतु समाज का नुकसान करने वाले अपराधी तत्वों का बल पूर्वक दमन स्थल है और यह समाज, जन मानस में भय व्याप्त करने वाला है। कोई व्यक्ति स्वप्न में भी जेल का ध्यान नहीं करना चाहता। वहाँ जाना, वहां के लोगों से मिलना या उनके विषय में सोचना भी नहीं चाहता। यह स्वतः अपराधी तत्व/बंदी के प्रति घृणा को उत्पन्न करता है।

जब जेल भय व घृणा का कारक है, अपराध दमन स्थल व अपराधी को दंड देने का स्थान है, तो वहां के प्रशासन की छवि भी एक दंडनायक, कठोर अनुशासन का चरम पालक जैसी ही होगी। जेल प्रशासन शब्द सामान्यतः एक ऐसी कठोर दमनात्मक प्रणाली को परिभाषित करता है जो कि समाज के भय कारक तत्वों को दंड देने के लिये उन पर लागू की जाती है।

परंतु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इन सामान्य छवि से अलग जेल की प्रणाली बहुत अलग है, जेल प्रशासन शब्द के साथ वैश्विक रूप में सुधारात्मक शब्द को इसी कारण जोड़ा गया है। सुधार व जेल, यह स्वयं में विरोधाभासी तो लगता है जो प्रथम दृष्टया समझ से परे हो सकता है अतः इसे समझना आवश्यक है कि, क्यों जेल प्रशासन व सुधारात्मक दोनों का समायोजन किया जा रहा है? क्यों जेल प्रशासन के सद् प्रयासों की चर्चा की जा रही है? यदि इसके पीछे जाएं तो सर्वप्रथम यह समझना आवश्यक है कि सुधारात्मक व सद् प्रयास क्यों एक विषय है, अथवा क्यों आवश्यक है। तो यह समझ आता है कि अपराध व अपराधी मनोवृति समाज हेतु नुकसान दायक है। अतः समाज से इसे दूर रखना आवश्यक है, तभी जेल स्थापित है। परंतु सिर्फ कुछ तत्वों

को अपराधी मानकर व उन्हें समाज से दूर रखकर ही समाज अपराध मुक्त नहीं हो सकता है। आवश्यकता अपराधी मनोवृति को समाप्त करने की है तभी समाज से अपराध दूर करने में सहायता प्राप्त हो सकती है और वर्तमान में जेल प्रशासन इस दूरदर्शी नीति के अनुक्रम में अपराधी मनोवृति की समाप्ति हेतु कार्यरत है, जो अपराधियों व आरोपी में मानसिक विकार रूपी अपराध तत्व के सुधार को प्राथमिकता देती है यही सुधारात्मक पहलू है।

समाज को उसकी श्रेष्ठता की कसौटी पर परखने में भी एक मानक उक्ति है कि, यदि किसी समाज की वास्तविक श्रेष्ठता को पहचानना है तो सर्वप्रथम उसमें दासता व बंदियों की स्थिति देखनी चाहिये कि किस मानवीय पहलुओं से उनके प्रति बर्ताव है "अर्थात यदि समाज श्रेष्ठ व उत्तम विचारों का परिपोषक है तो वहां मानवीयता एक प्राथमिक पहलू होगा और यह तभी होगा जब वह परित्यक्तों के प्रति भी घृणा न करके मानवीय दृष्टिकोण को अपना मुख्य आधार बनायेगा यही बात शायद इस निर्णय पर लाती है कि अपराध से घृणा करो अपराधी से नहीं"।

जहाँ तक भारतीय समाज का उल्लेख है तो यहाँ भी अब अपराधी मनोवृति के समूल नाश पर ही नीतियां स्वीकार्य हो रही हैं। इसमें न्यायिक प्रणाली व प्रशासनिक व्यवस्था दोनों का समन्वय भी समानान्तर साथ-साथ कार्यरत है और समाज भी अपनी मानसिकता को परिवर्तित कर सुधार का स्वागत व उसमें सहयोग को तैयार है। अब यह वैश्विक मांग व आवश्यकता भी है चूंकि अपराधी का भी अपना परिवार व समाज है जो भावनात्मक रूप से जुड़ाव नहीं समाप्त कर पाता। अतः यदि सुधार उपरांत परिष्कृत रूप में प्राप्ति हो तो कौन अपनों से दूर रहना चाहता है।

भारतीय व्यवस्था यद्यपि जेल को राज्य का प्रश्न मानती है परन्तु राष्ट्रीय स्तर पर जेल के साथ सुधारात्मक पहलू को बढावा देने में प्रतिबद्ध है और उच्चतम न्यायालय के निर्देशों, वैश्विक नीतियों, समय की आवश्यकता तथा मानवीय पहलुओं को समावेश कर Model Prison Manual अब सभी राज्यों का नीति निर्देशक है।

जेल प्रशासन की सोच परिवर्तित करने का प्रमुख कारक Model Prison Manual लगभग हर उस पहलू पर स्पष्ट सोच व नीति को दर्शाता है जो समाज से परित्यक्त व अपराधी मनोवृति के व्यक्तित्व को परिष्कृत करने हेतु आवश्यक है। प्रशासन के प्रत्येक चरण में अब इसी मुख्य नीति अनुसार कार्य पर जोर दिया जा रहा है। इस परिपेक्ष्य में देखा जाय तो भारतीय जेल प्रशासन अब बहुत अधिक स्वयं को परिवर्तित व आधुनिक कर चुका है और हर तरह से समाज को संदेश देने में आगे है कि मानवीय पहलुओं के साथ अपनी मूल आवश्यकता के समावेश के साथ जेल प्रशासन हेतु जिन परिवर्तित व्यवस्थाओं का विगत कई दशकों से व वर्तमान में नीति निर्धारण का अनुपालन किया जा रहा है उन पर एक नजर डालना व उन्हें बढावा देना आवश्यक है।

वर्तमान भारतीय जेल प्रशासन अपने जिन सद् प्रयासों हेतु जाना जाता है उसमें आरोपियों/अपराधियों के प्रति हर उस बिन्दु को चिहिन्त कर आवश्यक नीति अनुपालन द्वारा उनकी व्यवस्था व निवारण पर प्राथमिक रूप से कार्य किया जा रहा है इनका उल्लेख आवश्यक है। यह परिलक्षित है कि जेल के सद् प्रयासों की लंबी श्रंखला है जो वर्तमान में प्रत्येक स्तर पर जेल प्रशासन नीति में योजित प्रणाली का हिस्सा है इसमे जेल में नवीन तकनीकी का प्रयोग न केवल सुरक्षा दृष्टिकोण से बल्कि सूचना/जानकारी, बाहरी समाज से जेल में निरूद्ध बंदियों के सम्पर्क बंदियों के उत्थान, व्यक्तित्व सुधार, निर्माण सभी पहलुओं पर किया जाने लगा है। जेल प्रशासन के सद् प्रयासों में मुख्य आधार सुधारात्मक कार्यप्रणाली है जो कि प्रत्येक प्रकार से समाज को अपराधी मनोवृति में बदलाव कर मानव रूप में उपहार स्वरूप वापस देने की आधार नीति का प्रमुख स्तम्भ है। इस हेतु न केवल जेल में निरूद्ध बंदियों को अपनी परित्यक्त अवस्था में स्वयं को हताशा, निराशा से बचाने, उन्हें व्यस्त रखने, पश्चाताप करने, आत्महत्या जैसी नकारात्मक सोच से दूर रखने में यह सद् प्रयास कार्यरत हैं बल्कि ये अपराधी के व्यक्तित्व के सकारात्मक पहलुओं की खोज, उनके प्रसार व पुर्ननिर्माण में भी बहुत बडी भूमिका निभा रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से उन्हें अपनी जेल अवधि के पश्चात् के जीवन को अच्छी तरह जीने, जीविकोत्पार्जन, परिवार के प्रति जिम्मेदारी निर्वहन बल्कि उनके स्वावलंबन द्वारा मानसिक सकारात्मकता से अच्छा मनुष्य बनने में सहायता जेल प्रशासन में सद् प्रयासों का हिस्सा है।

एक बंदी की मानसिक स्थिरता जो परित्यक्त जीवन में उन्हें निराशा में डूबकर समाप्त अथवा अधिक नकारात्मक व्यक्तित्व

में परिवर्तित होने से बचाती है, अत्यावश्यक है। सद् प्रयास इसमें आज बड़ी भूमिका निर्वहन कर रहा है। इस हेतु तनाव मुक्ति कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम व्यक्तित्व निखारने के प्रयास जेल प्रशासन द्वारा किए जा रहे हैं।

जेल प्रशासन सद् प्रयासों के द्वारा निरूद्ध बंदियों के व्यवस्थापन सुरक्षा, व्यक्तित्व निर्माण परिवर्तन, सकारात्मक सोच, भविष्य निर्माण में ही नहीं लगा है वह न्यायिक व प्रशासनिक निर्देशों, नीतियों के तहत समन्वय स्थापित कर जेल की भीड़ कम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

जब बात सद् प्रयासों की आती है तो वर्तमान नीति बंदियों के साथ-साथ जेल प्रबंधन के प्रमुख स्तम्भ जेल कार्मिकों की भी जरूरी है। चूंकि वही माध्यम हैं अनुपालन के, अतः सद् प्रयासों में जेल कार्मिकों व उनके परिवारों के लिये भी सुधारात्मक दृष्टिकोण की नीति आवश्यक है। जेल प्रशासन के सद् प्रयासों की वर्तमान लागू व्यवस्था व उनमें अपेक्षित परिवर्तन संवर्धन की आवश्यकता विषयक सभी पहलू इस लेख का हिस्सा बनाये जा रहे हैं।

जेलों में तकनीकी का प्रयोगः जेल सुरक्षा हेतु जेलों को सी0सी0टी0वी0 सर्विलांस से युक्त करते हुये अन्य सुरक्षा उपकरणों यथा हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर, एक्स रे बैगेज स्कैनर, मल्टी डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर, लैमिनेटेड फोटो पहचान पत्र, मोबाईल जैमर सिस्टम, ब्रीदिंग एनलाइजर व बंदिरक्षकों/जेल कार्मिकों की सुरक्षा संबंधित ट्रेनिग इसकी प्रथम आवश्यकता है।

इस क्रम में, हाई सिक्योंरिटी बैरक/वार्ड भी बंदियों के आपराधिक व मनोवृति आधार पर पहचान करके उसके अनुसार उन्हें उनमें रखने हेतु आवश्यक है। तकनीकी का उच्च प्रयोग जेलों की समस्त जानकारी रिकार्ड व प्रंबधन साफ्टवेयर इसमें बंदियों व उनकी समस्त गतिविधियों के रिकार्ड दर्ज करने, उनकी अभिरक्षा/प्रकरण संबंधी हर तथ्यों के रिकार्ड किये जाने हेतु आवश्यक है इसमें फोटो बायोमैट्रिक, फिंगर प्रिंट डाटा रखा जाना शामिल है।

बंदियों के मुलाकातियों से संबधित प्रबंधन, वीडियों कान्फ्रेसिंग प्रणाली बंदियों के न्यायालयों में आनलाईन उपस्थिति उनके प्रकरणों के परीक्षण, गवाही इत्यादि के लिये उपयोगी तो है ही, सुरक्षा दृष्टि से भी अत्यावश्यक व्यवस्था है। यह फरारी जैसे अवांछित घटना, पुलिस इस्कार्ट व्यवस्था पर खर्च जैसे अनावश्यक व्यवस्थाओं को समाप्त अथवा इनमें कमी हेतु आवश्यक है। तकनीकी से प्रत्येक कारागार की वेबसाइट भी उसकी पारदर्शी कार्यप्रणाली के प्रदर्शन हेतु आवश्यक तत्व है। सद् प्रयासों के अनुक्रम का मुख्य आधार स्तम्भ कारागार के बंदी के व्यक्तित्व निर्माण/सुधार व वेलफेयर में भी है।

एक बंदी की निरूद्धावधि न केवल उसको कलंकित करती है बल्कि उसके सामाजिक भटकाव का भी कारण बनती है एवं उसकी सामाजिक परित्यक्ता स्थिति का कारक भी होती है क्योंकि वह शेष समाज के साथ सामाजिक सम्पर्क से कटा रहता है , यदि नियोजित है तो नौकरी की हानि, आजीविका के साधनों की हानि, जीवन जीने के उसके तरीकों, जीविकोत्पार्जन के माध्यमों, परिवार से दूरी यह सब निरूद्धावधि के विकृत परन्तु सत्य दुष्परिणाम हैं। अतः निरूद्धावधि के पश्चात् उसे समाज से पुनः जोड़ने हेतु आवश्यक है उसका वित्तीय समायोजन व उसके व्यक्तित्व परिवर्तन हेतु प्रक्रिया क्रियान्वयन। इस कारण सर्वप्रथम उसकी, उस पर होने वाले आमूल-चूल परिवर्तन प्रयासों के प्रति स्वीकार्यता की स्थापना आवश्यक है। इस हेतु जेल प्रबधंन में उसकी सहभागिता सुनिश्चित करना एक महत्वपूर्ण चरण है। जेल पंचायत एक मुख्य आधार है जो कि बंदी के प्रबंधन में सहभागिता स्थापित करती है । अतः सद् प्रयासों के अन्तर्गत जेल पंचायत व महापंचायत स्थापना एक आवश्यक व स्वागत योग्य कदम है।

बंदियों का जेल की बाहरी दुनिया से संपर्क उनमें नकारात्मकता व निराशा से बचाने में एक प्रमुख आवश्यकता है, चूंकि परित्यक्ता प्रतिबंध उन्हें मानसिक रूप से कमजोर बनाते हैं और परिवार से सम्पर्क मानसिक सुरक्षा-स्थिरता देता है। इस कारण बंदियों की मुलाकातियों की सुचारू व्यवस्था होना अत्यावश्यक है इस हेतु मुलाकात हेतु साफ्टवेयर, ईमेल द्वारा मुलाकात आवेदन, भौतिक मुलाकात प्रागंण, वर्चुअल मुलाकात व्यवस्था द्वारा सुदूर व असक्षम परिवारजनों से सम्पर्क हेतु, वीडियों कान्फ्रेसिंग मुलाकात,पब्लिक काल बूथ सेट-अप का स्थापित होना सद् प्रयास की आवश्यकता है।

बंदियों की समस्याओं का चाहे वह जेल के भीतर की हो अथवा प्रकरण विषयक न्यायालयों से संबधित हो, उनके परिवारजनों से संबंधित हो, सुना जाना तथा उनके समाधान

का प्रयास होना भी अत्यावश्यक मानवीय पहलू है। इस हेतु शिकायत पेटिका के अतिरिक्त प्रशासन के अधिकारियों से सरल सम्पर्क व्यवस्था, सुनवायी प्रक्रिया तथा उससे भी महत्वपूर्ण है इस प्रक्रिया पर बंदियों का विश्वास कायम किया जाना । इस हेतु वरिष्ठ अधिकारियों की बैरक/वार्डवार विजिट, सुनवाई दिवस समस्याओं के विधिवत पंजीकरण, उन पर कृत कार्यवाही की विधिवत् सूचना देना, यदि आवश्यक हो उनकी शिकायतों/समस्याओं का संबधित विभाग/स्तर पर अग्रसारण किया जाना भी प्रक्रिया का हिस्सा है।

न्यायिक समस्याओं हेतु लीगल ऐड क्लीनिक स्थापना, उस हेतु बंदियों में से योग्य व सेवा विचार वाले बंदी को पैरालीगल वांलटियर नियुक्त किया जाना विधिक सेवा प्राधिकरणों से समन्वय कर समस्याओं निवारण हेतु विधिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था किया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण चरण है। विचाराधीन बंदियों हेतु चिहिन्त आवश्यकताओं हेतु अभिरक्षा में उन्हें भेजना व अंतरिम जमानत दिलवाना भी इसका एक जरूरी हिस्सा है, वही सजायाफ्ता कैदियों हेतु सरल पैरोल व्यवस्था जो उन्हें हर तीन माह-छः माह पर निश्चित अवधि 07–15-30 दिवस हेतु परिवार में भेजने में सहायक हो तथा इसकी सरल प्रक्रिया जिससे कि एक बार पैरोल स्वीकृत होने पर चिन्हित जमानतियों के पहचान आधार पर बार-बार उनकी प्रक्रिया निभाने से मुक्त करते हुये उन्हें पैरोल दिलाती हो बशर्ते उनके आचरण व अन्य सुरक्षा संबंधी शर्ते पूरी की गयी हो महत्वपूर्ण व आवश्यक है।

बंदियों के खानपान व्यवस्था हेतु मानक अनुरूप स्वच्छ भोज्य पदार्थो की व्यवस्था वाली पाकशाला तथा एक कैंटीन प्रणाली जो आवश्यक सामग्री की व्यवस्था प्रदान कराती हो आवश्यक है। पाकशाला की भोजन व्यवस्था, परिवर्तित मेन्यु व पौष्टिकता वाला खाना होना न केवल स्वास्थ्य बल्कि मानसिक स्वास्थ्य हेतु भी आवश्यक है।

जेल प्रशासन व सद्प्रयासों में सुधारवादी योजनायें व्यवस्था की यदि बात करतें हैं तो यह कई चरणों में अपनायी जा रही हैं। अब चूंकि इसके मुख्य उद्देश्य हैं समाज से परित्यक्तों की वापसी, समाज से पुनः उन्हें जोड़ने हेतु तैयार करना और फिर इस नई परिस्थिति हेतु बंदी का स्वयं, साथ ही समाज की भी स्वीकार्यता। सुधार सेवा के चरणों में सर्वप्रथम शिक्षा की व्यवस्था एक प्रमुख आवश्यकता है चूंकि शिक्षित व्यक्ति तमाम बुराइयों को स्वतः ही त्याग देता है अथवा ऐसा करने हेतु उस पर समुचित कारण होते हैं। शिक्षित व्यक्ति के पास विकल्प होते हैं अपने जीवन यापन के उचित तरीकों को अपनाने के, जो उसे अराजकता से दूर करते हैं। अतः जो मुख्य एवं प्राथमिक कार्य है वह है सर्वशिक्षा /साक्षरता, यह एक अभियान की तरह चलाया जाना चाहिये और इसे उस कारागार में शत-प्रतिशत साक्षर बंदी के पैमाने पर परखा जाना चाहिये। अशिक्षितों को बेसिक शिक्षा अवश्य प्रदान की जानी चाहिये जिसमें सबसे आसान है छोटी अवधि 07 दिन तक में उसे अपना नाम पढ़ने व लिखने योग्य बना देना। जो अधिक शिक्षित होना चाहते हैं इच्छुक हैं उन्हें पूरा कोर्स कराना, उच्च शिक्षा हेतु राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयों, डिस्टेंस एजुकेशन बोर्ड व टैकनिकल ट्रेनिंग इंस्टिटयूट की मदद, उनसे समन्वय तो आवश्यक है ही, कारागार के शिक्षित बंदियों को वर्गीकृत करते हुये उन्हें इस कार्य में उपयोग किया जाना सर्वथा उपयोगी भी है एवं सरल भी। चूंकि इस हेतु आंतरिक स्त्रोतों से प्रशिक्षकों की व्यवस्था हो जाती है बाहरी स्त्रोतों पर निर्भरता कम होती हैं साथ ही यह एक मानसिक उपचार की श्रेणी भी है जो सभी को व्यस्त रख अनावश्यक मानसिक विकार से भी बचाती है।

जेल प्रशासन द्वारा ऐसे अध्ययनरत् बंदियों पर विशेष ध्यानाकर्षण कर उन्हें वांछित अवसर देना, परीक्षा शुल्क, कोर्स फीस की व्यवस्था इत्यादि आवश्यक है। साथ ही स्किल प्रोग्राम उन्हें न केवल वर्तमान निरूद्ध जीवन में व्यस्त रखने बल्कि पुनः मुख्य धारा से जुड़ने हेतु सहायक है न केवल जीविका हेतु, बल्कि समाज में अपने नए व अलग स्थान हेतु भी। इस हेतु विभिन्न ट्रेडों के माध्यम से वोकेशनल ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्रामों द्वारा बढई, लोहार, सिलाई, प्लम्बर, बेकरी, फुटवियर व चमड़े के उत्पादों, व्हील चेयर, इलेक्ट्रिशियन, मोबाइल रिपेयर इत्यादि पाठ्यक्रम तो है ही, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर, टाईपिंग, डेस्कटॉप प्रिटिंग, योगा प्रशिक्षक, ब्युटी पार्लर सेलून इत्यादि भी नये व आधुनिक परिवेश से संबंधित जीविका प्रदान करने वाले कोर्स हैं।

जिन कारागारों में स्थान उपलब्ध है वहां कृषि आधारित प्रशिक्षण, यथा हार्टिकल्चर, मेडिसिनल प्लांट, मशरूम, टिश्यु कल्चर केले का उत्पादन व आर्गेनिक कृषि प्रशिक्षण, फर्नीचर वर्कशाप, साबुन डिटर्जेन्ट व फिनायल का उत्पादन, बुनाई सेक्शन में तौलिये, बेकरी सेक्शन में कन्फेक्शनरी उत्पाद और

बेहतर तरह से सिखाये जाते हैं। कृषि क्षेत्र में व अन्य प्रयोगात्मक उत्पादन भविष्य के क्रियाकलापों हेतु आवश्यक व उपयोगी हैं।

इन सबके साथ बंदियों के मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान भी मुख्य प्राथमिकता है चूंकि परित्यक्त जीवन का शूल सदैव कष्टकारी होता है तथा निराशा अंततः आत्महत्या के परिणाम पर जा सकता है अतः तनाव मुक्ति कार्यक्रम सभी बंदियों तथा विशेष श्रेणी में ड्रग से प्रभावित, एच0आई0वी0 से ग्रस्त बंदियों हेतु प्राथमिक तौर पर अपनायी जाने वाली प्रक्रिया है। इस हेतु योगा, मेडिटेशनल कोर्स विपाशना, मौरल, स्पिरिचुअल कोर्स व लेक्चर कार्यक्रम, इत्यादि निरन्तर चलाये जाने वाली योजनायें हैं। धार्मिक, नैतिक, मानसिक संवर्धन के अतिरिक्त सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी महत्वपूर्ण स्थान इस श्रेणी में आता है।

इसके साथ खेल कार्यक्रम में इनडोर आउट डोर खेल, क्विज, निबंध लेखन, गायन, ड्रामा, संगीत समारोह, मेलोडी प्रोग्राम, डांस, भजन, लोकगीत-नृत्य, लोक भाषा के कार्यक्रम सदैव वह निरन्तर आयोजित होते रहने चाहिये। साथ ही प्रत्येक त्यौहार चाहे वह धार्मिक, जातीय हो अथवा राष्ट्रीय इसका आयोजन किया जाना एक सतत् प्रक्रिया है जो प्रशासन के सद् प्रयासों का महत्वपूर्ण अंग है। बैरकों में टी0वी0 व्यवस्था, समाचार, ज्ञान, इन्टरटेनमेंट में बंदियों को व्यस्त रहने में सहायक होते हैं।

कारागारों में महिला बंदियों तथा जहाँ उनके शिशुओं को रहने की भी व्यवस्था है, यह भी एक मुख्य विषय है। शिशुओं हेतु नर्सरी, क्रेच की अलग व्यवस्था, टाय जोन, पिकनिक, शिक्षा यह सम्पूर्ण व्यवस्था जेल प्रशासन के सद् प्रयासों का हिस्सा है। इनमें 06 वर्ष आयु पूर्ण उपरांत बच्चे को बोर्डिग स्कूल में माँ, परिवार/ अभिभावक की सहमति से डालने की व्यवस्था प्रायोजकों की मदद से की जानी चाहिये। महिला सुरक्षा, प्रसवकाल, पीरियडस केयर, यह भी एक आधार बिन्दु है जो कि महिला सेक्शन में अपनायी जाती है।

जहाँ सद् प्रयास जिम्मेदारियों के इन सभी सोपानों पर प्रमुखता व सूक्ष्मता से क्रियान्वित हैं वहीं इनके क्रियान्वयन के कर्णधार जेल कार्मिकों की ओर भी ध्यान रखना अत्यावश्यक है तभी इन सद् प्रयासों के सही मायने निकल पायेंगे। अतः शिक्षित/योग्य कार्मिक चयन प्रणाली से निकल कर नियुक्ति पर आये कार्मिकों को एक अच्छा माहौल देना ड्यूटी समय रोस्टर का सही चयन जिससे मानसिक थकान न रहे व डयूटी दौरान एलर्ट मोड में रह सकें। खेल, शिक्षा, स्वास्थ्य, कैंटीन, परिवार हेतु आवास की व्यवस्था व परिवार तथा स्वयं को भी समय दे सकने वाला ड्यूटी रोस्टर आवश्यक है। मेडिकल, एक्सीडेंटल, इंश्योरेंस, सैलरी पैकेज, तनाव मुक्ति कार्यक्रम तथा तकनीकी व सामान्य प्रशिक्षण कार्यक्रम उन्हें और अधिक सजग व योग्य बनाता है। कार्मिकों का उत्साहवर्धन एवं इस हेतु पुरस्कार/ अवार्ड दिया जाना जैसे आउटस्टेंडिग, डिवोशन टू ड्यूटी, विशिष्ट सेवा पर प्रमाण पत्र/मेडल सभी आवश्यक हैं।

उच्च शिक्षा के कोर्स हेतु व्यवस्था भी उन्हें अधिक योग्य बनाता है। साथ ही स्टाफ वेलफेयर फंड, साप्ताहिक रिव्यु अथवा ग्रिवियेन्स रिड्रेसल मीटिंग भी उच्चाधिकारियों या विभागाध्याक्ष के साथ आवश्यक है। वीमेन कमेटी, हैरसमेंट क्योर भी इसका एक प्रमुख हिस्सा है।

इन सब में ताल-मेल के साथ साथ हर प्रिजन युनिट को सेल्फ डिपेंडिंग जोन अथवा अर्निंग जोन में बदला जाना, अधिक जिम्मेदार पारदर्शी व योग्य व्यवस्था देना भी सद् प्रयासों का मुख्य अंग होना चाहिए और इस हेतु वोकेशनल ट्रेनिंग यूनिट की कार्यशाला मुख्य रूप से लाभ अर्जित करने हेतु उपयोगी बनायी जा सकती है। प्रशिक्षण में तैयार उत्पादों की बिक्री, प्रिजन आउट साइड शाप के माध्यम से रेडी टू ईट उत्पादों की बिक्री एवं रेस्टोरेंट/फास्ट फूड कार्नर/भोजनालय के रूप में न केवल बंदियों की प्रशासन में भागीदारी स्थापित करती है साथ ही उनकी योग्यता भी संवर्धित करती है तथा कारागार को आय का जरिया भी हो सकती है।

इस प्रकार, आज के समाज में जेल प्रशासन के सद् प्रयासों के क्रियान्वयन द्वारा एक अच्छी सभ्यता का परिचय दिया जा सकता है जो कि मानवीय दृष्टिकोणों व मानवधिकारों के भी प्रत्येक मानकों के अनुरूप एवं विकार मनोकृति के समाप्ति के प्रयास के रूप में एक बडी भूमिका निभा सकता है।

****

भारतीय पर्यटन में पुलिस की भूमिका

श्री पुष्पेन्द्र कुमार
मुख्य आरक्षी, उत्तर प्रदेश पुलिस

सारांश –
भारतीय पर्यटन उद्योग राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है, और पर्यटकों को सुरक्षित, सुखद अनुभव देने के लिए पुलिस की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। पुलिस का कार्य न केवल सुरक्षा प्रदान करना है, बल्कि पर्यटकों को मार्गदर्शन, आपातकालीन सहायता, और विभिन्न समस्याओं का समाधान भी करना है। पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों को दलालों से बचाने, उनके रास्ता भटकने, पासपोर्ट खोने पर और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में पुलिस को मदद करनी पडती है। आगरा में स्थापित पर्यटन थाना इस दिशा में एक सफल मॉडल है। पुलिस की सक्रिय भूमिका भारतीय पर्यटन को सुरक्षित और समृद्ध बनाने में सहायक है।

भारतीय पर्यटन में पुलिस की भूमिका और योगदान के सन्दर्भ में कहा जाए तो पुलिस का तात्पर्य पूरे भारत के सभी राज्यों की पुलिस से है। पुलिस और पर्यटन दोनों ही भारत के महत्वपूर्ण विभाग है। यूँ तो दोनों ही एक दूसरे से इतर भी हैं और सामान्य तौर पर दोनों का परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं है। लेकिन आज की परिस्थितियों के नजरिये से देखा जाये तो दोनों का एक-दूसरे से गहरा सम्बन्ध हो सकता है दोनों परस्पर समन्वय के साथ काम करें तो भारतीय पर्यटन और पुलिस, वैश्विक पटल पर अपनी अलग पहचान बना सकते हैं। साथ ही साथ भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।

भारतीय पर्यटनः- भारत में पर्यटन उद्योग एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। विश्व पर्यटन संगठन के अनुसार भारत विश्व के शीर्ष पर्यटक देशों में से एक है। विश्व पर्यटन संगठन द्वारा जारी कुछ आंकड़ों के अनुसार भारत पर्यटन की दृष्टि से विश्व के शीर्ष देशों में शुमार है। आइये इन आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

- विश्व पर्यटन संगठन के अनुसार, वर्ष 2019 में भारत में 10.9 मिलियन पर्यटक भारत भ्रमण पर आये जो कि विश्व में 10 वें स्थान पर है।
- भारत का पर्यटन उद्योग विश्व के कुल पर्यटन राजस्व में 1.6 % का योगदान करता है।
- भारत में पर्यटन उद्योग 9% से अधिक की वार्षिक वृद्धि दर के साथ विश्व में सबसे तेजी से बढते पर्यटन उद्योगों में से एक है।
- भारत के प्रमुख पर्यटन राज्यों में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, मध्यप्रदेश, जम्मू और कश्मीर आदि शामिल हैं।
- भारत में पर्यटन उद्योग 40 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है।

विश्व पर्यटन संगठन के अनुसार, भारत का पर्यटन उद्योग विश्व में निम्नलिखित स्थान रखता है।

- विश्व के शीर्ष 10 पर्यटन देशों में से एक
- विश्व के शीर्ष 05 सांस्कृतिक पर्यटन देशों में से एक
- विश्व के शीर्ष 10 प्राकृतिक पर्यटन देशों से में से एक
- विश्व के शीर्ष 05 ऐतिहासिक पर्यटन देशों में से एक
- विश्व में भारतीय चिकित्सा पर्यटन न केवल स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक अच्छा विकल्प है, बल्कि यह आर्थिक विकास

और सांस्कृतिक आदान-प्रदान का भी माध्यम है। इसके विकास के लिए सरकार और निजी क्षेत्र दोनों को मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है ताकि यह क्षेत्र और अधिक मजबूत हो सके।

इन आंकड़ों से पता चलता है कि भारत का पर्यटन उद्योग विश्व में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और देश की अर्थव्यवस्था में भारी योगदान करता है।

उपरोक्त आँकड़ें और पर्यटन से संबंधित जानकारी से हमने भारतीय पर्यटन को समझने का प्रयास किया है अब हम वापस अपने मूल आशय पर आते हैं। पर्यटन में पुलिस की भूमिका क्या हो सकती है ? मेरे अनुभव के अनुसार जब भी कोई पर्यटक किसी भी पर्यटन स्थल पर जाता है, तो वह सबसे पहले अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर आश्वस्त होना चाहता है। उसे सुरक्षा मुहैया कराने का जिम्मा उस राज्य,शहर और देश की पुलिस का होता है। पुलिस वह हर कार्य बहुत ही सहजता से कर सकती है, जिनकी पर्यटकों को जरूरत होती है। अब बात करते हैं कि आम तौर पर पर्यटकों को पर्यटन भ्रमण के दौरान किस तरह की समस्यायें आती हैं, पुलिस उन समस्याओं का निस्तारण कैसे करती है।

पर्यटक को अपने पर्यटन भ्रमण के दौरान आम तौर पर आने वाली समस्यायें।

- रास्ता भटक जाना।
- पर्यटन स्थल सम्बन्धी सही जानकारी न होना।
- पर्यटन स्थल के नजदीक रुकने के लिये होटल की जानकारी न होना।
- पर्यटन स्थलों पर लपकाओं (समान बेचने वाले,दुकान से सामान खरीदने के लिये दबाव बनाने वाले आदि) द्वारा परेशान करना।
- रेलवे स्टेशन पर ऑटो/कैब चालकों द्वारा परेशान करना एवं जानकारी के अभाव में अधिक पैसे वसूलना।
- पर्यटन स्थलों पर दुकानदारों द्वारा पर्यटक से किसी सामान के उसकी कीमत से अधिक पैसे वसूलना।
- पर्यटक का पासपोर्ट गुम हो जाना।
- पर्यटक का उसके समूह से बिछड़ जाना।
- चिकित्सीय आवश्यकता के समय अस्पताल के सम्बन्ध में सही जानकारी न होना।
- पर्यटन स्थल पर भ्रमण के दौरान किसी पर्यटक की मृत्यु हो जाना।

उपरोक्त समस्याएं पर्यटकों को आमतौर पर आती हैं। इन समस्याओं के निस्तारण में पुलिस की जो भूमिका होती है वह निम्नलिखित है-

- **रास्ता भटक जानाः** रास्ता भटकना एक आम बात है लेकिन ज्यादातर ये समस्या महिलाओं और बच्चों के साथ होती है। महिला व बच्चे दोनों ही व्यावहारिक तौर पर संवेदनशील होते हैं। फिर भी यह बड़ी समस्या तब तक नहीं है जब तक उन्हें कोई सही रास्ता बताने वाला न मिले। लेकिन जब रास्ता बताने वाला व्यक्ति मिल जाये और वह विश्वास पात्र न हो तो समस्या और भी गम्भीर हो जाती है। ऐसी स्थिति में अगर पुलिस यथा सम्भव मदद करती है, तो पर्यटक के मन में पुलिस की अच्छी छवि बनती है।
- **पर्यटक स्थल संबंधी सही जानकारी न होनाः** ज्यादातर पर्यटकों के साथ ये समस्या आती है कि उन्हें पर्यटन स्थल के बारे में सही जानकारी न होने के कारण वो जहाँ पहुँचना चाहते हैं, वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं। ऐसे में अगर पुलिस सही जानकारी दे कर उनकी मदद कर सकती है तो पुलिस की छवि पर्यटकों के मानसिक पटल पर अच्छी बनेगी।
- **पर्यटक स्थल के करीब होटल संबंधी सही जानकारी न होनाः** पर्यटकों को होटल की सही जानकारी न होने के कारण किसी से भी मदद माँगनी पड़ती है ऐसी स्थिति में अगर पुलिस द्वारा सही जानकारी दी जाये तो पर्यटक का पुलिस पर भरोसा बढेगा और पुलिस की एक बेहतर छवि बनेगी।
- **पर्यटक स्थलों पर लपकाओं द्वारा परेशान करनाः** जिन लपकाओं (हॉकर,रोड गाइड,ड्रॉपर,कनवेन्सर आदि) का जिक्र हो रहा है, ये भारत के प्रत्येक पर्यटन स्थल पर होते हैं। जो पर्यटकों को अपने फायदे के लिये गुमराह करते हैं, कई बार तो 50/- रुपये की वस्तु को 500/- से 1000/- रुपये तक बेचते हैं। ऐसी स्थिति में पुलिस उन्हें सही जानकारी देकर ठगी से बचाती है, तो वह पर्यटन पुलिस व पर्यटन व्यवस्थाओं से खुश होता है, और पुलिस की अच्छी छवि के साथ जाता है।

- **रेलवे स्टेशन पर ऑटो/कैब चालकों द्वारा परेशान किया जाना और अधिक पैसे वसूलनाः** जब पर्यटक किसी भी रेलवे स्टेशन पर पहुँचता है तब रेलवे स्टेशन से जैसे ही बाहर आते हैं तो, बहुत सारे ऑटो/कैब चालक घेर कर अपने-अपने वाहन में बिठाने हेतु खींचतान करने लगते हैं। जिससे पर्यटक परेशान हो जाता है। कई बार तो यहाँ तक होता है कि पर्यटक बिना घूमे वापस चले जाते हैं। इसके अलावा जानकारी के अभाव में जहाँ किराया रू.20/- होता है उनसे रू. 50-100/- तक वसूले जाते हैं। ऐसे में अगर पुलिस वहाँ मौजूद रहे या ऑटो/कैब चालकों के निर्धारित किराया सूची चस्पा कराये तो उन पर्यटकों की मदद करके एवं सही जानकारी देकर उन्हें उनके गंतव्य तक पहुँचने में मदद करे तो पुलिस की साफ और स्वच्छ छवि बनती है।
- **पर्यटक स्थलों पर दुकानदारों द्वारा पर्यटकों से किसी सामान के उस सामान की कीमत से अधिक पैसे वसूलनाः**पर्यटक स्थलों पर लपकाओं के सम्बन्ध में पहले ही स्पष्ट कर चुका हूँ, चूँकि पर्यटक स्थल के करीब की दुकानों पर अधिक बिक्री की होड़ रहती है। इसलिये दुकान पर अधिक पर्यटक लाने के लिये उनका सहारा लिया जाता है। और उनको इस एवज में एक निर्धारित कमीशन दिया जाता है, जिससे पर्यटकों को आर्थिक हानि पहुँचती है ऐसे में अगर पुलिस समय से पर्यटकों को सही जानकारी देकर उनको ठगी से बचा सके तो पुलिस की छवि साफ सुथरी बनेगी।
- **पर्यटक का पासपोर्ट गुम हो जानाः-** पर्यटक का पासपोर्ट गुम हो जाना एक बडी समस्या है, चूँकि पासपोर्ट को ट्रैस करने की कोई सुविधा नहीं है। ऐसी स्थिति में पासपोर्ट को ढूंढना आसान नहीं है। पर्यटक यदि महिला है तो बहुत परेशान होती है उन्हें ऐसा लगता है कि पासपोर्ट खो जाने पर उनके देश वापस कैसे जाया जायेगा। यदि कोई पर्यटक को ढांढस बंधाने के बजाय ये कहे कि पासपोर्ट खोना बहुत बड़ी समस्या है तो उसका दिल बैठ सा जाता है। चूँकि समस्या तो बड़ी है लेकिन समस्या का हल भी है। ऐसे में पुलिस उसे ढांढस बंधाये और उसकी समस्या को संबन्धित दूतावास तक पहुँचाकर उसकी समस्या से अवगत करा दे, तो वह पर्यटक कभी भी उस पुलिस कर्मी को नहीं भूल पायेगा, और उसके लिये हमेशा कृतज्ञ रहेगा और पुलिस की एक अच्छी छवि लेकर जायेगा।
- **किसी भी पर्यटक का अपने समूह से बिछड़ जानाः** किसी भी पर्यटक स्थल पर ये भी आम बात है। खासकर आगरा ताजमहल पर्टयटन स्थल पर क्योंकि ताजमहल की जो बनावट है, वो चारों तरफ से एक जैसी है। इसलिये अक्सर लोग भटक जाते हैं। ऐसी स्थिति में महिलायें और बच्चे अधिक परेशान हो जाते हैं। और ऐसे समय में उन्हें पुलिस आश्वस्त करें कि आप परेशान न हों, आप अपने ग्रुप से मिल जायेंगे, यहाँ कोई आज तक खोया नहीं है, सभी मिल जाते हैं। पुलिस उनको उनके ग्रुप से मिलाने में मदद करती है, तो पर्यटक हमेशा पुलिस का शुक्रगुजार रहेगा एवं अच्छे विचार रखेगा।
- **चिकित्सीय आवश्यकता के समय अस्पताल के सम्बन्ध में सही जानकारीः** पर्यटकों के लिये ये भी एक गम्भीर समस्या है। कोई पर्यटक या उसके समूह का सदस्य किसी भी तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्या से परेशान होता है वो पर्यटक शहर में नया होने के कारण उस शहर के बारे में अधिक जानकारी नहीं होती है। ऐसे में पुलिस उसे सही अस्पताल के बारे जानकारी दे दें और उसे उपचार मिल जाये तो भी पर्यटक पुलिस के आचरण का कायल रहेगा और हमेशा पुलिस की प्रशंसा में कुछ न कुछ कहता रहेगा।
- **पर्यटन स्थल के भ्रमण के दौरान दल के किसी सदस्य की मृत्यु हो जानाः** ये समस्या ऐसी समस्या है कि कोई भी व्यक्ति सामान्य तौर पर अपने घर पर हो और ऐसा कुछ हो जाये तो इंसान वैसे ही टूट जाता है। उस पर भी वो अपने घर से बहुत दूर हो या अपने देश से बाहर दूसरे देश में हो, तो महसूस करने की बात है ऐसे में व्यक्ति कितना शून्य हो जाता है। उसे पता ही नहीं होता कि हुआ क्या और अब वो क्या करे? खासकर तब जब पर्यटक किसी अन्य देश का हो ऐसे में जो पुलिस करती है वो उसके जीवन का वो ऐसा पल होता है जिसे वो कभी भूल नहीं सकता। ऐसे कठिन समय में पुलिस के द्वारा उसकी मदद करना उसके मन के भावों को एकदम पलट कर रख देगी और उसके मन में पुलिस की सकारात्मक छवि हमेशा के लिये बन जायेगी।

उपरोक्त समस्यायें अक्सर पर्यटकों के साथ आती हैं। और साथ ही साथ ये भी है कि पुलिस इसमें मदद करे तो पर्यटक को अपने भ्रमण के दौरान काफी सहुलियत हो सकती है। लेकिन असल मुद्दा तो ये है कि क्या जिस सहजता से लिखा, उतनी ही सहजता के साथ पुलिस मदद कर पायेगी। जिस तरह की

पुलिस की व्यस्तता है, उससे तो ऐसा लगता है कि ऐसा कभी भी सम्भव हो ही नहीं सकता। क्योंकि नागरिक पुलिस के पास काम बहुत है। फिर भी आमजन की ये धारणा बन चुकी है, कि पुलिस काम नहीं करती या किसी भी घटना स्थल पर समय से जानबूझ कर नहीं पहुँचती और सच भी यही है कि पुलिस समय से नहीं पहुँचती, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है इसे किसी ने आमजन तक न पहुँचाया न किसी ने जानने का प्रयास किया। आम जनमानस में ये धारणा बन गयी कि पुलिस जानबूझकर कर समय से नहीं पहुँचती है। जब आम जनमानस में ये धारणा होगी तो हम कल्पना भी कैसे कर सकते हैं कि हम पर्यटकों को ऐसी व्यवस्था दे पायें कि पर्यटकों को हमारे यहाँ कोई परेशानी न हो और वह खुद को सुरक्षित महसूस करें। क्योंकि पर्यटकों की समस्या ज्यादातर पर्यटक स्थल पर होगीं और हमारी पुलिस अपने थाना क्षेत्र में कानून व्यवस्था को ठीक करने में लगी होगी। या अन्य ड्यूटियों में व्यस्त होगी। जैसे मुल्जिम ड्यूटी, सीएम ड्यूटी, गश्त, पिकेट आदि। इन सबके बाद भी यदि पर्यटकों को सुविधा दी जाती है, तो इसके लिये पुलिस को अपनी कार्यप्रणाली बदलनी पड़ेगी। या ये कहा जाये कि इसके लिये अलग से व्यवस्था करनी होगी। वह व्यवस्था है थाना पर्यटन की जो कि आगरा में वर्ष 2007 में स्थापित होकर चलन में आया। इस थाने को कहीं पर्यटन थाना लिखा गया है और कहीं पर्यटक, बहरहाल जो भी हो यह एक अलग विषय है। नाम जो भी हो लेकिन कार्य वही है, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। पर्यटन थाना बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, जो कि ताजमहल से 2.5 कि0मी0 दूर फतेहाबाद रोड पर शांति माँगलिक अस्पताल के पीछे है। इस थाने का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण आगरा था। लेकिन धीरे-धीरे यह संपूर्ण उत्तर प्रदेश के मामले देखने लगा। आगरा एक बडा पर्यटक स्थल है जहाँ देश-विदेश से प्रतिदिन हजारों की संख्या में पर्यटक आते हैं।

पर्यटकों की सुरक्षा व्यवस्था हेतु इस थाने से सभी पर्यटक स्थलों पर ड्यूटियाँ लगाई जाती हैं। जैसे-ताजमहल,आगरा किला,एत्माउद्धौला, मेहताब बाग, सिकन्दरा और फतेहपुर सीकरी आदि हैं। अब बड़ी बात ये है कि आगरा में ताजमहल के अलावा सभी पर्यटक स्थलों की दूरी अधिक है। अगर बात करें फतेहपुर सीकरी की तो थाना पर्यटन से लगभग 50 कि0मी0 दूर है। सवाल ये है, कि इतनी दूर तक पुलिस ड्यूटी करने कैसे जायेगी? तो मैं बता दूं कि वर्ष 2013-14 में पर्यटन थाने पर 08 इण्डिगो कार, 02 स्कॉर्पियो कार, 02 स्विफ्ट कार, 01 वरना कार, 04 अपाचे मोटरसाइकिल और 02 सीबीआर मोटर साइकिल मिलीं, जिससे लोगों को पुलिस अब हाईटैक पुलिस नजर आने लगी थी (एक बात और बताता चलूँ कि भारतीय पर्यटन मजबूत होगा तो भारतीय पुलिस भी हाईटैक होगी ऊपर जिन कार और मोटर साइकिल का मैंने जिक्र किया है वह पथकर निधि के पैसे से खरीदी गयी थीं जो कि शायद आर्केलॉजीकल सर्वे ऑफ इण्डिया द्वारा उपलब्ध करायी गयी थीं)। जब पर्यटन पुलिस इन गाडियों से अपने-अपने ड्यूटी स्थानों पर जाती तो पर्यटकों के अलावा आम नागरिकों में पुलिस की एक अलग छवि बनी और खासकर पर्यटन पुलिस के प्रति लोगों की सोच में अन्तर आया है। चूँकि पर्यटन पुलिस का काम भी सिर्फ बात करने का ही था फिर चाहे वो पर्यटकों से बात करके उनकी समस्या का समाधान हो या फिर आमजन के साथ बात कर अपने पुलिस के व्यवहार को लेकर आम जन-मानस में जो भ्रांतियाँ थीं उन्हें दूर करने का प्रयास हो। कुछ समय बाद नतीजा ये हुआ कि पर्यटक स्थलों के नजदीक के चाहे वो दुकानदार, ऑटो चालक या,फोटोग्राफर हों अथवा कोई अन्य, सभी ने पुलिस का छोटे-छोटे कामों में सहयोग करना शुरु कर दिया। जिससे पुलिस पर्यटकों को जल्दी मदद पहुँचाने लगी। पर्यटक, पर्यटन पुलिस पर भरोसा करने लगे, जिस पर्यटक की पुलिस मदद करती वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पुलिस को लेकर कुछ अच्छा अपलोड करने लगे। धीरे-धीरे सभी को जानकारी होने लगी और पर्यटक किसी भी तरह की समस्या के लिये पर्यटन पुलिस के पास आने लगे। और पुलिस भी अपनी पूरी क्षमता के साथ पर्यटकों की मदद करने में लगी रहती, समय-समय पर पर्यटन पुलिस के कामों को अखबार और न्यूज चैनलों के माध्यम से प्रकाशित किया जाने लगा। जिससे पर्यटन पुलिस के कार्य आम जनता और पर्यटकों के बीच पहुँचने लगे जिससे आमजन और पर्यटकों में पुलिस का विश्वास बढने लगा जिसके चलते पर्यटकों के साथ-साथ आम लोग भी पर्यटन पुलिस के साथ सीधा संवाद करने लगे। पुलिस को भी लोगों की समस्याओं का समाधान करने में आसानी होने लगी ।

मैंने ऊपर कई समस्याओं का जिक्र किया है उन समस्याओं

के समाधान पर भी बात करते हैं जैसा कि मैंने बिंदुवार समस्याओं पर बात रखी अब उनके समाधान किस तरह सम्भव है उस पर भी बिन्दुवार बात करेंगे।

- **रास्ता भटक जाना:-** ये पर्यटकों के साथ एक आम समस्या है और इसका समाधान भी बहुत आसान है पर्यटन स्थलों पर थाना पर्यटन पुलिस की ड्यूटी लगती है, जो अपने ड्यूटी समय में पर्यटन स्थल पर ही मौजूद रहते हैं। जिससे इस तरह की समस्या का समाधान शीघ्र हो जाता है।
- **पर्यटन स्थल सम्बन्धी सही जानकारी न होना:-** पर्यटन स्थल पर पर्यटन पुलिस होती है। किसी भी पर्यटक को कोई जानकारी लेनी होती है, उसे आसानी से जानकारी प्राप्त हो जाती है।
- **पर्यटन स्थल के आस-पास होटल सम्बन्धी सही जानकारी का न होना:-** पर्यटक सामान्यतः होटल पहले से बुक करके नहीं आते हैं। उनकी सोच होती है जरूरत होगी तो बुक कर लेंगे, परन्तु जानकारी न होने के कारण लपकाओं के माध्यम से होटल लेते हैं। जिससे आर्थिक नुकसान के साथ-साथ शहर की छवि भी खराब होती है। इसके लिये भी पर्यटन पुलिस प्रत्येक पर्यटन स्थल पर मौजूद रहती है,जो कि होटल सम्बन्धी सही जानकारी देकर उनको आर्थिक लाभ के साथ सुरक्षित जगह रुकने में मदद करती है।
- **पर्यटन स्थलों पर लपकाओं द्वारा परेशान करना:-** पर्यटन स्थलों पर पर्यटन पुलिस की ड्यूटी रहती है, जिससे लपका, पर्यटकों के पास आने से कतराते हैं। उन्हें ये भी डर रहता है, कि किसी पर्यटक ने पुलिस से शिकायत कर दी तो कार्यवाही हो जायेगी। इस डर से भी पर्यटकों से दूरी बनाते हैं। कई मामलों में लपकाओं पर पर्यटन पुलिस द्वारा मुकद्दमा पंजीकृत कर तत्काल कार्यवाही की जाती है, जिसके डर से वो पर्यटकों से दूरी बनाने लगे हैं, ऐसा नहीं है कि 100% घटनायें रुक गयी हों। मगर ये जरूर है कि 90% घटनाओं में कमी आई है, जो कि सुरक्षा की दृष्टि से बेहतर आँकड़े हैं।
- **रेलवे स्टेशन पर ऑटो चालकों द्वारा परेशान किया जाना और जानकारी के अभाव में अधिक पैसे वसूलना:-** पर्यटकों के साथ रेलवे स्टेशन पर भी अपने ऑटो में बिठाये जाने को लेकर खीचतान होती है, इस समस्या को ध्यान में रखते हुये पर्यटन पुलिस द्वारा आगरा कैण्ट रेलवे स्टेशन पर पर्यटन पुलिस की ड्यूटी लगाना शुरु किया, तो कुछ दिन पुलिस को भी परेशानी हुई लेकिन लगातार एक ही स्थान पर ड्यूटी रहने के कारण धीरे धीरे सुधार हुये और समस्या लगभग खत्म हो गई।
- **पर्यटक स्थलों पर दुकानदारों द्वारा पर्यटकों से किसी सामान के उस सामान की कीमत से अधिक पैसे वसूलना:-** पर्यटन स्थलों पर दुकानदारों द्वारा (जिसमें शोरूम के मालिक भी शामिल है)के द्वारा लपका द्वारा लाये पर्यटक को कीमत से अधिक रुपये में सामान बेचा जाता है। पर्यटक द्वारा ऐसी घटना के सम्बन्ध में शिकायत करने पर पर्यटन पुलिस द्वारा लपका और दुकानदार दोनों पर ही मुकद्दमा पंजीकृत कर कार्यवाही की गयीं जिससे ऐसी घटनाओं पर भी अंकुश लगा।
- **पर्यटक का पासपोर्ट गुम हो जाना:-** ऐसा भी कई बार होता है लेकिन अधिकतर पासपोर्ट पर्यटन पुलिस की मदद से मिल ही जाते हैं। लेकिन पासपोर्ट से सम्बन्धित किस्सा मेरे साथ घटित हुआ। उसकी चर्चा अवश्य करना चाहूँगा, 03 ताइवानी महिला पर्यटक आगरा भ्रमण पर थी, मेरी ड्यूटी ताजमहल के पूर्वी गेट पर थी, मुझे सूचना मिली कि होटल भूमि रेजीडेन्सी पर किसी पर्यटक के साथ कोई समस्या है। मैं तुरन्त होटल पहुँचा, तो पता चला कि उनमें से एक महिला का पासपोर्ट गुम हो गया है। जिसका नाम SHIRLEY LIN था। और उनका कहना था कि मेरा पासपोर्ट लॉबी तक मेरे पास ही था। होटल स्टॉफ ने बताया "सर सभी जगह कैमरे लगे हैं। यहाँ पासपोर्ट किसी भी कैमरे में दिखाई नहीं दे रहा है। मैं उनको समझाते हुये बोला कि पासपोर्ट मिल जायेगा। आपकी पूरी सहायता की जायेगी। मैं उन्हें अपनी गाड़ी से वहाँ-वहाँ लेकर गया जहाँ-जहाँ वो गये थे, काफी प्रयास किया लेकिन पासपोर्ट नहीं मिला उसके बाद महिला और भी ज्यादा परेशान हो गयी और रोने लगी। मैंने अपने एस0ओ0 सर को अवगत कराया तो सर ने कहा इन्हें थाने ले जाओ और थोडी देर ढांढस बंधाओ तब तक मैं आता हूँ। मैं उन्हें थाने लेकर गया और पानी पिलाया। उसके बाद मैंने उनसे पूछा, कि आपने अपना सारा सामान चैक कर लिया ? तो जबाव दिया हाँ, मैंने फिर भी बोला एक बार चैक कर लो साथ में मैंने भी चैक कराया, तो उनके पर्स की अन्दर वाली जेब में पासपोर्ट था। जबकि वो कन्फर्म थी कि इसमें नहीं है। जब

मैंने बोला कि एक बार चैक करने में क्या जा रहा है तो पासपोर्ट मिल गया तीनों बहुत खुश हुई। उसके बाद सर ने उन्हें खाना खिलाया। वो तीनों आज भी आगरा पुलिस का धन्यवाद करती हैं। उसके बाद वो 2 बार भारत आयीं है। और दोंनों बार मुझसे मिलने को आग्रह किया, और मिलके भी गयीं। आज उनके मन में आगरा पर्यटन पुलिस की छवि दुनिया की सबसे अच्छी पुलिस के रूप में है।

- **किसी भी पर्यटक का अपने समूह से बिछड़ जाना:-** पर्यटक स्थलों पर ये आम समस्या है। इससे सम्बन्धित भी एक घटना है। जिसका जिक्र करना बेहद जरूरी है।मैं ताजमहल पश्चिमी गेट पर ड्यूटी पर था।तो मैंने देखा एक महिला जिसकी उम्र लगभग 55 वर्ष की रही होगी, पसीने में लथपथ एक दम बदहवास हालत में लगातार रोये जा रही है। शायद वह फ्रांस की थी। जिसकी अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन इतने दिन का अनुभव काम आया और समस्या समझ में आयी की वो अपने ग्रुप से बिछड़ गयी है। चूँकि ताजमहल के सभी दरवाजे देखने में एक जैसे प्रतीत होते हैं इसलिये उसकी अपने साथियों को खोजने की कोशिश नाकाम रही। मैंने समझाया कि मिल जायेंगे मैं आपकी मदद करता हूँ। मैंने उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाया और ढूँढ़ने के लिये निकला। लेकिन 10 से 15 मिनट हो गये और उसके ग्रुप के लोग नहीं मिले। आम तौर पर ऐसा नहीं होता था, लोग मिल ही जाते थे। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ तो मेरी भी चिंतायें बढ गयीं और आश्चर्य की बात तो यह है कि उन्होंने मेरे चहरे की चिंतायें भी पढ ली, और जोर-जोर से रोने लगी। और उन्होंने मुझे बताया कि आज रात को फ्लाइट है। हमें जल्दी निकलना था इसलिये वो लोग निकल गये होंगे और मेरा पासपोर्ट भी गाड़ी में है। मैंने गाड़ी पूर्वी गेट पार्किंग की तरफ दौड़ा दी कुछ ही देर में मैं पूर्वी पार्किंग पहुँच गया। मैंने देखा कि उसका पूरा ग्रुप मायूसी के साथ ही सही लेकिन दिल्ली निकलने के लिये तैयार खड़ा था। उन्होंने टूर गाइड को जिम्मेदारी दी कि आप ढूँढ कर लाओ। महिला अपने ग्रुप को देखकर स्तब्ध थी और मुझे कुछ बोल भी नहीं पायी लेकिन भावुक होकर मुझे प्यार किया और भीगी आँखों के साथ सहमते हुये कुछ पैसे मेरी ओर बढ़ाए उनको मेरा जवाब था कि ये मेरा कर्तव्य था, उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से एक प्रयास था कृपया इसे रुपयों से न तोलिए। उसके बाद उन्होंने भारतीयों की तरह हाथ जोडकर पुलिस को शुक्रिया किया और दिल्ली के लिये रवाना हो गये। और मैं भी उस बात को भूल गया उस समय जल्दी में था, इसलिये फीडवैक बुक में भी कुछ लिखवा न सका लगभग 7 से 8 दिन बाद आगरा के तत्कालीन SSP सर ने मुझे बुलवाया और कहा, आपने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है, वहाँ पता चला कि फ्रांस सरकार की तरफ से एक पत्र आया है जिसमें आगरा पुलिस को विश्व की सबसे बेहतर पुलिस में से एक कहा है। इस पर खुश होकर SSP साहब द्वारा रु.-5000/- का नगद पुरुस्कार दिया गया जो कि मेरे साथ-साथ ड्यूटी पर लगे अन्य 02 साथियों में बराबर बाँटा गया और वह पुलिस चरित्र पंजिका में भी अंकित है।

- **चिकित्सीय आवश्यकता के समय हॉस्पिटल के सम्बन्ध में सही जानकारी:-** पर्यटकों के साथ चिकित्सीय समस्या आना भी आम बात है ऐसी स्थिति में पर्यटन पुलिस की प्रत्येक पर्यटक स्थल पर उपस्थिति उनकी परेशानी को आसान कर देती है और नजदीकी अच्छे अस्पताल की जानकारी साझा कर जल्द से जल्द चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने में मदद करती है। कई बार ऐसा भी होता है कि पर्यटक के साथ कोई अन्य साथी न होने की स्थिति में पर्यटन पुलिस को ही पर्यटक का आवश्यक इलाज कराकर मदद करनी पड़ती है।

- ऐसी ही एक घटना घटित हुई। एक विदेशी पर्यटक को इस्कॉन मन्दिर मथुरा में पैरालाइसिस अटैक पड़ा। किसी ने मथुरा के किसी निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया चूँकि पर्यटक के साथ कोई नहीं था। तो प्राइवेट अस्पताल वालों ने एस0एन0 मैडीकल कॉलेज आगरा रैफर कर दिया। जैसे ही आगरा लाया गया तो पर्यटन पुलिस से सम्पर्क किया गया। पर्यटन पुलिस उसकी देखरेख में 2 दिन रही और 02 दिन बाद एस0एन0 से दिल्ली एम्स रैफर कर दिया गया। अब पर्यटक अकेला है तो कोई तो उसके साथ होना चाहिये चूंकि पर्यटक है तो उसके लिये भी पर्यटन पुलिस को ही जिम्मेदारी उठानी पड़ी। उसके साथ भी मैं स्वंय 15 दिन तक एम्स दिल्ली में रहा। 15 दिन बाद उसके परिवारजन आये तब मैं वहां से फ्री हुआ। जिसने भी इस घटना के बारे में सुना सभी ने पुलिस की प्रशंसा की, जो कि पर्यटन पुलिस और भारतीय पर्यटन के लिये एक अच्छा संदेश था।

- **पर्यटन स्थल भ्रमण के दौरान दल के किसी सदस्य की मृत्यु हो जानाः** किसी भी पर्यटक के साथ इस तरह की घटना सबसे पीड़ादायी और परेशान करने वाली होती है। इसमें भी पर्यटन पुलिस की अहम भूमिका होती है। पर्यटन थाने में मेरी तैनाती के दौरान इस तरह की कई घटनायें हुयी, जिसमें से मैं एक घटना का जिक्र अवश्य करूंगा। मैं ताजमहल के पश्चिमी गेट पर ड्यूटी पर था। और मुझे सूचना मिली कि होटल माया पैलेस में दो पर्यटक रुके हैं, जिन्हें सुबह बनारस जाना था। लेकिन वो जागे नहीं है। न ही कोई आवाज पर जवाब दे रहे हैं। मैं शीघ्र ही होटल माया पैलेस होटल पहुँचा और उनके बारे में जानकरी की। मुझे उनका रूम बताया गया और मैं उस रूम के पास पहुँचा तो मैंने आवाज देकर बुलाने की कोशिश की पर कोई जबाब नहीं आया। तब मैंने गेट को धकेला तो पाया कि गेट पहले से ही खुला हुआ था। और मैंने देखा कि लड़का मुँह के बल बैड पर लेटा हुआ है, और लड़की बैड के सिरहाने की तरफ एक किनारे पर बैठी हुई है। मैंने अपने एसओ सर को बताया सर ये स्थिति है। सर ने बोला उसे उठाओ और जैसे ही मैंने लड़के का स्वैटर पकड कर उठाने की कोशिश की तो पाया कि लड़का अकड़ चुका है। और उसके मुँह से झाग के साथ खून भी आ रहा है। मैंने एसओ सर को बताया सर लड़का मर चुका है। मैंने बताया लड़की बैठी है। लेकिन कोई हरकत नहीं कर रही सर ने मुझे कहा उसे जल्दी से देखो और अस्पताल लेकर चलो, मैं पहुँचता हूँ। मैंने जैसे ही लड़की को उसका कंधा पकडकर हिलाने की कोशिश की तो पता चला कि वो बैठे बैठे ही मर चुकी थी। मैंने सर को बताया सर लड़की भी मर चुकी है सर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा अभी तो तुमने बताया कि लड़की बैठी है। मैंने सर को अवगत कराया सर लड़की बैठे-बैठे ही मर चुकी है। उसके बाद मैं उनके पोस्टमार्टम कराने में साथ रहा, एसओ सर के द्वारा एम्बेसी सम्पर्क किया गया सारी जानकारी दी गयी एम्बेसी से जवाब मिला उसके परिवार जनों से सम्पर्क करने की कोशिश की जा रही है। और उसके परिजनों से सम्पर्क करने में एम्बेसी को 2 दिन का समय लगा तब तक मेरी और मेरी एक साथी की ड्यूटी मोर्चरी पर ही रही। परिजनों से सम्पर्क के बाद पता चला कि उनके परिजनों ने कहा है कि इनकी बॉडी भेज दी जायें भेजने का खर्चा हम वहन करेंगे। उसके बाद उनकी बॉडी के लिये एक कम्पनी को टैण्डर दिया गया। उस पूरी प्रक्रिया में 01 दिन का समय और लगा। इन 03 दिनों तक अखबार और न्यूज चैनलों पर लगातर खबर चलती रही। उस घटना को जिसने भी सुना देश में या फिर विदेश में पर्यटन पुलिस की सभी ने प्रशंसा की यह काम सभी कर सकते थे लेकिन पर्यटन पुलिस ने इसे बहुत ही ईमानदारी और लगन से किया क्योंकि पर्यटन पुलिस में जाने के बाद मन में ये भाव रहता था कि हमारे देश और पुलिस दोनों की ही प्रतिष्ठा का सवाल है इसलिये पर्यटकों से सम्बन्धी समस्याओं का निस्तारण पहुत ही लगन और तत्परता के साथ किया जाता है।

उपरोक्त समस्याओं का जिक्र किया गया और पुलिस के द्वारा उनका हल कैसे किया जाता है इस पर भी चर्चा की। मेरी पर्यटन थाने पर तैनाती के दौरान ही खजुराहो में पर्यटन पुलिस थाना की माँग उठी। और वहाँ की सरकार ने उसे मंजूरी भी दी जिसमें पर्यटन थाना आगरा से कई बार पत्राचार हुआ। कई बार वहाँ की टीम हमारे थाने पर हमारी कार्य प्रणाली देखने के लिये आई। और वहाँ अब थाना पर्यटन है जो कि उसी प्रणाली पर कार्य भी कर ऱहा है। इस पूरे लेख में मैंने एक बात स्पष्ट करने की कोशिश की है, कि अगर सम्पूर्ण भारत में कोई भी पर्यटन स्थल है, जहाँ पर्यटकों का आना जाना है, तो वहाँ निश्चित तौर पर थाना पर्यटन बनाकर पर्यटन स्थलों की जिम्मेदारी उसे दे देनी चाहिये। पर्यटन पुलिस भारतीय पर्यटन को मजबूत करने के साथ-साथ पुलिस की छवि आम जनमानस और पर्यटकों में बेहतर बनाकर देश विदेश के पर्यटकों को ये भरोसा दिला सकती है, कि आप आइये भारत भ्रमण कीजिये भारतीय पुलिस आपकी सुरक्षा में सदैव तत्पर है।

****

नए आपराधिक कानूनों में सफल प्रकरण

नए आपराधिक कानून, 2023

दिनांक 01 जुलाई 2024 से भारत में नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता 2023 (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 (बीएसए) लागू हुए जिन्होंने पुराने कानून भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ले ली है। नए कानून 'नागरिक पहले-न्याय पहले-गरिमा पहले' के सिद्धांतों पर आधारित हैं। इन्हें दंड नहीं, न्याय केंद्रित बनाया गया है जिनमें महिलाओं और बच्चों पर विशेष ध्यान दिया गया है। नए कानूनों ने ट्रायल को सरल बनाया है तथा प्रक्रियाओं को त्वरित और सुविधाजनक बनाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग के साथ समय सीमा निर्धारित की है। इनके लागू होने से नागरिकों में समय पर न्याय मिलने की आशा प्रबल हुई है।

अब सभी आपराधिक मामलों को नए आपराधिक कानूनों के तहत दर्ज किया जा रहा है, उनकी जांच की जा रही है और उसके बाद उन पर मुकदमा चलाया जा रहा है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने क्रिमिनल प्रक्रिया के हर चरण के लिए संरचित फ्रेमवर्क बनाते हुए एक संपूर्ण समय-सीमा प्रस्तुत की है। नए कानूनों में वैज्ञानिक साक्ष्य संग्रह के साथ-साथ फोरेंसिक प्रयोगशाला जांच को भी विशेष महत्व दिया गया है, जिसे 07 साल से अधिक की सजा वाले मामलों में अनिवार्य कर दिया गया है।

नए आपराधिक कानूनों के तहत अच्छी प्रथाओं को उजागर करती हुई निम्नलिखित केस स्टडी बताती है कि किस प्रकार नए कानूनों के अंतर्गत दर्ज किए गए मामलों में पुलिस और न्यायालय द्वारा कार्यवाही की गई और पीड़ितों को शीघ्र न्याय प्राप्त हुआ।

भारतीय न्याय संहिता- 2023 के तहत भारत का पहला हत्या दोषसिद्धि मामला, रसूलपुर गांव, जिला- सारण, बिहार

1. नए कानूनों के लागू होने के 17वें दिन सारण पुलिस को 16-17 जुलाई 2024 की रात्रि में रसूलपुर थाना के धनाडीह गांव में एक जघन्य हत्याकांड की सूचना मिली। तीन व्यक्तियों (पिता और उनकी दो नाबालिग बेटियों) की धारदार हथियार से बेरहमी से हत्या कर दी गई।
2. पुलिस द्वारा दिनांक 17 जुलाई 24 को बीएनएस की धारा-103(1)/109(1)/ 329(4)/3(5) के तहत एफआईआर दर्ज की गई।
3. सारण पुलिस ने एक घंटे के भीतर ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अपराध के दौरान इस्तेमाल किए गए चाकू, खून से सने कपड़े तथा मोबाइल फोन बरामद किए गए।
4. यह बहुत महत्वपूर्ण था कि सभी कार्यवाही एक निश्चित समय सीमा के भीतर पूरी की गई, जिसमें घटना के 14 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल किया गया।
5. बीएनएसएस की धारा 258 न्यायपालिका को भी तर्क पूरा होने के बाद निर्णय के लिए समय-सीमा का पालन करने का निर्देश देती है। पुलिस द्वारा तेजी से जांच, गवाहों के बयान और फॉरेंसिक रिपोर्ट प्रस्तुत की गईं और अभियोजन प्रक्रिया के तहत, 50 दिनों में न्यायालय में पूरी सुनवाई समाप्त हुई।
6. दिनांक 03 सितंबर, 2024 को माननीय न्यायालय ने अभियुक्तों को दोषी करार दिया।
7. दिनांक 05 सितंबर, 2024 को उन्हें बीएनएस की धारा 103(1) के तहत आजीवन कारावास और ₹25,000 जुर्माना, बीएनएस की धारा 109(1) के तहत 6 वर्ष का

कारावास और ₹10,000 जुर्माना, और बीएनएस की धारा 329(4) के तहत 6 माह का कारावास और ₹5,000 जुर्माना की सजा सुनाई।

नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के बाद, पुलिस और न्यायपालिका दोनों के द्वारा कार्य करने में तेजी आई है उपर्युक्त मामले में, अपराध स्थल से वैज्ञानिक रूप से साक्ष्यों के संग्रह के साथ-साथ उनकी समय पर फोरेंसिक प्रयोगशाला में जांच से प्राप्त रिपोर्ट ने पुलिस को घटना के 14 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने में मदद की और कोर्ट को भी वैज्ञानिक साक्ष्यों एवं फोरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर अभियोजन प्रक्रिया को समयावधि में पूरा करने में भी सहायता मिली जिससे समय पर न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई।

निष्कर्ष – नए आपराधिक कानूनों के तहत निर्धारित समय-सीमा से पुलिस एवं न्यायपालिका द्वारा की गई कार्यवाही उनकी समयबद्धता और दक्षता का उत्कृष्ट उदाहरण है।

भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत चोरी का मामला, बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश

1. दिनांक 13 अगस्त 2024 को श्री हर्ष अग्रवाल पुत्र श्री आलोक अग्रवाल निवासी अनाज मण्डी नया गंज कस्बा व थाना सिकन्द्राबाद, बुलन्दशहर की दुकान के गल्ले से पांच लाख रूपये चोरी हो गए।
2. दिनांक 02 सितंबर 2024 को पीड़ित की शिकायत पर थाना सिकन्द्राबाद, जिला बुलन्दशहर पुलिस द्वारा तीन अभियुक्त (1) संदीप पुत्र मनोज उर्फ मुकेश (2) अनुज सैनी पुत्र अशोक सैनी और (3) भूरा उर्फ मोहसिन पुत्र नवाब निवासी ग्राम बिलसुरी थाना सिकन्द्राबाद जिला बुलन्दशहर के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या-692 वर्ष 2024, भारतीय न्याय संहिता की धारा-316 (4) के तहत पंजीकृत हुआ।
3. दिनांक 02 सितंबर 2024 को पुलिस द्वारा तीनों अभियुक्तों को केटीएम कंपनी की मोटर साईकिल UP-13CK-6871 के साथ गिरफ्तार किया गया अभियुक्तों ने अपना जुर्म स्वीकार किया तथा अभियुक्त संदीप के कब्जे से चोरी किए गए रुपयों में से 81,000/-, अनुज सैनी के कब्जे से 10,737/-रूपये व भूरा उर्फ मोहसिन के कब्जे से 10,500/-रूपये नकद बरामद हुए। मोटर साईकिल के सम्बन्ध में पूछे जाने पर संदीप ने बताया कि चोरी से प्राप्त पाँच लाख रूपये में से दिनाक 14 अगस्त 2024 को उक्त मोटर साईकिल 2,33,000/-रूपये तथा दिनांक 15 अगस्त 2024 को एक मोबाइल फोन 26,999 रुपये में खरीदा। उक्त बरामदगी के आधार पर इसमें बीएनएस की धारा 317(2) जोड़ी गयी।
4. पुलिस द्वारा अभियुक्त संदीप से बरामद मोटर साईकिल, मोबाइल फोन को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 107 (1) के अन्तर्गत नियमानुसार जब्तीकरण/ कुर्की की कार्यवाही किये जाने की याचना की गयी।
5. इस संबंध में, माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर द्वारा दिनांक 13 नवंबर 2024 को यह निर्णय दिया गया कि पुलिस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। मुकदमा अपराध संख्या-692, वर्ष 2024 के अन्तर्गत भारतीय न्याय संहिता की धारा-316(4), 317(2), थाना सिकन्द्राबाद, जिला बुलन्दशहर में अभियुक्तों से बरामद मोटरसाइकिल रजिस्ट्रेशन संख्या UP-13CK-6871 एवं मोबाइल फोन की भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-107(1) के अन्तर्गत नियमानुसार कुर्की/जब्तीकरण की कार्यवाही की जाए।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 107 (1) के अन्तर्गत पुलिस द्वारा सामान के जब्तीकरण/कुर्की के लिए न्यायालय में प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने जब्तीकरण/कुर्की की कार्यवाही का आदेश जारी किया। नए आपराधिक कानून, 2023 पीड़ित केन्द्रित कानून हैं। उपर्युक्त मामले में, पुलिस ने नए कानूनों के तहत पीड़ित व्यक्ति को हुए नुकसान को उसे वापस दिलाने में निर्धारित समय में कार्यवाही की।

निष्कर्ष - इस मामले में, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत नियमानुसार कुर्की/ जब्तीकरण की शीघ्र की गई कार्यवाही पुलिस और न्यायपालिका की समयबद्धता और दक्षता का एक अन्य श्रेष्ठ उदाहरण है।

****

लेखकों से निवेदन

पाठकों से अनुरोध है कि पुलिस विज्ञान जर्नल में प्रकाशन के लिए पुलिस से संबंधित विभिन्न विषयों पर लेख लिखकर भेजें और लेख लिखने में सक्षम अपने सहयोगियों को भी लेख लिखकर भेजने के लिए प्रेरित करें। लेख टाइप किया गया हो और कम से कम दस पेज का हो। यदि लेख से संबंधित कोई फोटो हो तो वह भी साथ भेजें। अच्छे लेखों को पुलिस विज्ञान जर्नल के आगामी अंक में प्रकाशित किया जाएगा। लेख ई-मेल dig-spd1@bprd.nic.in एवं satishdabral@bprd.nic.in पर भी भेजे जा सकते हैं। पत्रिका में प्रकाशित लेखों के लिए रूपये 5000/- प्रति लेख पारिश्रमिक दिया जाता है।

इसके अतिरिक्त, यदि आपने पुलिस से संबंधित विषयों के हिन्दी के अलावा अन्य भाषा के किसी अच्छे लेख को हिन्दी में अनूदित किया है या करना चाहते हैं, जिसका कॉपीराइट आपके पास हो अथवा जिसके कॉपीराइट की आवश्यकता न हो तो ऐसे लेख भी प्रकाशन के लिए आमंत्रित हैं। लेख भेजते समय यह प्रमाणित करें कि लेख मौलिक/अनूदित है और इसका कहीं प्रकाशन नहीं हुआ है तथा इसके लिए कहीं से कोई मानदेय नहीं लिया गया है। इस संबंध में, अधिक जानकारी ब्यूरो की वेबसाइट https://bprd.nic.in/page/call_for_Articles से प्राप्त की जा सकती है।

संपादक
पुलिस विज्ञान
राष्ट्रीय राजमार्ग-48, महिपालपुर,
नई दिल्ली - 110 037

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो
गृह मंत्रालय, भारत सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग-48, महिपालपुर
नई दिल्ली - 110 037
फोन 011-26734889, 26782012 (फैक्स)

BPRDIndia   bprdindia   officialBPRDIndia   Bureau of Police Research & Development India   www.bprd.nic.in

Xtreme Office Aids Pvt. Ltd # 783 806 6880